



पेयजल एवं स्वच्छता विभाग  
जल शक्ति मंत्रालय  
भारत सरकार  
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION  
MINISTRY OF JAL SHAKTI  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते



# स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

चरण-॥ क्रियान्वयन के दिशा - निर्देश

2020



# स्वच्छ भारत मिशन

## (ग्रामीण)

चरण- || क्रियान्वयन के दिशा - निर्देश  
2020



जल शक्ति मंत्री  
भारत सरकार

Minister for Jal Shakti  
Government of India

गजेन्द्र सिंह शेखावत  
GAJENDRA SINGH SHEKHAWAT

## संदेश

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), यकीनन, विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विश्वभर के देशों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत रहा है। यह वास्तव में एक सामाजिक क्रांति रहा है, जिसने हमारे लोगों के जीवन को परिवर्तित करते हुए आर्थिक, पर्यावरणात्मक, स्वास्थ्य और सामाजिक लाभों में महत्वपूर्ण सुधार किया है और हमारी महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सम्मान को बढ़ाया है।

देश में सभी राज्यों और गांवों ने स्वयं को 'खुले में शौच मुक्त' घोषित किया है। अब समय आ गया है कि हम प्राप्त लाभों को बनाए रखें ताकि देश के सभी गांव स्वच्छ भारत मिशन के द्वितीय चरण में 'ODF प्लस' बन सकें यानी सभी गांव अपनी खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाए रखें और ठोस एवं तरल कचरे का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करें।


इन कार्य संबंधी दिशा-निर्देशों का आशय राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रबंधकों को विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना है। इनमें ODF प्लस के विभिन्न घटक - खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाए रखना, बायो-डिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, गंदला जल प्रबंधन, मलीय कचरा प्रबंधन तथा अन्य योजनाओं के साथ तालमेल हेतु कार्यपद्धतियों का उल्लेख किया गया है। सभी क्षेत्रों में स्वच्छता को बढ़ावा देने एवं साफ-सफाई हेतु कार्यन्वयकर्ताओं द्वारा इन दिशा-निर्देशों को समुदाय आधारित कार्यक्रमों के लिए प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है।

स्वच्छ भारत मिशन के चरण-II से रोजगार सृजित होगा और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए कम्पोस्ट पिट्स, सोक पिट्स, कचरा स्थिरीकरण तालाब, सामग्री रिकवरी सुविधाओं आदि जैसी अवसंरचनाओं तथा घरेलू शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय परिसरों के निर्माण के द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा।

मैं इन दिशा-निर्देशों को तैयार करने और अपने बहुमूल्य सुझाव एवं अनुभव साझा करने वालों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ।

मैं आशा करता हूँ कि कार्यन्वयकर्ताओं यहां भी उसी प्रकार का उत्साह दिखाएंगे जैसा उन्होंने इस अभियान के प्रथम चरण में प्रदर्शित किया था और वे इस अभियान को जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए अभियान बनाएंगे।

गजेन्द्र सिंह शेखावत



**रतन लाल कटारिया**  
RATTAN LAL KATARIA

**जल शक्ति और सामाजिक न्याय  
एवं अधिकारिता राज्य मंत्री  
भारत सरकार, नई दिल्ली**

Minister of State for Jal Shakti and  
Social Justice & Empowerment  
Government of India, New Delhi

## संदेश

खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाए रखने तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। जहां 'खुले में शौचमुक्त स्थिति' को बनाए रखने से हमें स्वच्छ भारत मिशन के प्रथम चरण में हासिल उपलब्धियों को बनाए रखने में मदद मिलती है, वहीं समुचित कचरा प्रबंधन से पर्यावरण एवं जन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है। हमारे गांवों को स्वच्छ तथा खुले में शौचमुक्त बनाए रखने और देश के सभी गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-॥ को कार्यान्वित कर रही है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-। की तरह स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-॥ को भी मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। इसकी निगरानी खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाये रखना तथा गांवों की दिखाई देने वाली स्वच्छता में सुधार - न्यूनतम कचरा एवं न्यूनतम जल जमाव, जैसे मुख्य क्षेत्रों में परिणाम के आधार पर की जाएगी। सभी परिवारों को शौचालय की सुविधा प्राप्त हो तथा कोई भी परिवार इससे वंचित न रह जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए गहन प्रयास किए जाएंगे।

जैसा कि हम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-॥ में प्रवेश कर रहे हैं, मैं राज्य, जिलों और पंचायत स्तर पर कार्यन्वयकर्ताओं को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि उनकी उपलब्धियों का हमारी ग्रामीण जनता तथा देश पर, व्यापक रूप से, दीर्घकालिक तथा सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

जय हिंद,

रतन लाल कटारिया



सचिव  
भारत सरकार  
जल शक्ति मंत्रालय  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

Secretary  
Government of India  
Ministry of Jal Shakti  
Department of Drinking  
Water & Sanitation

**परमेश्वरन अय्यर**  
Parameswaran Iyer

## संदेश

स्वच्छ भारत मिशन को महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती पर श्रद्धांजलि के रूप में 2 अक्टूबर, 2019 तक 'खुले में शौचमुक्त भारत' का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 को प्रारंभ किया गया था।

विश्व के सबसे बड़े व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के रूप में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से 130 करोड़ लोगों के सहयोग के साथ, अपने आपको एक जन आन्दोलन में परिवर्तित करते हुए लगभग असंभव सा लगने वाला लक्ष्य प्राप्त किया। इसके परिणामस्वरूप, 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए जाने के साथ, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो कि 2014 में 39% था वर्ष 2019 में बढ़कर 100% हो गया। दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक, भारत के सभी ज़िलों ने स्वयं को 'खुले में शौचमुक्त' घोषित कर दिया था।

विभिन्न वैशिक एजेंसियों द्वारा, आर्थिक, पर्यावरणात्मक, स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र पर, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के महत्वपूर्ण प्रभावों को व्यक्त किया गया है। 'खुले में शौचमुक्त भारत' का महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने के बाद, गत पांच वर्षों (2014-19) के दौरान इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त लाभों को बनाए रखने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि 'कोई भी वंचित न रह जाए' और सभी गांवों को 'ODF' से 'ODF प्लस' में परिवर्तित करने के लिए, स्वच्छता संबंधी कार्य तथा व्यवहार परिवर्तन अभियान जारी है।

भारत सरकार ने खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाए रखने तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर ध्यान देने के लिए 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित परिव्यय के साथ फरवरी, 2020 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-II को अनुमोदित किया है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II को वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण से एक नए मॉडल के रूप में आयोजित किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से बजटीय आवंटन और संबंधित राज्य के समकक्ष अंशदान के अलावा, शेष निधियां, विशेषकर ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन हेतु, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा, CSR निधियों और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जाएंगी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II को 2020-21 से 2024-25 के दौरान मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। इस पुस्तिका में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II हेतु संचालनात्मक क्रियान्वयन के दिशा - निर्देश तैयार किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश परामर्शी प्रकृति के हैं और इन्हें स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जा सकता है।

आशा है कि ये दिशा-निर्देश सभी राज्यों एवं ज़िलों की टीमों के लिए उपयोगी होंगे, उनको अपनी कार्यनीति बनाने और उसे सुदृढ़ करने तथा कार्यान्वयन को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

परमेश्वरन अय्यर

अरुण बरोका, भा.प्र.से.  
अपर सचिव



जल शक्ति मंत्रालय  
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग  
पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन  
सीजीओ काम्प्लेक्स, लोदी रोड  
नई दिल्ली-110001

## प्राक्कथन

इस पुस्तिका में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन चरण-II के क्रियान्वयन के दिशा - निर्देश उपलब्ध कराए गए हैं जिन्हें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के संबंध में केन्द्र सरकार के द्वारा फरवरी 2020 में दिए गए अनुमोदन के आधार पर तैयार किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को भारत में स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए और इसे 'खुले में शौच मुक्त (ODF)' बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ किया गया था। यह विश्व का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम कहा जाता है जिसके तहत इसे जमीनी स्तर पर जनांदोलन के रूप में परिवर्तित करके लगभग असंभव सा प्रतीत होने वाला लक्ष्य प्राप्त किया गया। सभी हितधारकों ने वर्ष 2014 से 2019 की अवधि के दौरान एकजुट होकर कार्य किया तथा समयबद्ध तरीके से यह सुनिश्चित किया कि 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत के सभी जिलें स्वयं को 'खुले में शौचमुक्त' घोषित कर दें।

गत पांच वर्ष यानी 2014 से 2019 के दौरान 'खुले में शौचमुक्त' भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद स्वच्छता संबंधी कार्य तथा व्यवहार परिवर्तन अभियान को जारी रखा जाना है ताकि इस कार्यक्रम के तहत प्राप्त लाभों को बनाए रखा जा सके तथा 'कोई भी व्यक्ति छूट न जाए' और गांवों में संपूर्ण स्वच्छता को सुनिश्चित किया जा सके। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इसकी आयोजना वर्ष 2019 की शुरुआत में की गई थी। सभी राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा आयोजित की गई। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS) के तीन दौर के सर्वेक्षणों के आधार पर इस कार्यक्रम के मूल्यांकन का फ़ीडबैक, राज्यों और जिलों के साथ किए गए वीडियो सम्मेलन, और साथ ही मंत्रालय के अपने अधिकारियों और परामर्शदाताओं के क्षेत्र दौरों के दौरान जन साधारण और क्षेत्र के कार्यान्वयनकर्ताओं के साथ किए गए परस्पर संवाद उपयोगी रहे। भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और साथ ही नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ व्यापक चर्चा की गई और इसके फलस्वरूप, भारत सरकार ने खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाए रखने और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) करने पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए 1,40,881 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित परिव्यय के साथ फरवरी, 2020 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-II को अनुमोदित किया। फरवरी, 2020 को वर्ष 2020-21 के लिए, 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का समय पर जारी होना ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए स्वच्छता के लिए मांगी गई निश्चित (tied) अनुदानों (जो कि पहली बार निश्चित की गई) को उपलब्ध कराने में उपयोगी रहा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II को वित्तोषण के विभिन्न स्रोतों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के बीच अभिसरण से एक नए मॉडल के रूप में आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम 2020-21 से 2024-25 के दौरान मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। चरण-II के लिए क्रियान्वयन के दिशा - निर्देश, इस पुस्तिका में तैयार किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश परामर्शी प्रकृति के हैं और इन्हें स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जा सकता है।

ये दिशा-निर्देश किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। यह राज्यों/ केन्द्र शासित प्रदेशों और इस विभाग के SBM प्रभाग के सभी कार्मिकों से प्राप्त इनपुट्स पर आधारित सम्मिलित टीम वर्क है जिन्होंने मंत्रिमंडल नोट और क्रियान्वयन के दिशा - निर्देश को तैयार करने में अथक कार्य किया है और इसमें अपना भरपूर योगदान दिया है।

आशा है कि ये दिशा-निर्देश सभी राज्यों और जिलों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, और उन्हें कार्यनीति की योजना बनाने और उसे मजबूती प्रदान करने तथा कार्यान्वयन अनुभव को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

अरुण बरोका

# विषयसूची

<b>संक्षिप्ताक्षर</b>	<b>11</b>
1. प्रस्तावना	14
2. पूर्व कार्यक्रम	16
3. स्वच्छ भारत मिशन (2014-2019)	17
4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II (2020-21 – 2024-25)	18
4.1 उद्देश्य	18
4.2 कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत	19
5 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II के घटक	21
5.1 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण	21
5.2 शौचालयों की मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)	22
5.3 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) का निर्माण	22
5.4 ठोस कचरा प्रबंधन कार्य	23
5.4.1 बायो-डिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन	23
5.4.1.1 कंपोस्टिंग	23
क. घरेलू स्तर पर कम्पोस्ट गड्ढ़ा	23
ख. सामुदायिक स्तर का कंपोस्ट गड्ढ़ा	23
5.4.1.2 गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources-dhan)	24
5.4.2 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन	25
5.5 तरल कचरा प्रबंधन कार्य	25
5.5.1 गंदले जल का प्रबंधन	26
5.6 मलीय कचरा प्रबंधन	26
6 सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)	29
6.1 IEC में राज्यों की भूमिका	29
6.2 IEC में जिलों की भूमिका	30
6.3 राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों के उपयोग के लिए उपलब्ध IEC चैनल्स	30
6.4 ODF प्लस के लिए प्रमुख IEC संदेश	31
7 क्षमता संवर्धन	33
7.1 सभी हितधारकों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास	33
7.2 स्वच्छाग्रही	34
7.2.1 स्वच्छाग्रहियों की भूमिका	35
7.2.2 स्वच्छाग्रहियों के लिए प्रोत्साहन	35
8 संस्थागत व्यवस्थाएं	36
8.1 राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति (NSSC)	36
8.2 राज्य जल और स्वच्छता मिशन	36
8.3 शीर्ष समिति	36

8.4	राज्य मिशन अथवा राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SSBMG)	36
8.5	जिला स्वच्छ भारत मिशन	37
8.6	ब्लॉक जल और स्वच्छता समिति	38
8.7	ग्राम पंचायत/ ग्राम जल और स्वच्छता समिति	38
<b>9</b>	<b>पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका</b>	<b>40</b>
9.1	योजना	40
9.2	निधि प्रवाह	40
9.3	समन्वय	40
9.4	निगरानी	40
<b>10</b>	<b>समुदाय आधारित संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों/ सहायता संगठनों की भूमिका</b>	<b>42</b>
10.1	ग्रामीण स्वच्छता बाजार	42
<b>11</b>	<b>बाजार संबद्ध SLWM कार्यकलाप</b>	<b>43</b>
<b>12</b>	<b>कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व</b>	<b>45</b>
<b>13</b>	<b>अनुसंधान एवं विकास</b>	<b>46</b>
<b>14</b>	<b>स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II की आयोजना</b>	<b>47</b>
14.1	ग्राम कार्य योजना	47
14.2	जिला स्वच्छता योजना	47
14.3	राज्य योजना	48
14.3.1	परियोजना कार्यान्वयन योजना (PIP)	48
14.3.2	वार्षिक कार्यान्वयन योजना (AIP)	48
<b>15</b>	<b>वित्तीय आयोजना और कार्यक्रम निधियन</b>	<b>50</b>
15.1	SBM(G) चरण-II के अधीन कार्यक्रम वित्तपोषण प्रावधान	51
15.2	वित्तीय प्रावधानों का स्पष्टीकरण	52
<b>16</b>	<b>निधियां जारी करना</b>	<b>54</b>
16.1	केंद्र से राज्य स्तर के कार्यान्वयन निकाय को निधि जारी करना	54
16.1.1	पहली किस्त जारी करना	55
16.1.2	दूसरी किस्त जारी करना	55
16.2	बेहतर कार्यनिष्पादन वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करना	56
16.3	जारी की गई निधियों पर अर्जित ब्याज	56
<b>17</b>	<b>निगरानी और मूल्यांकन</b>	<b>57</b>
17.1	उत्पादन-परिणाम निगरानी प्रणाली	57
17.2	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली	58
17.3	बेसलाइन सर्वेक्षण	58
17.4	परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग	58
17.5	ODF प्लस गांवों की घोषणा और सत्यापन	59
17.6	'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-SSG' के माध्यम से वार्षिक निगरानी	60
17.7	सोशल ऑडिट	60
17.8	कार्यक्रम मूल्यांकन	60
<b>18</b>	<b>वार्षिक लेखापरीक्षा</b>	<b>61</b>

# अनुलग्नक

## अनुलग्नक

- अनुलग्नक - I : वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लिए प्रौद्योगिकी विवरण
- अनुलग्नक - II : बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिक और प्रबंधन विकल्प
- अनुलग्नक - III : गोबरधन के लिए दिशा-निर्देश और प्रौद्योगिक विकल्प
- अनुलग्नक - IV : ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन विकल्प
- अनुलग्नक - V : गंदला जल प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिक और प्रबंधन विकल्प
- अनुलग्नक - VI : ग्रामीण क्षेत्रों में मलीय कचरा प्रबंधन के विकल्प
- अनुलग्नक - VII : स्वच्छाग्रहियों हेतु अनुशंसित गतिविधियां और प्रोत्साहन संरचना
- अनुलग्नक - VIII : स्वच्छता गतिविधियों और संसूचक तालमेल मैट्रिक्स की सांकेतिक सूची
- अनुलग्नक - IX : लेखापरीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप
- अनुलग्नक - X : उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप
- अनुलग्नक - XI : ग्राम पंचायत ODF प्लस प्रमाणपत्र
- अनुलग्नक - XII : ODF प्लस सत्यापन प्रोटोकॉल एवं प्रारूप
- अनुलग्नक - XIII : जिला ODF प्लस प्रमाणपत्र
- अनुलग्नक - XIV : गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग- लोगों के लाभार्थ सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश

# संक्षिप्ताक्षर

<b>AIP</b>	वार्षिक कार्य योजना	<b>DWSM</b>	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन
<b>AIR</b>	ऑल इंडिया रेडियो	<b>FSM</b>	मलीय कचरा प्रबंधन
<b>ANM</b>	सहायक प्रसूति परिचारिका	<b>FSTP</b>	मलीय कचरा उपचार संयंत्र
<b>APL</b>	गरीबी रेखा के ऊपर	<b>FSMS</b>	मलीय कचरा प्रबंधन प्रणाली
<b>ASHA</b>	प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता	<b>GOI</b>	भारत सरकार
<b>AWW</b>	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	<b>GP</b>	ग्राम पंचायत
<b>BCC</b>	व्यवहार परिवर्तन संचार	<b>GOBAR-DHAN</b>	गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेस धन
<b>BDO</b>	खंड विकास अधिकारी	<b>HRD</b>	मानव संसाधन विकास
<b>BPL</b>	गरीबी रेखा से नीचे	<b>ICDS</b>	एकीकृत बाल विकास योजना
<b>BWSC</b>	ब्लॉक जल और स्वच्छता समिति	<b>IEC</b>	सूचना, शिक्षा एवं संचार
<b>BSO</b>	ब्लॉक स्वच्छता अधिकारी	<b>IHHL</b>	वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय
<b>CAS</b>	स्वच्छता के प्रति सामुदायिक दृष्टिकोण	<b>IMIS</b>	एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली
<b>CBO</b>	समुदाय आधारित संगठन	<b>IPC</b>	अंतर वैयक्तिक संप्रेषण
<b>CLF</b>	कलस्टर स्तर का संघ	<b>JJM</b>	जल जीवन मिशन
<b>CRSP</b>	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	<b>JMP</b>	संयुक्त निगरानी कार्यक्रम
<b>CSC</b>	सामुदायिक स्वच्छता परिसर	<b>KVK</b>	कृषि विज्ञान केन्द्र
<b>CSR</b>	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	<b>LWM</b>	तरल कचरा प्रबंधन
<b>DDWS</b>	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	<b>M&amp;E</b>	निगरानी एवं मूल्यांकन
<b>DAVP</b>	प्रचार एवं दृश्य विज्ञापन निदेशालय	<b>MHM</b>	मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता प्रबंधन
<b>DD</b>	दूरदर्शन	<b>MIS</b>	प्रबंधन सूचना प्रणाली
<b>DRDA</b>	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण	<b>MLALADS</b>	विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
<b>DSBM</b>	जिला स्वच्छ भारत मिशन	<b>MNREGS</b>	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
<b>DTMU</b>	जिला प्रशिक्षण प्रबंधन इकाई	<b>MOJS</b>	जल शक्ति मंत्रालय
<b>DWSC</b>	जिला जल एवं स्वच्छता समिति		

<b>MPLADS</b>	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	<b>PIP</b>	परियोजना कार्यान्वयन योजना
<b>NABARD</b>	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	<b>PMAY</b>	प्रधान मंत्री आवास योजना
<b>NARSS</b>	राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण	<b>PMGSY</b>	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना
<b>NFDC</b>	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	<b>PPP</b>	सरकारी निजी भागीदारी
<b>NGO</b>	गैर-सरकारी संगठन	<b>PR</b>	पंचायती राज
<b>NIC</b>	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र	<b>PRA</b>	भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन
<b>NNBOMP</b>	नवीन राष्ट्रीय बायोगैस और जैव उर्वरक कार्यक्रम	<b>PRI</b>	पंचायती राज संस्थान
<b>NRC</b>	राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र	<b>PSU</b>	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
<b>NRDWP</b>	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	<b>PTA</b>	अभिभावक शिक्षक संघ
<b>NRHM</b>	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	<b>PWMC</b>	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केन्द्र
<b>NRLM</b>	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	<b>R&amp;D</b>	अनुसंधान एवं विकास
<b>NSSC</b>	राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति	<b>RDAC</b>	अनुसंधान एवं विकास परामर्शदात्री समिति
<b>NSSO</b>	राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन	<b>RSM</b>	ग्रामीण स्वच्छता बाजार
<b>ODF</b>	खुले में शौच मुक्त	<b>SAP</b>	स्वच्छता कार्य योजना
<b>ODF-S</b>	खुले में शौच मुक्त- स्थायित्व	<b>SATAT</b>	
<b>ODF Plus</b>	खुले में शौच मुक्ति के पश्चात (ODF-प्लस)	<b>SBK</b>	स्वच्छ भारत कोष
<b>O&amp;M</b>	संचालन व रखरखाव	<b>SBM (G)</b>	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)
<b>PAC</b>	योजना अनुमोदन समिति	<b>SHG</b>	स्वयं सहायता समूह
<b>PC</b>	उत्पादन केंद्र	<b>SLSSC</b>	राज्य स्तरीय योजना संस्वीकृति समिति
<b>PFMS</b>	सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	<b>SLTS</b>	विद्यालय चालित कुल स्वच्छता
<b>PHC</b>	सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्र	<b>SLWM</b>	ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन
<b>PHED</b>	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	<b>SO</b>	सहायता संगठन
		<b>SPMU</b>	राज्य परियोजना निगरानी इकाई

<b>STMU</b>	राज्य प्रशिक्षण प्रबंधन इकाई	<b>VWSC</b>	ग्राम जल और स्वच्छता समिति
<b>SSA</b>	सर्व शिक्षा अभियान	<b>WASH</b>	जल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई
<b>SSBM</b>	राज्य स्वच्छ भारत मिशन	<b>WSP</b>	कचरा स्थिरीकरण तालाब
<b>SSG</b>	स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण	<b>WSSO</b>	जल एवं स्वच्छता सहायता संगठन
<b>SGSY</b>	स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	<b>ZP</b>	जिला परिषद्
<b>STP</b>	सीरेज ट्रीटमेंट प्लांट		
<b>SWSC</b>	राज्य जल एवं स्वच्छता समिति		
<b>SWSM</b>	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन		
<b>SWM</b>	ठोस कचरा प्रबंधन		
<b>TSC</b>	सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान		
<b>VAP</b>	गांव कार्य योजना		
<b>VO</b>	गांव संगठन		



## प्रस्तावना

स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआत दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को माननीय प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी, द्वारा की गई थी जिसका लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अर्थात् 2 अक्टूबर 2019 तक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 'स्वच्छ भारत' बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य देश भर से खुले में शौच की शर्मनाक आदत का उन्मूलन कर, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ वातावरण उपलब्ध कराना था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जिसे दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम कहा गया है, के तहत जमीनी स्तर पर जन आन्दोलन पैदा करके इस असंभव से लगाने वाले कार्य को पूरा किया गया। इसके परिणाम-स्वरूप, ग्रामीण स्वच्छता क्वरेज जो वर्ष 2014 में 39% था वर्ष 2019 तक बढ़कर 100% हो गया और 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक, भारत के सभी जिलों ने स्वंय को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया था।

अभियान की सफलता का श्रेय 4Ps – Political Leadership (राजनीतिक नेतृत्व), Public Financing (सार्वजनिक वित्तपोषण), Partnerships (साझेदारी) और People's Participation (जन-भागीदारी) - को दिया जाता है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री द्वारा इस संकल्प के साथ किया गया था कि पाँच वर्षों में खुले में शौच को समाप्त करना है। यह सच्चे अर्थ में एक जन आन्दोलन रहा है जिसमें जीवन के हर क्षेत्र से 130 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम की सफलता में अपना योगदान दिया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का प्रभाव विभिन्न वैश्विक एजेंसियों द्वारा व्यक्त किया गया है, जिसमें इसके आर्थिक, वातावरण संबंधी और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन किया गया है, विशेष रूप से इस

कार्यक्रम का योगदान बच्चों के स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर रहा। खुले में शौचमुक्त भारत के महत्वपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी स्वच्छता के लिए कार्य और व्यवहार परिवर्तन अभियान जारी है ताकि पिछले पाँच वर्षों (2014-2019) में कार्यक्रम के तहत जो लाभ प्राप्त हुए हैं उनको स्थायी बनाए रखा जा सके, गाँवों की समग्र स्वच्छता में सुधार हो सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छुटे।

भारत सरकार ने खुले में शौचमुक्त स्थिति को स्थायी बनाए रखने और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन (SLWM) पर बल देने के लिए, फरवरी 2020 में, 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित परिव्यय के साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण-II को अनुमोदित किया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II को विभिन्न वित्तपोषण स्रोतों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न स्कीमों के बीच अभिसरण के एक नए मॉडल के रूप में आयोजित किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से बजटीय आबंटन और संबंधित राज्य के समकक्ष अंशदान के अलावा, शेष निधियां, विशेष रूप से SLWM हेतु, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा, CSR निधियों और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जाएंगी।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। इस पुस्तिका में चरण-II के क्रियान्वयन के दिशा - निर्देश तैयार किए गए हैं। ये दिशा-निर्देश परामर्शी प्रकृति के हैं और स्थानीय आवश्यकताओं तथा स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इन्हें अपनाया जा सकता है।

हमें आशा है कि ये दिशा-निर्देश सभी राज्यों और जिलों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे और योजना बनाने तथा कार्यनीति को सुदृढ़ करने में सहायता देंगे, और साथ ही उनके कार्यान्वयन अनुभव को बढ़ाएंगे।

स्वच्छ भारत मिशन के चरण-I के कार्यान्वयन को सफल

बनाने के लिए खुले में शौचमुक्त आदत को एक स्वीकृत मानदंड बनाने हेतु व्यक्तियों, समुदायों और जिला टीमों का निश्चय, अथक प्रयास, नवाचार तथा कई अन्य पहलुओं की चर्चा रही है। आशा है कि SBM(G) के

चरण-II में भी गांवों में स्वच्छता, व्यक्तिगत साफ-सफाई, और हमारे समुदायों के स्वास्थ्य संवर्धन और खुशहाल जीवन हेतु, इसे एक जन आन्दोलन बनाने के लिए इसी प्रकार का उत्साह और संकल्प अभियान दिखेगा।





## पूर्व कार्यक्रम

भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह देखते हुए कि वर्ष 1981 की जनगणना में ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज मात्र 1% था, पेयजल एवं स्वच्छता को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दशक (1981-90) के दौरान ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक बल दिया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP) का आरंभ किया जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन कि गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं को निजता और सम्मान देना था। वर्ष 1999 से, 'संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC)' के तहत एक 'मांग-आधारित' दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसके तहत स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन हेतु सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC), मानव संसाधन विकास (HRD) और क्षमता संवर्धन पर बल दिया गया। इससे लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्य सेवा तंत्रों के माध्यम से उपयुक्त विकल्पों का चयन करने में सहायता मिली। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को द्वारा वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण तथा उपयोग के लिए उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए, वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए गए।

TSC के उत्तरोत्तर कार्यक्रम के रूप में दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को 'निर्मल भारत अभियान (NBA)' आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नवीकृत कार्यनीति और संतुष्टि दृष्टिकोण को अपनाते हुए ग्रामीण समुदायों में स्वच्छता कवरेज की स्थिति में तेज़ी लाना था। NBA के आवश्यक परिणामों की प्राप्ति के लिए निर्मल ग्राम पंचायतों के निर्माण के लिए कार्य किया गया। NBA के तहत, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में वृद्धि की गई और मनरेगा के साथ अभिसरण करके अतिरिक्त सहायता प्राप्त की गई।

हांलाकि, उपर्युक्त कार्यक्रमों ने देश की ग्रामीण स्वच्छता की छवि में कुछ प्रगति की, वर्ष 2011 की जनगणना में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज (निजी शौचालय वाले परिवार) मात्र 33% पाया गया।





## स्वच्छ भारत मिशन (2014-2019)

समग्र स्वच्छता प्राप्ति के प्रयासों में सार्थक रूप से तेज़ी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया। इस मिशन का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक अर्थात् महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में, खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करके, स्वच्छ भारत बनाना था।

स्वच्छ भारत मिशन के दो उप-मिशन हैं, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (पूर्व नाम पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय) के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंधीन स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) [SBM(U)]~ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा इस समग्र मिशन का समन्वय किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्यक्रम का लक्ष्य गांवों को खुले में शौचमुक्त (ODF) बनाना और SLWM गतिविधियों के माध्यम से समग्र स्वच्छता के स्तर में सुधार लाना था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ने स्वच्छता को जन आनंदोलन बनाकर ग्रामीण भारत का कायापलट कर दिया - ऐसा विश्व में पहले कहीं भी, कभी भी नहीं हुआ। वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की शुरुआत के बाद 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। इसके परिणामस्वरूप, अक्टूबर 2019 तक, देश के सभी गांवों

और फलतः सभी 36 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने स्वयं को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया था।

हालांकि, खुले में शौचमुक्त स्थिति हासिल करना एक प्रमुख उपलब्धि है, इस मिशन के अंतर्गत खुले में शौचमुक्त स्थिति के लाभों को स्थायी बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति पीछे न छूट जाए, कार्य जारी है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, ने खुले में शौचमुक्त स्थिति से प्राप्त परिणामों को स्थायी बनाए रखने और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्था की प्राप्ति के लिए, सितंबर, 2019 में एक 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यनीति भी विकसित की है। इस 10 वर्षीय कार्यनीति में इसी दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने का फ्रेमवर्क बनाया गया है और इससे राज्य सरकारों, स्थानीय सरकारों, नीति निर्माताओं, कार्यान्वयनकर्ताओं और ग्रामीण भारत की जनता सभी संबंधित हितधारकों को भावी मार्गदर्शन प्राप्त होगा।



<sup>1</sup>As on 2nd October, 2019.



## स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II (2020-21 – 2024-25)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रथम चरण के प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने इस कार्यक्रम के चरण-II के अनुमोदन के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई की स्थिति में और सुधार लाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को नवीन रूप दिया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II को ग्रामीण भारत के लोगों और समुदायों की क्षमता का उपयोग करने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाए रखना और लोगों द्वारा सुरक्षित व्यक्तिगत साफ-सफाई के व्यवहार को कायम रखना सुनिश्चित करने के लिए इसे एक जन आन्दोलन बनाया जा सके, और सभी गांवों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की व्यवस्थाएं मौजूद हों।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का चरण-II 1,40,881 करोड़ रुपये के कुल अनुमानित परिव्यय के साथ मिशन मोड में वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा। यह, गांवों को ODF प्लस बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उनमें स्वच्छता सुविधाओं को संतुलित करने के लिए, वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों और केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण का एक नया मॉडल होगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से बजटीय आबंटन और संबंधित राज्य के समकक्ष अंशदान के अलावा, शेष निधियां, विशेष रूप से SLWM हेतु, ग्रामीण स्थानीय निकायों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, मनरेगा, और राजस्व सृजन मॉडल आदि से जुटाई जाएंगी।

### 4.1 उद्देश्य

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II का प्रमुख उद्देश्य गांवों की खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाए रखना और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाकर उन्हें ODF प्लस गांव बनाना है।

ODF प्लस गांव को एक ऐसे गांव के रूप में परिभाषित किया गया है जहां खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति को स्थायी रूप से बनाए रखा गया हो, ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित हो और जो प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ दिखे।

इसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) खुले में शौचमुक्त स्थायित्व: गांव में प्रत्येक परिवार और प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घर और आंगनवाड़ी केंद्रों को शौचालय उपलब्ध हो और गांव में व्यवहार परिवर्तन का संचार जारी हो। विनिर्दिष्ट थीम्स पर (आगे दी गई जांच सूची में उल्लेखित) कम से कम पांच सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) संदेशों को गांव में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। यदि गांव में 100 से अधिक घर हो, तो वहां एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) होना चाहिए।
- (ख) ठोस कचरा प्रबंधन: इसमें न्यूनतम 80% परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों (प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) के लिए ठोस कचरे का प्रभावी प्रबंधन किया गया हो। इसमें मवेशियों तथा कृषि गतिविधियों से उत्पन्न बायो-डीग्रेडेबल कचरे का व्यक्तिगत और सामुदायिक कंपोस्ट पिट्स द्वारा, एवं प्लास्टिक कचरे के लिए पर्याप्त अलगाव व संग्रहण प्रणाली सुनिश्चित करते हुए, प्रबंधन शामिल है।
- (ग) तरल कचरा प्रबंधन: इसमें न्यूनतम 80% परिवारों और सभी सार्वजनिक स्थानों (प्राथमिक विद्यालयों, पंचायत घरों और आंगनवाड़ी केंद्रों सहित) के लिए तरल कचरे का प्रभावी प्रबंधन किया गया हो। इसमें रसोई उपयोग और स्नान से सृजित गंदला पानी, और बरसाती पानी, नालियों और या व्यक्तिगत एवं सामुदायिक सोक पिट्स द्वारा, और सेप्टिक टैंकों के ओवरफलो से निकले गंदे पानी (ब्लैक वाटर) का, प्रबंधन शामिल है।
- (घ) प्रत्यक्ष स्वच्छता: किसी गांव को प्रत्यक्ष रूप से स्वच्छ तभी कहा जाएगा जब वहां के 80% परिवारों में और सभी

एक गांव को ODF प्लस घोषित करने के लिए जाँच सूची					
(i)	गांव के सभी घरों को कार्यशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो।	(v)	कम से कम 80% घरों और सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ियों, पंचायत घरों में बायोडिग्रेडेबल कचरा और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था हो।		
(ii)	100 से अधिक घरों वाले गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर हो।	(vi)	गांव में प्लास्टिक कचरे के पृथक्करण तथा एकत्रीकरण की प्रणाली उपलब्ध हो।		
(iii)	गांव के सभी विद्यालयों/ आंगनबाड़ी केंद्रों / पंचायत घर में कार्यशील शौचालय की सुविधा उपलब्ध हो, जिनमें पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था हो।	(vii)	गांव में निम्नलिखित प्रत्येक थीम्स पर दीवार-चित्रकारी/ इश्तहार आदि के माध्यम से कम से कम पांच ODF प्लस IEC संदेश प्रमुखता से प्रदर्शित होने चाहिए: ODF स्थायित्व और शौचालय का निरंतर प्रयोग; साबुन से हाथ धोना; कम्पोस्ट पिट्स के उपयोग से बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन; प्लास्टिक कचरा प्रबंधन; और सोक पिट्स के जरिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन।		
(iv)	गांव के सभी सार्वजनिक स्थानों पर न्यूनतम कचरा हो, न्यूनतम अपशिष्ट जल जमाव हो और प्लास्टिक कचरे का ढेर न हो।				

सार्वजनिक स्थानों पर, न्यूनतम कचरा और न्यूनतम जल जमाव दिखे और गांव में कहीं भी प्लास्टिक कचरे का ढेर न हो।

उपर्युक्त उद्देश्य को सभी स्तरों पर निरंतर व्यवहार परिवर्तन प्रेरणा और क्षमता संवर्धन द्वारा प्राप्त किया जाना है।

## 4.2 कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत

- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति पीछे न रह जाए:** इस मिशन में यह प्रयास किया जाएगा कि परियोजना अवधि के दौरान बने सभी नए परिवारों और पिछले चरण में वंचित रह गए किसी भी पात्र परिवार को स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हों। ऐसे परिवारों की पहचान ग्राम पंचायत / जिला के द्वारा ODF प्लस सत्यापन प्रक्रिया के भाग के रूप में की जाएगी। जिन परिवारों के पास स्थान की कमी के कारण वैयक्तिक परिवारिक शौचालय नहीं हैं व अस्थायी आबादी आदि के लिए, सामुदाय द्वारा प्रबंधित स्वच्छता परिसरों अर्थात् सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का प्रावधान किया जा सकता है।
- ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के लिए सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता व उनका वित्तपोषण:** हालांकि वैयक्तिक परिसम्पत्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है, इस कार्यक्रम में, जहां तक संभव हो, सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी और उनका वित्तपोषण किया जायेगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए है कि गांव में प्रत्येक परिवार को ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधा उपलब्ध हो। जहां भी संभव हो, परिवारों को निजी परिसम्पत्तियों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करने हेतु IEC माध्यमों का उपयोग किया जाएगा।

- जहां भी संभव हो, मौजूदा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की सुविधाओं का उपयोग करना:** यह देखा गया है कि मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की कुछ सुविधाएं उत्पन्न की गई हैं। जहां भी ऐसी मौजूदा सुविधाएं उपलब्ध हों, उन्हें संगत योजनाओं के साथ अभिसरण से प्रयोग/नवीनीकृत/बेहतर किया जाए। ये मौजूदा पृथक्करण शेड, तिपहिया वाहन, गंदले जल के प्रबंधन हेतु नालियां और तालाब, कंपोस्ट पिट्स, सोक पिट्स आदि हो सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तभी नई सुविधाएं तैयार की जाएंगी।
- पुनः उपयोग से जुड़ी ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा:** स्रोत पर ही कचरा सूजन में कटौती, कचरा प्रबंधन का मूल मंत्र है। अतः 3Rs – Reduce (कचरा सूजन में कमी), Reuse (पुनः उपयोग) और Recycle (पुनर्वर्कण) को बढ़ावा दिया जायेगा। राज्य, कचरा एकत्रण, पृथक्करण और प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अधिक प्रयास करेंगे। लोगों को कम कचरा उत्पन्न करने, पशुओं के गोबर को खाद के लिए, प्लास्टिक कचरे का उद्योगों में सह-प्रसंस्करण करने और गंदले जल को भूजल के पुनर्भरण आदि के लिए, कचरे के पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करने हेतु IEC कार्यकलाप किए जाएंगे।
- अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण:** इस कार्यक्रम की रूपरेखा समेकित कार्यान्वयन और परिसम्पत्तियों तथा सेवाओं के लिए सह-वित्तपोषण के लिए बनाई गई है। गंदले जल के प्रबंधन के लिए जल जीवन मिशन, परिसंपत्तियों के सह-वित्तपोषण के लिए वित्त आयोग की निधियों, मनरेगा से निधियां और कार्मिकों को जुटाने के लिए, क्षेत्रिय कर्मियों के कौशल विकास के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ, BCC के वाहक के रूप में SHG को शामिल करने हेतु NRLM के साथ, और गोबर-धन परियोजनाओं के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की NNBOMP योजना और

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की SATAT योजना के साथ, निकट समन्वय और तालमेल से इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जाएगा। राज्य स्वच्छ भारत मिशन चरण-II के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने स्तर पर अन्य योजनाओं की पहचान करेंगे तथा उनके साथ तालमेल करेंगे।
6. **व्यापार मॉडल का उपयोग/ स्व-स्थायी राजस्व मॉडलों का सृजन:** यह महत्वपूर्ण है कि ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता और संसाधनों का उपयोग किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रभावी स्वच्छता सेवाएं उपलब्ध कराने के कार्य से जोड़ने के लिए राज्यों को निजी क्षेत्रों के लिए समर्थकारी व्यवस्थाएं करनी हैं। राज्य ऐसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहन दें जो लाभकारी (Remunerative) मॉडल तथा लागत साझा करने, लागत वसूली और राजस्व सृजन के सिद्धांतों पर आधारित हों। राज्य, स्वयं सहायता समूहों (SHG)/ ग्राम संगठनों (VO)/ Cluster Level Federation (CLF) को सहायता देने पर विचार कर सकते हैं और जहां भी संभव हो, भारत सरकार के अनुमोदन से ऋण/ ब्याज सहायता मॉडल अपना सकते हैं। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों व गोबर- धन परियोजनाओं के निर्माण और संचालन एवं प्रबंधन, व प्लास्टिक तथा मलीय कचरा सहित, कचरे के एकत्रण और प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडलों को बढ़ावा दिया जाएगा।
  7. **संचालन एवं रखरखाव को आयोजना के एक अनिवार्य घटक के रूप में शामिल करना:** परिसंपत्तियों का प्रभावी और विकेन्द्रीकृत संचालन एवं रखरखाव, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II का मूलमंत्र होगा। SLWM परिसंपत्तियों को प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव योजना से अनुसमर्थित होने पर ही अनुमोदित किया जाएगा, संचालन एवं रख-रखाव के मॉडल, वित्त आयोग
  8. **केंद्रीय स्थानीय स्थितियों के अनुदानों, शुल्कों, PPP के लिए CSR निधि और राजस्व सृजन मॉडल के उपयोग की दृष्टि से, भिन्न ग्राम पंचायतों में भिन्न हो सकते हैं।** इस कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए राज्यों तथा जिलों को स्थानीय स्थितियों के अनुसार उपयुक्त मॉडल का प्रयोग करने की छूट है।
  9. **कम संचालन एवं रख-रखाव लागत वाली प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना:** राज्य ऐसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देंगे जिनको कम संचालन एवं रख-रखाव लागत पर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकें। इससे O&M लागत को पूरा करने के लिए स्थानीय संसाधनों का पर्याप्त होना सुनिश्चित होगा।
  10. **राज्यों को छूट:** राज्यों को अपने लिए उपयुक्त कार्यान्वयन तंत्र का निर्धारण करने और क्षेत्र के मौसम की स्थिति, हाइड्रोजिओलॉजी तथा टॉपोग्राफी के अनुसार उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का चयन करने की छूट होगी। इससे, बेहतर प्रौद्योगिकियों विकल्पों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा जिन्हें समुदाय द्वारा अपनाया तथा उपयोग और प्रचालित किया जा सकता है।
  11. **अधिकतम आर्थिक क्षमता विकास हेतु गांवों का समूह बनाना:** व्यापक स्तर पर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, जहां भी आवश्यक तथा संभव हो, स्थलांकृति, निकटता, कचरे की दुलाई की दूरी, समय, श्रम, सामग्री, भूमि उपलब्धता आदि जैसे उपयुक्त मापदंडों के आधार पर ग्राम पंचायतों के विभिन्न गांवों का एकल परियोजना के अंतर्गत समूहन किया जा सकता है।
  12. **गंगा तथा अन्य जल निकायों के किनारों पर स्थित गांवों को प्राथमिकता देना:** राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि SLWM व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन के लिए, गंगा किनारे पर स्थित गांवों को प्राथमिकता दी जाए। इसके बाद, अन्य प्रमुख जल निकायों (नदियों, झारनों, तटीय क्षेत्रों आदि) के किनारों पर स्थित गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी।





## स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II के घटक

सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित घटकों के आधार पर, परंतु उन तक सीमित न रहते हुए, एक विस्तृत कार्यान्वयन रणनीति और योजना बनाएंगे:

### 5.1 वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों का निर्माण

नए परिवार के रूप में चिह्नित परिवारों/ छूटे हुए परिवारों, जिन्हें जिले द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा मदद दी जाएगी। एक विधिवत रूप से निर्मित वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय में i) एक अधःसंरचना (जिसमें मानव मल सुरक्षित रूप से एकत्रित किया जाता है और मल के पूरी तरह से विघटित होने से पहले

मानव द्वारा इसके निकाले जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है), ii) एक उपरी संरचना, और iii) हाथ धोने और सफाई के लिए जल भंडारण की सुविधा की व्यवस्था जिससे समुचित व्यक्तिगत साफ-सफाई सुनिश्चित हो सके, होंगी।

इस मिशन का लक्ष्य सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित शौचालय उपलब्ध कराना है और इसलिए शौचालय के चयन में सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का होना एक महत्वपूर्ण घटक है। ट्रिवन पिट, सोक पिट युक्त सेप्टिक टैंक, इको-सेन और बायो-शौचालय आदि कई सुरक्षित स्वच्छता तकनीक उपलब्ध हैं। हालांकि भारत सरकार टोपोग्राफी, भूजल स्तर, मिट्टी की स्थिति आदि के आधार पर राज्यों को उपयुक्त तकनीक का चयन करने की छुट देती है, उचित रूप से निर्मित ट्रिवन पिट शौचालयों के कई लाभ हैं जैसे कम-लागत, आसानी से निर्माण और पानी की कम खपत। राज्य अन्य सुरक्षित तकनीकों का भी विकास कर सकते हैं राज्य उपलब्ध तकनीकों तथा उनकी लागत के विषय में लाभार्थी को सूचना प्रदान करेंगे ताकि लाभार्थी उपयुक्त विकल्प का चयन कर सके।

गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार और गरीबी रेखा से ऊपर के चिह्नित परिवार (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजनों के परिवार, अधिवास वाले भूमिहीन परिवार, लघु और सीमान्त किसानों तथा महिला प्रधान परिवार), वैयक्तिक घरेलू शौचालय के निर्माण, जिनमें व्यक्तिगत साफ-सफाई सुनिश्चित करने हेतु, हाथ धोने तथा सफाई के लिए जल भंडारण की सुविधा शामिल है, के लिए 12,000 रुपये की

प्रोत्साहन राशि पाने के पात्र होंगे। इस प्रोत्साहन राशि का लक्ष्य शौचालय की पूर्ण लागत की प्रतिपूर्ति नहीं है बल्कि इससे लोगों में सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन लाने में सहायता करना है जिससे वे अपने शौचालय का निर्माण स्वयं करें।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि देने के लिए पात्र परिवारों का चयन करते समय, निम्नलिखित क्रम से प्राथमिकता देना सुनिश्चित किया जाएगा:

- क. गरीबी रेखा से नीचे के (BPL) परिवार
- ख. गरीबी रेखा से ऊपर के (APL) परिवार

- i) अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
- ii) दिव्यांगजनों के परिवार (दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय सुनिश्चित किया जाए)
- iii) अधिवास वाले भूमिहीन परिवार
- iv) लघु किसान
- v) सीमान्त किसान
- vi) महिला प्रधान परिवार

प्राथमिकता के उपर्युक्त क्रम को सुनिश्चित करते हुए, निम्नलिखित वाले परिवारों को कवर करने (ऊपर दिए गए प्रत्येक वर्ग में) को प्राथमिकता दी जाए:

- » वृद्ध-पेशन धारी/ विधवा-पेशन धारी/ दिव्यांगजन-पेशन धारी (राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) लाभार्थी) ट्रांसजेंडर्स।
- » केंद्र और राज्य सरकार के मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रमों, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना सहित, में कवर की गई गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली माताएं, और
- » बालिकाओं को लाभ देने वाली किसी भी योजना के अंतर्गत कवर की गई बालिका

ऐसे परिवारों की पहचान ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम सभा की बैठक करके की जानी चाहिए और ब्लॉक तथा जिला स्तर के प्राधिकारियों द्वारा इनका अनुमोदन किया जाना चाहिए। तत्पश्चात ऐसे नए परिवारों का विवरण आधार सीडिंग के साथ, इस संबंध में भारत सरकार के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, DDWS के SBM(G) IMIS पर प्रविष्ट किया जाना

चाहिए।

उपर्युक्त प्रोत्साहन योजना के लिए अपात्र APL परिवारों को अपना घरेलू शौचालय स्वयं बनाने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित किया जाएगा।

सभी BPL तथा APL परिवारों को अपने शौचालय का प्रशिक्षित राजमस्त्रियों द्वारा स्व-निर्माण कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि स्थायित्व के लिए मानक रूपरेखा विनिर्देशों के

घरेलू और सामुदायिक शौचालय निर्माण के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भूजल तथा जल स्रोत दूषित न हो। इसके लिए, गड़ों की गहराई आदि के लिए मानक रूपरेखा विनिर्देशों और जल स्रोतों से सुरक्षित दूरी रखने का पालन किया जाना चाहिए।

अनुसार सुरक्षित तकनीक का उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

## 5.2 शौचालयों की मरम्मत (रेट्रोफिटिंग)

शौचालयों की मरम्मत एक ऐसा कार्य अथवा उपाय है जिससे किसी शौचालय की कार्यशीलता और स्वच्छता व्यवस्था की स्थिति सहित मल प्रबंधन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली तकनीकी त्रुटि/ समस्या का निपटान किया जाता है जैसे खराब निर्मित गड्ढे, दोषयुक्त पाइप और चैबर, २ जंक्शन का न होना, कमज़ोर अथवा दूटा हुआ उपरी ढांचा, पिट का ढक्कन और

प्लिंथ की घटिया नींव, गड्ढों के बीच अनुचित दूरी, गड्ढों की गहराई अथवा गलत तरीके से बने सेप्टिक टैंक। इन तकनीकी समस्याओं को सामान्यतः कम लागत और आसान उपायों से दूर किया जा सकता है जो सुजल और स्वच्छ गांव के लिए DDWS द्वारा तैयार 5 दिन की संसाधन पुस्तिका में दिए गए हैं। राज्य और जिले, जहां भी आवश्यकता हो, आवश्यक IEC और IPC कार्यकलापों को अपनाकर परिवारों को उनके शौचालयों की मरम्मत कराने के लिए प्रेरित करेंगे।

## 5.3 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (CSC) का निर्माण

100 से अधिक घरों वाले ODF प्लस गांवों में कम से कम एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण करने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए जिससे अस्थायी/ प्रवासी आबादी की स्वच्छता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ग्राम पंचायत सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए उपयुक्त स्थान का निर्धारण करेगी जो सबके लिए सुगम्य हो, पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता हो और जहां लम्बी अवधि तक संचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित किया जा सके। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों, गांव के सबसे गरीब और/ या प्रवासी मजदूरों/ अस्थायी आबादी आदि वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाए।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सुविधा होनी चाहिए और उनमें पर्याप्त संख्या में शौचालय सीट, स्नानघर, कपड़े धोने का चबूतरा, हाथ



<sup>2</sup>[https://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/writereaddata/Portal/Images/pdf/Sujal%20and%20Swachh%20Gaon\\_5-day%20Manual%20\(6%20Sept\).pdf](https://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/writereaddata/Portal/Images/pdf/Sujal%20and%20Swachh%20Gaon_5-day%20Manual%20(6%20Sept).pdf)

धोने का बेसिन आदि होंगे। सामुदायिक स्वच्छता परिसर को दिव्यांजनों के उपयोग के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए वित्तीय सहायता, कार्यक्रम वित्तपोषण खंड में दिए गए वित्तपोषण मानदंडों के अनुसार दी जाएगी। तथापि, ऐसी परियोजनाओं को बनाने के लिए PPP मोड तथा ऐसे परिसरों की संचालन एवं रख-रखाव लागत को पूरा करने के लिए 'स्व-राजस्व सृजन मॉडलों' पर बल दिया जाएगा। ऐसे परिसरों के संचालन और रख-रखाव का दायित्व ग्राम पंचायत का होगा। जहां भी संभव हो, ग्राम पंचायत 'भुगतान तथा उपयोग मॉडल' के माध्यम से सामुदायिक स्वच्छता परिसर का संचालन एवं रख-रखाव करने का प्रयास करेंगी।

वैयक्तिक घरेलू शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए तकनीकी विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर-वनीय उद्देश्यों के लिए लोगों के लाभ हेतु सामुदायिक शौचालयों के निर्माणार्थ वन भूमि का उपयोग करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिनांक 8 नवंबर, 2016 के दिशानिर्देश अनुलग्नक-XIV पर संलग्न है।

## 5.4 ठोस कचरा प्रबंधन कार्य

गांवों में कृषि सम्बंधित और मवेशियों के अपशिष्ट सहित जैविक कचरे के लिए पर्याप्त संख्या में वैयक्तिक तथा सामुदायिक कम्पोस्ट गड्ढे होने चाहिए और प्लास्टिक कचरे के लिए समुचित पृथक्करण और एकत्रण प्रणाली होनी चाहिए। राज्यों को उनकी आवश्यकता और परिपेक्ष्य के अनुसार तकनीकों का चयन करने की छुट होगी।

ठोस कचरा प्रबंधन के कार्य को ग्राम पंचायतों द्वारा किसी एजेंसी/ व्यक्तियों के समूह को नियोजित करके या राज्य सरकार/ जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यान्वयित किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों की संख्या और स्थान, ग्राम सभा/ ब्लॉक/ जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित और जैसा कार्य योजना में निर्दिष्ट है के अनुसार होनी चाहिए। विशेष रूप से ब्लॉक और जिला स्तरों पर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों का चयन उनके पिछले कार्य अनुभव, तकनीकी क्षमता तथा कम भुगतान में अधिक कार्य के आधार पर ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए।

### 5.4.1 बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ग्रामीण क्षेत्रों में बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन हेतु अधिमानित पद्धति के रूप में कंपोस्टिंग पर बल देता है। तथापि, राज्यों को उनकी स्थानीय स्थितियों के आधार पर सबसे उपयुक्त तकनीक को चुनने की छुट है।

बायो-डिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन के लिए तकनीकों और प्रबंधन के विकल्प अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

#### 5.4.1.1 कंपोस्टिंग

कंपोस्टिंग ठोस कचरा प्रबंधन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें ठोस कचरे के ऑर्गेनिक घटकों को जैविक रूप से विघटित किया जाता है और नियंत्रित स्थितियों में ऐसे रूप में परिवर्तित किया जाता है जिससे उसे पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डाले बगैर आसानी से प्रबंधित, स्टोर किया जा सकता है या मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में थर्मोफिलिक तापमान बनता है और जैविक रूप से उत्पन्न इस गर्मी के कारण अंतिम उत्पाद (कम्पोस्ट) कीटाणुओं और पौधों के बीज से मुक्त तथा स्थिर होता है और उसे लाभ के लिए मिट्टी में मिलाया जा सकता है।

#### क. घरेलू स्तर पर कम्पोस्ट गड्ढा

घरेलू स्तर के कंपोस्ट गड्ढे का चयन वहां किया जाना चाहिए जहां जगह उपलब्ध हो, पेयजल स्रोत से दूर हो और जहां कभी भी जलभराव न होता हो। इसके लिए वित्तपोषण, अभिसरण के माध्यम से किया जाएगा।

#### विशेष विवरण और आकार

- » प्रत्येक गड्ढे का आकार उसमें 6 महीने का बायो-डिग्रेडेबल कचरा डालने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।
- » गड्ढे का आकार: 5 अथवा 6 सदस्यों वाले परिवार के लिए लंबाई 1 मीटर x चौड़ाई 60 सेंटीमीटर x गहराई 1 मीटर।
- » आवश्यकता के अनुसार बड़े परिवारों के लिए बड़े आकार के गड्ढे।

#### ख. सामुदायिक स्तर का कंपोस्ट गड्ढा

न्यूनतम 100-150 परिवारों के लिए कम से कम 3.6 मीटर x 1.5 मीटर x 0.9 मीटर (लम्बाई / चौड़ाई / ऊँचाई) (4.86 घन मीटर) आकार का सामुदायिक स्तर का कंपोस्ट गड्ढा बनाया जा सकता है तथा सृजित कचरे की मात्रा के आधार पर गड्ढे का आकार अलग हो सकता है। 100-150 परिवारों के लिए बने कंपोस्ट गड्ढे की एक इकाई में 4.86 घन मीटर क्षमता के दो अलग अलग गड्ढे होने चाहिए। जब छ: माह में पहला गड्ढा भर जाए तो दूसरे गड्ढे का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब तक दूसरा गड्ढा भरेगा, पहले गड्ढे से कम्पोस्ट को निकाल कर उपयोग किया जा सकता है।

**कंपोस्ट गड्ढा बनाने के लिए स्थल के चयन के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।**

- (1) गड्ढे का स्थान निचले क्षेत्र में और जलजमाव ग्रस्त क्षेत्र अथवा जल निकायों के पास के क्षेत्र में नहीं हो।



- (2) स्थल कचरे और खाद की ढुलाई के लिए आसानी से पहुंचने योग्य होना चाहिए।
- (3) जिन स्थानों पर जल-स्तर ऊँचा हो और सतह के नज़दीक हो उन्हें कम्पोस्ट गड्ढे के निर्माणार्थ नहीं चुना जाना चाहिए।
- (4) हवा के बहाव की दिशा को ध्यान में रखते हुए स्थल का चयन किया जाए ताकि रिहायशी क्षेत्रों में दुर्गम्थ न आए।
- (5) गड्ढे में पानी के रिसाव को रोकने के लिए गड्ढे के चारों ओर एक बंध बनाया जाए।
- (6) मिट्टी की स्थिति के अनुसार गड्ढे की दीवार सीधी या ढाल वाली बनाई जाए।
- (7) स्थल की आवश्यकताओं और भूमि उपलब्धता तथा सृजित जैविक कचरे की मात्रा के अनुसार गड्ढे की संख्या और उसके आकार में बदलाव किया जा सकता है।
- (8) यदि वहां औद्योगिक/ वाणिज्यिक/ बाजार केंद्र हों तो सृजित कचरे की मात्रा के अनुसार अतिरिक्त गड्ढों का निर्माण किया जाएगा।
- (9) सृजित कचरे की मात्रा, बस्तियों की संख्या और परिवारों की संख्या तथा कंपोस्ट गड्ढे खोदने के लिए उपलब्ध ज़मीन के आधार पर, आवश्यकतानुसार गड्ढे के समूह में उपयुक्त बदलाव किया जा सकता है। गड्ढों के बीच की दूरी कम से कम 1.5 मीटर होनी चाहिए।
- (10) जहां भी संभव हो, एक बस्ती को एक इकाई के रूप में रखते हुए गड्ढों की खुदाई की जानी चाहिए।

यदि बस्तियों की आबादी बहुत कम हो, तभी दो अथवा अधिक बस्तियों के समूह के लिए गड्ढों की खुदाई की जाए।

#### **5.4.1.2 गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio Agro Resources-dhan)**

गोबर-धन, SLWM का एक अभिन्न अंग है जो ग्रामीणों के जन जीवन में सुधार हेतु मवेशियों के कचरे, रसोई के अपशिष्ट, फसल के अवशेष और बाजार के कचरे सहित जैव अपशिष्टों को बायोगैस और बायो-स्लरी में बदलकर गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करता है। यह किसानों और परिवारों को आर्थिक लाभ तथा संसाधन उपलब्ध कराने में भी उपयोगी है।

गोबर-धन परियोजनायें, मवेशियों के गोबर और ठोस कृषि कचरे को बायोगैस और बायो-स्लरी में परिवर्तित करने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन देकर, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिकवरी में सहायता देती हैं। ग्राम पंचायतें, कम्पोस्ट और वर्मी कम्पोस्ट बनाने जैसी अन्य पहल के साथ अधिकतम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रिकवरी के लिए इस परियोजना को कार्यान्वित कर सकती हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत गोबर-धन परियोजनाओं को निचले स्तरों पर बढ़ावा देने के लिए (एक ल्लॉक में न्यूनतम 10 परियोजनाएं चलाई जानी है), जिला स्तर पर आदर्श गोबर-धन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता (कार्यक्रम वित्तपोषण खंड के अंतर्गत यथा-निर्धारित) दी जाएगी। आदर्श गोबर-धन परियोजनाओं के लिए, जिलों में अधिमनातः गौशालाओं के पास सामुदायिक स्तर की परियोजनाएं चलाई जानी चाहिए ताकि जैविक अपशिष्ट निर्बाध रूप से प्राप्त होता रहे और परियोजनाएं दीर्घकाल तक स्थायी बनी रहें और साथ ही साथ व्यापार मॉडल को भी बढ़ावा मिले। तथापि, जहां भी उपयुक्त हो, जिलों को घरेलू स्तर की

परियोजनाएं लगाने की भी छूट होगी। गोबर-धन परियोजनाओं को लगाने से सम्बंधित दिशा-निर्देश अनुलग्नक-III पर दिए गए हैं।

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की SATAT स्कीम के अंतर्गत स्थापित CBG (कंप्रेस्ड बायो गैस) संयंत्रों के आस-पास स्थित पेरी-अर्बन व अन्य गांवों में सृजित बायोडिग्रेडेबल कचरे का उपयोग इन CBG संयंत्रों में किया जा सकता है।

#### 5.4.2 प्लास्टिक कचरा प्रबंधन

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का तात्पर्य पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित तरीके से प्लास्टिक कचरे का एकत्रण, भंडारण, ढुलाई और निपटान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्य किये जाने की आवश्यकता है:

- क) प्लास्टिक कचरे का पृथक्करण, संग्रहण, भंडारण, ढुलाई और पुनर्चक्रण योग्य भाग को पंजीकृत पुनर्चक्रण एजेंसियों को भेजना; यह सुनिश्चित करना कि इस प्रक्रिया में पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे।
  - ख) सभी हितधारकों में उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना।
  - ग) प्लास्टिक कचरे को खुले में जलाने पर रोक लगाना।
- प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के कार्यान्वयन में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:
- » ग्राम स्तर पर भंडारण की सुविधा
  - » जिला/ ब्लॉक स्तर पर सामग्री रिकवरी सुविधा/ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई

#### ग्राम स्तर पर कार्य योजना तैयार करना - मार्गदर्शन टिप्पणी

गांव की समग्र कार्य योजना के भीतर, ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस कचरा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए:

- क) विभिन्न स्तरों पर अर्थात् घरेलू स्तर, संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, वाणिज्यिक क्षेत्र और बाजारों में सृजित कचरे (प्रकार और मात्रा) का आकलन करना।
- ख) प्रत्येक घर, वाणिज्यिक केंद्रों, संस्थानों में कचरे का पृथक्करण और उसे ग्राम पंचायतों की एकत्रण सुविधा केंद्र पर भेजना।
- ग) संग्रहण और एकत्रण केंद्र की स्थापना (ग्राम स्तर पर शेड बनाना): ढुलाई लागत को प्रणालीबद्ध तरीके से कम करने के लिए नए बनने वाले तथा मौजूदा एकत्रण केंद्रों से जोड़ बनाया जाये। इससे उद्यमियों/ ग्राम पंचायतों/ SHG के लिए कचरा संग्रहण व्यवहार्य होगा।

- घ) सभी अग्रेषण संपर्क स्थापित करना और उनको योजना दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना।
- ड) इन संग्रहण तथा एकत्रण केंद्रों से प्लास्टिक कचरे को ब्लॉक या जिला स्तर पर ले जाना जहां प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र (PWMC) स्थापित किए जाएंगे। ऐसे केंद्रों में एकत्रित प्लास्टिक कचरे की मात्रा को घटाने के लिए एक कटाई और बेलिंग मशीन लगी होगी।
- च) प्लास्टिक कचरे के संग्रहण और ढुलाई के लिए, एक ही वाहन में जैविक और गैर-जैविक कचरे के लिए विभाजन बनाकर उपयोग किया जा सकता है।
- छ) जिले के स्क्रैप व्यापारियों की सूची बनाई जाए और उसे इस योजना में शामिल किया जाए। यदि संभव हो तो, आसपास में या 150-200 किलोमीटर के अन्दर स्थित सीमेंट उद्योगों का नाम और विवरण सूचीबद्ध किया जाए।
- ज) कटे हुए छोटे टुकड़ों तथा बेल्ड प्लास्टिक कचरे का सड़क निर्माण में उपयोग किया जा सकता है (ref. using plastic in construction of roads in the Indian Road Congress Code SP 98-2013) अथवा सीमेंट उद्योगों में सह-प्रसंस्करण के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- झ) ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों के माध्यम से कचरा संग्रहण किया जाए। राज्य, प्लास्टिक कचरे के संग्रहण के लिए निजी अथवा SHG आधारित अंतिम उपयोग वाले उद्यमियों को बढ़ावा दें और उन्हें ग्राम अथवा ग्राम पंचायत स्तर पर औपचारिक संविदा प्रदान करें और साथ ही उन्हें प्लास्टिक एकत्रण बिंदुओं से जोड़ा जाए।

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए ग्राम स्तर और ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक कचरा पृथक्करण और संग्रहण प्रणालियाँ स्थापित करने तथा प्रबंधन के विकल्पों का विवरण अनुलग्नक-IV पर दिया गया है।

#### 5.5 तरल कचरा प्रबंधन कार्य

गांव में रसोई तथा स्नान घर से निकलने वाले गंदले जल और बारिश के पानी के लिए निजी/ सामुदायिक सोक पिट्स उपलब्ध कराए जाएं। आवश्यकता के अनुसार, सेटिक टैक्स के अतिप्रवाह से निकले गंदे पानी (ब्लैक वाटर) के लिए भी उपयुक्त शोधन प्रणालियों की व्यवस्था की जाए। राज्यों को उनकी आवश्यकताओं और परिपेक्ष्य के अनुसार, प्रौद्योगिकियां अपनाने की छूट होगी।

### 5.5.1 गंदले जल का प्रबंधन

गंदला जल प्रबंधन कार्यों को जल जीवन मिशन के तहत ग्राम कार्य योजना में शामिल गांवों में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के अनुरूप चलाया जाएगा। गंदला जल प्रबंधन कार्य कलापों को डिजाइन करते समय गंदले जल की मात्रा, गंदले जल का बहाव, उत्प्रवाह व्यवस्थाएं आदि पर ध्यान दिया जाएगा।

#### गंदला जल प्रबंधन गतिविधियाँ निम्नानुसार संचालित की जाएंगी:

- » 5000 से कम आबादी वाले गांवों को उनके इलाके, भू-जल स्तर और आबादी के घनत्त के आधार पर, सामुदायिक स्तर के सोक पिट्स की योजना बनानी चाहिए। तथापि, जमीनी स्तर की स्थितियों को देखते हुए, राज्यों को गंदले जल की निकासी की प्रणालियों जैसे भूमिगत/ छोटे बोर के सीवरों/ बंद नालियों और बड़े गांवों के लिए सुझाई गई WSP/DEWATS/ निर्मित आर्द्धभूमि तथा अन्य शोधन प्रणालियों को, 15वें वित्त आयोग के अनुदानों और अन्य राज्य निधियों से अभिसरण करके अतिरिक्त निधियों की सहायता से अपनाने की छुट होगी।
- » 5000 से अधिक आबादी वाले गांव अपने इलाके, भू-जल स्तर और जलवायुगत परिस्थितियों के आधार पर, भूमिगत/ छोटे बोर के सीवर/ बंद नालियों जैसी निकासी प्रणाली और WSP/DEWATS/ निर्मित आर्द्धभूमि जैसी शोधन तकनीकों और अन्य शोधन प्रणालियों की योजना बनाएं।

गंदले जल के प्रबंधन के लिए बड़े गांवों (**5000 से अधिक आबादी वाले**) को प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा, गंदले जल के प्रबंधन के लिए गांवों का चयन करते समय, जल जीवन मिशन के साथ तालमेलपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि जिन गांवों में नल जलापूर्ति हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति देने की योजना है, उनकी पहचान की जा सके।

ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग के अनुदानों से और/ अथवा मनरेगा या राज्य या केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करके गांव में नालियों (गंदले पानी की घरों से उसके निपटान अथवा प्रबंधन बिंदु तक निकासी) उपलब्ध करानी है। नालियों से गंदले जल को ऊपर बताये गए किसी एक शोधन तंत्र में पहुंचाया जाना होगा न कि किसी नदी, तालाब, प्राकृतिक जल निकाय या किसी खाली ज़मीन में उसे बहाया जाए।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ग्रामीण क्षेत्रों में गंदले जल के प्रबंधन के लिए, चयनित पद्धति के रूप में सोक पिट्स को बढ़ावा देता है। तथापि, राज्यों को स्थानीय स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त तकनीकी विकल्प का चयन करने की छूट है। गंदले जल के प्रबंधन के लिए तकनीकी और प्रबंधन विकल्प अनुलग्नक-V पर दिए गए हैं।

### 5.6 मलीय कचरा (FSM) प्रबंधन

मलीय कचरा प्रबंधन उन घरों के लिए किया जाएगा जहां रेट्रोफिटिंग संभव नहीं है।

मलीय कचरा प्रबंधन में निम्नलिखित कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का विवेकपूर्ण रूप से चयन किया जाना है: ट्रैचिंग, सह-शोधन अथवा मलीय कचरा प्रबंधन संयंत्र। पेरी-अर्बन अथवा घनी आबादी वाले गांवों, जिनमें घरों में सेप्टिक टैक हो सकते हैं, के लिए जहां संभव हो पास के शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध सीवेज शोधन प्लांट (STP) सुविधाओं का उपयोग किया जाना चाहिए।

**मलीय कचरा प्रबंधन प्रणाली (FSMS):** यदि मलीय कचरे की वाहन ढुलाई के लिए दूरी अधिक लम्बी होने के कारण उसका सह-शोधन करना संभव न हो तभी FSMS पर विचार किया जाएगा। FSMS किसी एक बड़े गांव या गांवों/ ग्राम पंचायत समूह के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कार्यकलाप द्वारा चलाया जा सकता है।

- क) पंक्ति में गहरी खाइयां बनाना: यह विकल्प उन गांवों के समूह के लिए अपनाया जा सकता है जहां कम मात्रा में मलीय कचरा इकट्ठा होता है। यह तकनीक जल निकायों (नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों) के समीप वाले गांवों और जहां भूजल स्तर ऊँचा हो, के लिए उपयुक्त नहीं है।
- ख) मलीय कचरा शोधन संयंत्र - वनस्पति युक्त / वनस्पति रहित शुष्क भूमितल: जिन गांवों के समूह में काफी मात्रा में मलीय कचरा सृजित होता हो उनमें इस विकल्प को अपनाया जा सकता है।

उपरोक्त वर्गीकरण केवल संकेतिक है तथा अधिक विवरण अनुलग्नक-VI पर दिया गया है।

## FSM कार्यान्वयन दृष्टिकोण मैट्रिक्स

कन्टेनमेंट का प्रकार	परिपेक्ष्य अथवा मुद्दा	उपाय	अन्य विकल्प
टिवन पिट प्रणाली	१ जंकशन में रिसाव	मरम्मत	पिट खाली करने से प्राप्त कचरे की सह-कंपौसिटिंग अथवा लंबे समय तक भंडारण के साथ धूप में सुखाने की सिफारिश की जाती है।
	गड्ढों के बीच 1 मीटर से कम की दूरी	मरम्मत	
	गड्ढों के किनारों से वर्षा जल का गड्ढे में बहना	मरम्मत	
	उच्च जल स्तर क्षेत्रों में अथवा भू-जल स्रोत से अत्यधिक समीपता	स्थानीय स्तर पर शोधन हेतु अपग्रेड करें	FSM कार्यान्वित करें।
एकल पिट	सभी एकल पिट के उन्नयन पर विचार किया जाएगा; उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों अथवा भू-जल स्रोत से अत्यधिक नज़दीक वालों को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी	स्थानीय स्तर पर शोधन हेतु अपग्रेड करें	FSM कार्यान्वित करें।
सेप्टिक टैंक	सेन्सस टाइन अथवा शहरों के पास स्थित (पेरी-अर्बन) क्षेत्रों के लिए लागू	प्रति 3-5 वर्षों में (आवश्यकतानुसार) मलीय कचरा खाली करें	FSM कार्यान्वित करें।

### DWSM/ DWSC द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शी बिन्दुओं का पालन करते हुए एक ज़िला FSM योजना बनाई जाए:

- » केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं अथवा किसी निजी संस्थान द्वारा जिले में स्थापित किए गए मौजूदा सीरेज शोधन संयंत्र (STP) और मलीय कचरा प्रबंधन संयंत्र (FSMP) की संख्या, क्षमता और स्थान का आकलन। जिले के स्तर पर सभी STP/FSMP के बुनियादी निकटता विश्लेषण से उन गांवों की संख्या का पता चलेगा जिन्हें सह-उपचार के विकल्प के साथ कवर किया जा सकता है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक नए मलीय कचरा प्रबंधन संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता को कम करता है।
- » एकल पिट/ सेप्टिक टैंक युक्त शौचालयों वाले घरों की संख्या का आकलन।
- » नियमित अंतराल पर सेप्टिक टैंक और गड्ढे वाले शौचालयों को खाली किए जाने की आवश्यकता।
- » व्यवसाय मॉडल अथवा केंद्र या राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के अभिसरण से गड्ढों की यंत्रीकृत सफाई/ खाली करना और मल की शोधन बिंदु तक ढुलाई सुनिश्चित करना।
- » स्थानीय परिपेक्ष्य के लिए सबसे उपयुक्त तकनीक का चयन।
- » संचालन और रख-रखाव संबंधी आवश्यकताएँ और लागत।

FSM स्थापित करने के लिए स्थान की पहचान करना:

DWSM/ DWSC को FSM के लिए स्थान/ स्थल की पहचान करते समय निम्नलिखित बातों को सुनिश्चित करना है:

- » स्थान सुगम्य हो, उसमें शेड, कमरे और मलीय कचरा लाने वाले वाहनों और अन्य वाहनों को पार्क करने की पर्याप्त जगह हो
- » स्थान किसी जल निकाय के समीप न हो, उनमें संदूषण हो सकता है
- » स्थान विवादित न हो और स्पष्ट रूप से पट्टेदारी स्थापित हो
- » इससे उस क्षेत्र के सौदर्य और वातावरण को कोई क्षति न हो

निर्माण और प्रबंधन के लिए एजेंसी की पहचान करना:

DWSM/DWSC द्वारा FSM इकाई के निर्माण, स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन के लिए एजेंसियों द्वारा Expression of Interest प्राप्त करने के लिए विज्ञापन दिया जाना चाहिए। केवल ऐसी एजेंसी का चयन किया जाए जिसे:

- » FSMS के प्रबंधन का पूर्व अनुभव हो अथवा जो इस संबंध में अपनी तकनीकी क्षमता प्रदर्शित कर चुकी हो
- » राजस्व सूजन मॉडल के साथ इकाई को संचालित करने का वाणिज्यिक कौशल प्राप्त हो
- » जो सबसे अधिक दक्ष हो

## संचालन एवं रख-रखाव

जिले द्वारा कृतिपय मानदंडों pewmes APL/BPL परिवारों, अवसंरचनाओं के प्रकार अर्थात् गड्ढे, सेप्टिक टैंक के लिए विशिष्ट दरें, और प्रबंधन स्थलों की दूरी के आधार पर, मलीय कचरा खाली करने का शुल्क तय किया जाना चाहिए। जिले, मलीय कचरा प्रबंधन प्रणाली के संचालन एवं रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। SHG, उद्यमियों और स्वैच्छिक संगठनों को

भाग लेने और शोधन करने तथा अंतिम उत्पाद की वाणिज्यिक बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आशा है कि राजस्व सृजन मॉडल और लागू प्रावधानों के अनुसार ब्याज सहायता के माध्यम से वित्तपोषण द्वारा, उपरोक्त से संचालन एवं रख-रखाव स्थायी हो सकेगा।





## सूचना, शिक्षा और संचार (IEC)

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II का उद्देश्य केवल खुले में ODF प्लस गांवों के लिए बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि बेहतर स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई की आदतों को अपनाने के लिए जनता में व्यवहार परिवर्तन करना भी है। इसलिए IEC रणनीति, योजना और उनका प्रभावी कार्यान्वयन इस मिशन की सफलता की कुंजी है। इसे देखते हुए, IEC गतिविधियों को एक अलग गतिविधि या मिशन के 'घटक' के रूप में नहीं माना जाना है, बल्कि यह मिशन ही बड़े पैमाने पर प्रभावी IEC द्वारा समुदायों के सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता आदतों को अपनाने पर जोर देने के लिए बनाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन चरण-II में IEC की एक महत्वपूर्ण विशेषता स्वच्छ भारत मिशन चरण-II की प्रमुख गतिविधियों के माध्यम से व्यक्तिगत साफ-सफाई को बढ़ावा देना होगी जैसा सूचीबद्ध किया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II में IEC और क्षमता निर्माण हेतु कुल परियोजना व्यय के 5% अंश तक का प्रावधान होगा जिसमें से 2% तक केंद्रीय स्तर पर 3% तक राज्य/जिला स्तर पर उपयोग किया जाना है।

राज्य स्तर पर 3% अंश का उपयोग IEC/ व्यवहार परिवर्तन कार्य (BCC)/ अंतर-वैयक्तिक संप्रेषण (IPC) और सभी संबंधित संचार गतिविधियों और क्षमता निर्माण पर किया जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों/ विशेष श्रेणी के राज्यों जहां अंशदान का अनुपात 90:10 है, को छोड़कर, राज्य सरकारों को सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के 60:40 अंशदान अनुपात में IEC के लिए निधियों के अपने हिस्से को जारी करना होगा।

### 6.1 IEC में राज्यों की भूमिका

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश IEC/ BCC गतिविधियों का नेतृत्व करेंगे और वे राज्य भर में BCC कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार होंगे।

» **निधि आबंटन:** राज्य स्तर की कार्यान्वयन एजेंसी, IEC और क्षमता निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित किए गए 3% निधि अंश में से, राज्य और जिलों द्वारा व्यय किए जाने वाले धन के अनुपात का निर्धारण कर सकती है।

- » **BCC / IEC रणनीति आयोजना:** राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी जिला स्वच्छता योजनाओं के हिस्से के रूप में सभी जिलों के लिए IEC/BCC गतिविधियों की आयोजना की जाए और इसे बजट में शामिल किया जाए। IEC की राज्य-स्तर की योजना को राज्य स्तरीय योजना मंजूरी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- » **राज्य स्तर की गतिविधियां संचालित करना:** राज्य स्वयं के IEC अभियान तैयार करेंगे, केंद्र के IEC अभियानों को सुदृढ़ करेंगे और जिलों द्वारा संचालित स्थानीय IEC अभियानों के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे।
- » **राज्यों की अन्य भूमिकाएँ**
  - » राज्य और जिला स्तर पर मानव संसाधन व्यवस्था में IEC से संबंधित सभी पदों को भरा जाना सुनिश्चित करना।
  - » राज्य में व्यक्तिगत साफ-सफाई को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ IEC/ BCC योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त एजेंसियों को नियोजित करना, विकास भागीदारों के साथ संपर्क करना और साझेदारी बनाना।
  - » प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करना और यथा समय एकीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली पर उसकी रिपोर्टिंग करना।
  - » स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ज्ञान प्रबंधन पोर्टल 'स्वच्छ संग्रह' में योगदान।
  - » प्रचार और क्षमता निर्माण के लिए जमीनी स्तर पर कर्मचारियों, मीडिया, क्षेत्र के विशेषज्ञों, स्वच्छता नीति शोधकर्ताओं, आदि के साथ ज्ञान साझा करने के लिए समय-समय पर कार्यशालाओं, सम्मेलनों और परामर्शों के लिए सहायता देना।

## 6.2 IEC में जिलों की भूमिका

- » **आयोजना:** जिले, समुदाय के सभी वर्गों तक पहुँचने के लिए उनकी समग्र रणनीति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्यान्वयन योजनाओं के पहले भाग के रूप में एक विस्तृत IEC योजना तैयार करेंगे। यह कार्य जिला स्तर और राज्य स्तर पर IEC सलाहकारों के परामर्श से किया जाना है। अंतर्रैयक्टिक संचार, प्रेरकों के चयन, प्रेरणादायक गतिविधियों आदि के लिए, स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों की मदद ली जा सकती है। IEC तथा BCC योजना को तैयार करने और इसे कार्यान्वयन में विशेषज्ञता प्राप्त अन्य एजेंसियों की सहायता ली जा सकती है। वार्षिक IEC कार्य योजना को DWSC/ DWSM द्वारा अनुमोदित किया जाना है। जिले की IEC योजनाओं को जिला स्वच्छ योजना के संगत भागों में भी रेखांकित किया जाना चाहिए। इस योजना के आधार पर, जिलों को IEC गतिविधियों का एक वार्षिक कैलेंडर तैयार करना है और इसे राज्य मिशन को दिखाना है।
- » **निधियन:** IEC की योजना को लागू करने के लिए ब्लॉक, ग्राम पंचायतों और/ या इसके कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों को IEC घटक के तहत आवश्यक अनुदान प्रदान किया जा सकता है।
- » **स्टाफिंग:** जिला स्तर पर एक या अधिक IEC परामर्शदाताओं का नामांकन सुनिश्चित किया जाए।
- » **सोशल मीडिया का उपयोग:** फेसबुक और टिकटोक के सक्रिय पेजों पर व्यक्तिगत साफ-सफाई को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत जिले द्वारा किए जा रहे काम को प्रदर्शित किया जाए।
- » सभी ग्राम पंचायतों में IEC कार्यान्वयन की निगरानी की जाए।

## 6.3 राज्यों, जिलों और ग्राम पंचायतों के उपयोग के लिए उपलब्ध IEC चैनल्स

- » **अंतर-रैयक्टिक संप्रेषण:** राज्य के IEC अधिदेश के अधिकांश हिस्से में स्थानीय स्तर पर स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई हेतु व्यवहार परिवर्तन को सुदृढ़ करने के लिए अंतर-रैयक्टिक संप्रेषण का उपयोग किए जाना है। राज्यों को व्यक्तिगत, घरेलू और सामुदायिक स्तरों पर व्यवहार परिवर्तन के लिए, ग्राम स्तर पर स्वच्छाग्रहीयों का उपयोग किया जाना है। स्थानीय समुदायों के साथ सीधे जुड़ने के लिए वे जैसे - दीवार पर टि ट्रकारी करने, घर-घर जाकर अभियान चलाने, ग्राम सभा करने, नुक़द नाटक, सामुदायिक रेडियो, स्वच्छता रथ सहित अन्य अंतर-रैयक्टिक संचार के विभिन्न तरीकों के उपयोग से कर सकते हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग भी समय-समय पर अंतर-रैयक्टिक संचार सामग्री तैयार करेगा, जिसे राज्य द्वारा जिलों और ग्राम पंचायतों के माध्यम से सभी गांवों में प्रसारित किया जाना है। इन्हें एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली के माध्यम से जियोटैग और ट्रैक किया जाएगा।
- » **मास मीडिया:** मास मीडिया प्रसार के लिए टीवी/ रेडियो/ सामुदायिक रेडियो पर राष्ट्रीय IEC विज्ञापनों का प्रसार और/ या राज्य-विशिष्ट रचनात्मक सामग्री का रचनात्मक डिजाइन करना।
- » **नई रचनात्मक सामग्री का विकास:** सभी सामग्री/ टेम्प्लेट के विकास को जिला या राज्य मिशन द्वारा, यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ एजेंसियों के परामर्श से, मानकीकृत किया जा सकता है।



- » **सोशल मीडिया का उपयोग:** राज्य/ जिला स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन से संबंधित फेसबुक और टिकटोक पेज को सक्रिय बनाए रखें।
- » **स्थानीय चैपियनों का निरंतर सम्मान करना और स्थानीय प्रसिद्ध व्यक्तियों का उपयोग करना।**
- » **अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग:** सभी स्तरों पर स्वच्छता संदेशों के प्रसारण को बढ़ाने के लिए, स्कूलों, आंगनवाड़ीयों, स्थानीय समूहों, धर्म गुरुओं और स्वाभाविक नेताओं आदि जैसे अन्य संगठनों के साथ सहयोग किया जाए।

#### 6.4 ODF प्लस के लिए प्रमुख IEC संदेश

व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। सभी स्तरों पर सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील और लैंगिकता के प्रति संवेदनशील मनोवृत्ति, केस अध्ययन, सफलता की कहानियों और प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा संदेश के प्रसार के माध्यम से इन संदेशों को प्रभावी तरीके से पहुँचाने के लिए IEC प्रयासों को और बढ़ाना चाहिए:

1. **स्रोत पर कचरे का पृथक्करण:** ठोस और तरल कचरा प्रबंधन का पहला और महत्वपूर्ण कदम है स्रोत पर ही कचरे को पृथक करना। परिवारों को गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग कूड़ेदान में डालने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि दोनों को अलग-अलग एकत्र किया जा सके और गीले कचरे का बायोगैस संयंत्रों अथवा कम्पोस्टिंग द्वारा तथा सूखे कचरे का प्लास्टिक कचरा शोधन द्वारा उपयुक्त प्रबंधन किया जा सके।
2. **प्लास्टिक कचरा प्रबंधन:** 4Rs – Reduce (कम करना), Reuse (पुनःप्रयोग), Refuse (अपशिष्ट), Recycle (पुनःचक्रण) - के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि लोगों को अपने घरों और गांवों में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे को कम करने के तरीकों के बारे में जागरूक किया जा सके। राज्य और जिला शासन हर स्तर पर शून्य प्लास्टिक समारोह के रूप में आयोजित हरित कार्यक्रमों को लोकप्रिय बनाकर एक उदाहरण स्थापित कर सकते हैं।
3. **गंदले जल का प्रबंधन:** परिवारों को अपने रसोई व स्नानघर से सृजित अपशिष्ट जल और वर्षाजल के प्रबंधन के महत्व और उपलब्ध विभिन्न तकनीकी विकल्पों से अवगत कराया जाना चाहिए। इसमें घरेलू या सामुदायिक स्तर पर सोक पिट्स, लीच पिट्स, कचरा स्थिरीकरण तालाब इत्यादि शामिल हैं।

4. **बायो-डिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन:** परिवारों को अपने गीले कचरे का कम्पोस्ट पिट या बायोगैस संयंत्र या घरेलू अथवा सामुदायिक स्तर पर किसी अन्य उपयुक्त जैविक कचरा प्रबंधन तकनीक के माध्यम से, प्रबंधन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
5. **मलीय कचरा प्रबंधन:** परिवारों को उनके घर के शौचालय की तकनीक और इस तकनीक के आधार पर उनके शौचालय के कचरे के प्रबंधन के तरीके के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए। इसमें दो गड्ढों वाले शौचालयों के गड्ढे को खाली करना और एकल गड्ढे तथा सेटिक टैक्कों वाले शौचालयों के लिए अन्य मलीय कचरा शोधन प्रणालियां शामिल हैं।
6. **मरम्मत:** परिवार को यह जानकारी करायें कि क्या उनके शौचालय में मरम्मत की जरूरत है, और इसके लिए कौन से विकल्प और संसाधन हैं जिन्हें वे अपना सकते हैं।
7. **मासिक धर्म संबंधी कचरा प्रबंधन:** राज्य, जिलों और ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत, युवा लड़कियों और महिलाओं के बीच मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलानी है। इसको सोरेट करने के लिए, मासिक धर्म कचरा प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए स्वच्छ भारत मिशन चरण-II के तहत उपलब्ध IEC निधियों का उपयोग किया जा सकता है। किशोरी बालिकाओं और महिलाओं में मासिक धर्म संबंधी कचरे को कम करने के तरीकों जैसे मासिक धर्म कप, पुनःप्रयोज्य सैनिटरी पैड आदि उत्पादों के उपयोग के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए अभियान चलाए जाने हैं।
8. **स्वच्छता संवर्धन:** SBM(G) चरण-II के IEC घटक के तहत प्रमुख स्वच्छता आदतों को बढ़ावा दिया जाए। इसमें पेयजल के उचित रख-रखाव और भंडारण की आदतें, शौचालय का उपयोग करने के बाद और भोजन करने से पहले साबुन से हाथ धोना, स्वच्छता सुविधाओं की सफाई और रख-रखाव (वैयक्तिक शौचालयों के साथ-साथ सामुदायिक स्वच्छता परिसर भी शामिल है), सार्वजनिक स्थानों पर कचरा न फैलाना, सार्वजनिक स्थानों पर न थूकना जैसी आदतें और अन्य व्यवहारिक साफ-सफाई जैसे छींकने, खाँसते वक्त मुँह को ढंकना, संक्रामक महामारी फैलने पर एक-दूसरे से दूरी बनाए रखना आदि शामिल हैं।

सभी स्तर पर स्वच्छता कार्यकर्ताओं के साथ, विशेष रूप से खतरनाक कचरे के सुरक्षित रख-रखाव के बारे में, इसी तरह के अभियान चलाए जा सकते हैं। यह संदेश प्रसारित किया जाना चाहिए कि स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सुरक्षा

उपकरणों का उपयोग अनिवार्य है और स्वच्छता एजेंसियों और ठेकेदारों से बार-बार ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए और सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।

तथापि, शुरुआत में, एक गांव को ODF प्लस घोषित करने के उद्देश्य से यह सुनिश्चित किया जाना है कि (i) ODF स्थायित्व और शौचालय का निरंतर प्रयोग, (ii) साबुन से हाथ धोना, (iii) कम्पोस्ट पिट्स के उपयोग द्वारा बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन, (iv) प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, (v) सोक पिट्स के जरिए तरल अपशिष्ट प्रबंधन; पर कम से कम पांच ODF प्लस IEC संदेशों को गांव में विशेष रूप से दर्शाया गया हो





## क्षमता संवर्धन

ग्रामीण समुदायों में खुले में शौचमुक्त स्थिति की प्राप्ति के बाद, ODF प्लस गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर प्रमुख हितधारकों की क्षमता संवर्धन करने की आवश्यकता होगी। हितधारकों में VWSC, BWSC के DWSM के कार्मिक, ASHA, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, SHG के सदस्य, राजमिस्त्री, CSO/ गैर सरकारी संगठन आदि शामिल हैं। प्रशिक्षण ODF प्लस के विभिन्न पहलुओं पर दिया जा सकता है, जिसमें अंतर-वैयक्तिक संप्रेषण के माध्यम से व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना, डोर-टू-डोर मुलाकात करना, चिनाई का काम, प्लंबिंग, शौचालयों के रख-रखाव का कौशल और अन्य SLWM गतिविधियां शामिल हैं।

### 7.1 सभी हितधारकों का प्रशिक्षण और अभिविन्यास

प्रत्येक जिले की जिला स्वच्छता योजना में जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत को कवर करते हुए प्रशिक्षण संस्थान/ एजेंसी की पहचान, प्रशिक्षण घटकों और इच्छित प्रशिक्षकों और निश्चित समय सीमा के साथ, वार्षिक क्षमता निर्माण कार्य योजना का विवरण दिया जायेगा। इस कार्य की निगरानी जिला प्राधिकारियों और राज्य SBM(G) निदेशालय द्वारा की जाएगी।

ODF प्लस की पहल का नेतृत्व करने और उन्हें बनाए रखने के लिए लोगों की क्षमता निर्माण के लिए संवेदीकरण, जागरूकता सृजन और तकनीकी जानकारियों पर प्रशिक्षण कार्यशालाएं/ पुनर्विन्यास प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे। कठोर तकनीकी प्रशिक्षण के अलावा, राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर अभिविन्यास कार्यशालाएं भी आयोजित की जा सकती हैं:

#### राज्य स्तर

- राज्य, राज्य प्रशिक्षण प्रबंधन इकाइयों (STMU) का गठन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षकों (जिला प्रशिक्षण प्रबंधन इकाइयों के सदस्यों) और क्षेत्रीय प्रशिक्षणों (PRI और क्षेत्र के क्षेत्रीय कर्मियों जैसे स्वच्छग्रहीयों और अन्य स्वच्छता चैंपियन, ASHA, ANM, शिक्षकों आदि) के लिए एक प्रशिक्षण योजना बनाई जाए।

- इस कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में मिशन के कर्मचारियों को मदद देने के लिए ट्रैमासिक आधार पर राज्य और जिला IEC और/ या क्षमता निर्माण योजनाएँ (ODF प्लस की अतिरिक्त थीम्स पर, आवश्यकतानुसार) तैयार की जाएंगी।
- राज्य और जिला स्तर पर उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और देखरेख राज्यों द्वारा की जाएगी।

#### जिला स्तर

- जिले, जिला प्रशिक्षण प्रबंधन इकाइयों (DTMU) का गठन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सदस्य (TOTs) को पूरा करें ताकि पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए क्षमता सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम आयोजित करने में उन्हें सहायता मिल सके।
- जिला प्रशिक्षण प्रबंधन इकाई उपरोक्त प्रशिक्षणों के कार्यक्रम का कैलेंडर तैयार करेंगी और यह भी सुनिश्चित करेंगी कि प्रशिक्षणों को निर्धारित समय के अनुसार पूरा किया जाए।
- ODF प्लस के लिए इसकी निगरानी और मूल्यांकन सहित, IEC और/ या क्षमता निर्माण योजनाओं को कार्यान्वित करने में जिला स्तर के कर्मियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- सेवा प्रदाताओं को आवश्यता के अनुसार ODF प्लस की परिसंपत्तियों जैसे सोक पिट, कंपोस्ट पिट, गंदला जल प्रबंधन परिसंपत्तियां, FSM इकाइयों का निर्माण (या सुधार), उसकी मरम्मत और रख-रखाव करने अथवा किसी अतिरिक्त कौशल में, जैसा जरूरी हो, व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण कैलेंडर (योजना) तैयार किया जाएगा।

#### ग्राम पंचायत/ ग्राम स्तर

- ODF प्लस के घटकों पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और क्षेत्रीय कर्मियों (जैसे स्वच्छग्रहीय, अन्य स्वच्छता चैम्पियन अर्थात् ASHA, ANM, शिक्षक आदि) के क्षमता संवर्धन के लिए सत्र आयोजित करना। यह राज्य/ जिला स्तर पर तैयार की गई योजना के अनुसार होना चाहिए।



2. राज्य/ जिला स्तर पर विकसित योजना/ प्रशिक्षण कैलेंडर के अनुसार, सेवा प्रदाताओं को आवश्यकता के अनुसार ODF प्लस की परिसंपत्तियों जैसे सोक पिट, कंपोस्ट पिट, गंदला जल प्रबंधन परिसंपत्तियां, FSM इकाइयों का निर्माण (या सुधार), उसकी मरम्मत और रख-रखाव करने अथवा किसी अतिरिक्त कौशल में, जैसा जरूरी हो, प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
3. स्वच्छाग्रहियों, राजमिस्त्रियों, VWSC सदस्यों और निगरानी समितियों को शौचालय के हार्डवेयर की मरम्मत और रख-रखाव और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के लिए (उनकी संबंधित भूमिकाओं के अनुसार) प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
4. गाँवों के खुले में शौचमुक्त स्थिति हासिल करने के बाद स्वच्छतापूर्ण व्यवहार बनाए रखने के महत्व को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षकों को पुनर्विन्यास/ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

## 7.2 स्वच्छाग्रही

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-I की व्यापक सफलता का श्रेय स्वच्छाग्रहियों की उस बड़ी सेना को दिया जा सकता है, जिन्होंने अपने गाँवों को खुले में शौच मुक्त कराने के लिए समुदायों को संगठित और सशक्त किया। ODF प्लस पहलों को आगे बढ़ाने के लिए भी स्वच्छाग्रही ही हमारे अग्रणी मानव संसाधन होंगे।

स्वच्छाग्रही स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के ज़मीनी स्तर के सैनिक और ग्रामीण भारत में स्वच्छता आदतों के संबंध में व्याघार परिवर्तन लाने वाले प्रेरक हैं। प्रत्येक गांव में आदर्श रूप से कम से कम एक स्वच्छाग्रही होना चाहिए और महिला उम्मीदवारों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। स्वच्छाग्रही एक स्वयंसेवक होता है जो किसी भी पृष्ठभूमि का हो सकता है, जैसे एक स्थानीय ASHA कार्यकर्ता, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, और कर्मचारी, वॉटर लाइन मैन, पंप ऑपरेटर, NCO/ CSO का सदस्य, युवा संगठन या गांव में रहने वाला कोई भी आम आदमी हो सकता है।

इस कार्यक्रम के ODF प्लस चरण में भी स्वच्छाग्रहियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि वे अपने गाँवों की खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाए रखने और SLWM पहलों को चलाने के लिए मिशन की सहायता करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

### इसमें निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण होंगी:

- द स्वच्छाग्रहियों के साथ निरंतर जुड़े रहना
- द स्वच्छाग्रहियों के निरंतर क्षमता निर्माण और प्रेरणा के लिए प्रणालियाँ
- द इन्हें निरंतर नियोजित रखने के लिए समुचित प्रोत्साहन

### 7.2.1 स्वच्छाग्रहियों की भूमिका

स्वच्छाग्रहियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को कार्यान्वयन चरण के दौरान निम्नानुसार समूहबद्ध किया जा सकता है:

1. शौचालय निर्माण में सहायता प्रदान करना
2. परिसंपत्तियों की मरम्मत और सुधार
3. सतत व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रयास करना
4. सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देना
5. SLWM गतिविधियों को चलाने में सहायता देना

स्वच्छाग्रहियों को प्रारंभ में 5 दिवसीय स्वच्छ और सुजल गांव प्रशिक्षण दिया जाएगा और विभाग द्वारा समय-समय पर अनुशंसित अन्य प्रशिक्षण/ अभिविन्यास/ कौशल निर्माण पाठ्यक्रमों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

### 7.2.2 स्वच्छाग्रहियों के लिए प्रोत्साहन

स्वच्छाग्रही इस कार्यक्रम के चरण-॥ के तहत पहलों को चलाने में सहायता देने के लिए, उपरोक्त गतिविधियां करेंगे और वे इन गतिविधियों की सफलता की पुष्टि होने पर और भारत सरकार द्वारा सुझाई गई प्रोत्साहन संरचना के अनुसार, IEC और क्षमता निर्माण बजट से प्रोत्साहन राशि प्राप्त करेंगे (अनुलग्नक-VII)।





## संस्थागत व्यवस्थाएं

### 8.1 राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति (NSSC)

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना (PIP) तथा वार्षिक कार्यान्वयन योजना (AIP) नामक पूर्व निर्धारित योजना जो कि राज्य स्तर की योजना स्वीकृति समिति (SLSCC) द्वारा विधिवत अनुमोदन के पश्चात राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त होगी और जिसे मूल्यांकन समिति द्वारा अंतिम रूप प्रदान किया गया होगा, को अनुमोदित या संशोधित करने हेतु निर्धारित समय के लिए राष्ट्रीय योजना स्वीकृति समिति (NSSC) का गठन किया जाएगा।

**NSSC का गठन निम्नानुसार होगा:**

1. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग - अध्यक्ष
2. विशेष/ अपर/ संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
3. संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार
4. संयुक्त सचिव, मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
5. उस राज्य के ग्रामीण स्वच्छता प्रभारी सचिव, जिसके प्रस्ताव पर विचार किया जाना है
6. स्वच्छता के प्रभारी अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग- सदस्य सचिव
7. अध्यक्ष द्वारा नामित ग्रामीण स्वच्छता से संबंधित दो विशेषज्ञ

### 8.2 राज्य जल और स्वच्छता मिशन

प्रत्येक राज्य में एक राज्य जल और स्वच्छता मिशन (SWSM) है, जिसकी संरचना की समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जानी चाहिए कि इसमें, SBM(G) के कार्यान्वयन के लिए राज्य में संबद्ध विभागों के बीच समन्वय और तालमेल करने की दिशा में एक कदम के रूप में, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण पेयजल, स्कूली शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज, जल संसाधन, कृषि, प्रचार आदि से संबंधित राज्य विभागों का प्रतिनिधित्व हो। यह राज्य में ग्रामीण पेयजल और स्वच्छता कार्यक्रमों को लागू करने वाले विभाग/ बोर्ड/ निगम/ प्राधिकरण/ एजेंसी के तत्त्वाधान में एक पंजीकृत सोसाइटी होगी।

### 8.3 शीर्ष समिति

हालांकि, राज्य ही एक उपयुक्त संरचना का निर्णय लेंगे तथापि राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SSBMG) की सहायता और सलाह के लिए राज्य स्तर पर एक शीर्ष समिति होनी चाहिए। इस समिति की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और PHED, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, वित्त, स्वास्थ्य, सूचना और जनसंपर्क के प्रभारी सचिव इस समिति के सदस्य के रूप में होंगे। SSBMG के चरण-II की सभी गतिविधियों और इस मिशन की बैठकें आयोजित करने के लिए राज्य के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी विभाग के प्रमुख सचिव/ सचिव नोडल सचिव होंगे। स्वच्छता, जल विज्ञान, IEC, HRD, MIS, मीडिया, NGO आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ सह-सदस्य के रूप में चुने जा सकते हैं।

### 8.4 राज्य मिशन अथवा राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SSBMG)

राज्य सरकार के कार्यान्वयन विभाग के अधीन अवस्थित

**शासी निकाय के अध्यक्ष:** विभाग के प्रभारी मंत्री

**उपाध्यक्ष:** कार्यान्वयन विभाग के प्रभारी प्रमुख सचिव/ सचिव

**सदस्य सचिव:** मिशन निदेशक

**भूमिका:** राज्य स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में SSBMG, राज्य के परियोजनागत जिलों में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण-II के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, संबद्ध विभागों के बीच तालमेल करने में मदद करेगा, आवश्यकता के अनुसार प्रत्येक जिले के लिए वार्षिक कार्यान्वयन योजना / परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करना सुनिश्चित करेगा, राज्य की वार्षिक कार्यान्वयन योजना/ परियोजना कार्यान्वयन योजना में इन्हें समेकित करेगा, DDWS के साथ इसे साझा कर इस पर चर्चा करेगा, केंद्र से सहायता अनुदान प्राप्त करेगा और आवश्यकता के अनुसार DWSM/जिला परिषद /DRDA/ ब्लॉक/ ग्राम पंचायत को इसका संवितरण करेगा।

**कर्मचारी-** राज्य, राज्य मिशन के लिए पर्याप्त प्रशासनिक, तकनीकी और सहायक स्टाफ प्रदान करेंगे। मिशन के सभी सरकारी कर्मचारियों का पारिश्रमिक राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य इस कार्यक्रम के तहत तकनीकी विशेषज्ञों को परामर्शदाता के रूप में नियोजित कर सकते हैं।

**SBMG के लिए लेखांकन व्यवस्था:** SWSM के लिए यथा मौजूद और समय-समय पर DDWS और राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के प्रशासनिक सहायता घटक में आदर्श रूप से निम्नलिखित मानव संसाधन शामिल किए जाने चाहिए, आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संख्या में कार्मिकों और विशेषज्ञों को रखा जा सकता है। राज्यों को अपनी आवश्यकता और राज्य के परिपेक्ष्य के आधार पर नियोजन की पद्धति (भर्ती या प्रतिनियुक्ति या सह-चयन), पदों की संख्या, अनुभव और कौशल आदि के बारे में निर्णय लेने की छूट होगी। नीचे एक सांकेतिक संरचना दी गई है जिसका उपयोग किया जा सकता है:

निदेशक	1
राज्य समन्वयक	1
<b>परामर्शदाता</b>	
HRD/ क्षमता निर्माण विशेषज्ञ	1
IEC विशेषज्ञ	1
M&E विशेषज्ञ	1
SWM विशेषज्ञ	1
LWM विशेषज्ञ	1
MIS विशेषज्ञ	1
लेखाकार	1
डाटा एंट्री ऑपरेटर	2

इन पदों का पारिश्रमिक अन्य कार्यक्रमों (जैसे NRLM, मनरेगा आदि) की वेतन संरचना के अनुसार होगा।

## 8.5 जिला स्वच्छ भारत मिशन

जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [DSBM(G), को जिला स्तर पर मौजूदा जिला जल और स्वच्छता मिशन/ समिति (DWSM/ DWSC) में उपयुक्त परिवर्तन करके बनाए रखा जाना है। चूंकि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में संबद्ध विभाग एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे, इसमें जिला कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट/ CEO जिला पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

हालांकि राज्य एक उपयुक्त क्रियाविधि पर निर्णय लेंगे तथा प्रिय जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की प्रस्तावित संरचना इस प्रकार होगी:

- » जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की अध्यक्षता जिला परिषद का अध्यक्ष करेगा।
- » कार्यकारी उपाध्यक्ष: जिला कलेक्टर/ उपायुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट/ CEO जिला पंचायत।
- » सदस्य: जिले के सभी सांसद/ विधायक और MLC और जिला परिषद की संबंधित स्थायी समितियों के अध्यक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि; जिलापरिषद के CEO/AEO; शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, समाज कल्याण, ICDS, PHED, जल संसाधन, कृषि, सूचना और जन संपर्क के जिला अधिकारी।
- » जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा रोटेशनल आधार पर ब्लॉक अध्यक्षों (ब्लॉक प्रमुख) को भी नामित किया जा सकता है।
- » जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा गैर-सरकारी संगठनों की पहचान की जा सकती है और उन्हें सदस्य के रूप में मिशन में शामिल किया जा सकता है।
- » जिला पंचायत/ परिषद के CEO; PHED के कार्यकारी अभियंता/ जिला पंचायत के जिला अभियंता/ राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा अनुमोदित कोई अन्य अधिकारी, सदस्य सचिव होगा।
- » यह मिशन प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बैठक करेगा।
- » जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को उपयुक्त IEC कार्यनीतियों और सभी संबद्ध विभागों के साथ मिलकर अभिसरण की क्रियाविधिओं सहित जिले में SBM(G) के कार्यान्वयन की योजना बनानी चाहिए और सलाह देनी चाहिए।

मिशन/ समिति नियमित रूप से ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर समीक्षा करेगी। इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए जिला कलेक्टर/ उपायुक्त/ जिला मजिस्ट्रेट/ CEO जिला पंचायत उत्तरदायी नोडल अधिकारी होंगे। इस मिशन के सभी सरकारी कर्मचारियों का पारिश्रमिक राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), कार्यक्रम के तहत तकनीकी विशेषज्ञों को परामर्शदाता के रूप में नियोजित कर सकता है।

जिला स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के लिए लेखांकन व्यवस्था DWSM के लिए यथा मौजूद, और समय-समय पर DDWS और राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों के अनुसार होगी।

जिले के कार्यान्वयन स्तर पर, DSBM(G) के प्रशासनिक सहायता घटक में आदर्श रूप से निम्नलिखित मानव संसाधन शामिल होने चाहिए और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त संख्या में कार्मिकों और विशेषज्ञों को रखा जा सकता है।

जिलों को अपनी आवश्यकता और जिले के परिपेक्ष्यों के

अनुसार नियोजन की पद्धति (भर्ती या प्रतिनियुक्ति या सह-चयन), पदों की संख्या, अनुभव और कौशल आदि के बारे में निर्णय लेने की छूट होगी:

SBM(G) के प्रभारी जिला समन्वयक	1
सहायक समन्वयक (तकनीकी)	1
<b>परामर्शदाता</b>	
IEC विशेषज्ञ	1
HRD और क्षमता निर्माण विशेषज्ञ	1
M&E विशेषज्ञ	1
SWM विशेषज्ञ	1
LWM विशेषज्ञ	1
लेखाकार	1
डाटा एंट्री ऑपरेटर	2

राज्य, सभी परामर्शदाता (विशेषज्ञ) पदों की विशेषज्ञता, अनुभव और कौशल के बारे में निर्णय ले सकते हैं। इसमें अच्छे प्रदर्शन के ट्रैक रिकॉर्ड वाले सभी मौजूदा परामर्शदाताओं को शामिल किया जा सकता है और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त नियुक्तियाँ भी की जा सकती हैं। इन पदों का परिश्रमिक अन्य कार्यक्रमों (जैसे NRLM, MGNREGS आदि) के वेतन संरचना के समान होना चाहिए।

नोट: जिले को निर्मित ODF-S सेल को बनाए रखना चाहिए और SBM(G) चरण-II के कार्यान्वयन के लिए उन्हें पुनः पदनामित/ तैनात करना चाहिए।

## 8.6 ब्लॉक जल और स्वच्छता समिति

ग्राम पंचायत में ODF प्लस के कार्यान्वयन में मार्गदर्शन, सहायता और ODF प्लस के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए ब्लॉक की भूमिका को सुदृढ़ किया जाएगा। आदर्श रूप से, राज्य प्रत्येक विकास ब्लॉक के लिए एक ब्लॉक जल और स्वच्छता समिति (BWSC) का गठन कर सकता है। BWSC का गठन ब्लॉक विकास अधिकारी की अध्यक्षता में किया जाना चाहिए। BWSC में कम से कम निम्नलिखित होंगे:

ब्लॉक समन्वयक	1
SLWM समन्वयक	1
डाटा एंट्री ऑपरेटर	2

उपरोक्त को अनुबंध पर नियोजित किया जा सकता है और राज्यों द्वारा तय परिश्रमिक प्रदान किया जाएगा। BWSC जिला और ग्राम पंचायत के बीच एक सेतु का काम करेगी, और जागरूकता पैदा करने, प्रेरणा, प्रोत्साहन, और ग्राम समुदायों तथा ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षण देने के संदर्भ में निरंतर सहायता प्रदान करेगी। इस ब्लॉक स्तर की व्यवस्था का काम प्रत्येक ग्राम पंचायत में निर्माण की जा रही परिसंपत्तियों की गुणवत्ता और उनके उपयोग और रख-रखाव, और कार्यक्रम की निगरानी और सर्वेक्षण करना और सहायता देना होगा। BWSC, सॉफ्टवेयर सहायता की दृष्टि से जिला मिशन के विस्तारित सेवा प्रदाता खंड के रूप में कार्य कर सकता है और यह DSBM(G) तथा ग्राम पंचायत/ ग्राम समुदायों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य कर सकता है। यह अनुशंसा की जाती है कि सभी IMIS संबंधित डाटा प्रविष्टि ब्लॉक स्तर पर की जाएँ और केवल आवश्यकतानुसार ही इन्हें अनुमोदन और निगरानी के लिए जिला स्तर पर लाया जाए।

BWSC द्वारा नामित CSO/ स्वच्छग्रहीयों इत्यादि के माध्यम से, समुदाय में मांग सृजन करने सहित, ODF प्लस के विभिन्न पहलुओं पर क्षमता निर्माण और जागरूकता सृजन किया जाएगा। इससे ग्राम पंचायत को खुले में शौचमुक्त स्थिति बनाए रखने और ठोस और तरल करारे के प्रबंधन में मदद मिलेगी।

## 8.7 ग्राम पंचायत/ ग्राम जल और स्वच्छता समिति

SBM(G) चरण-II में ग्राम पंचायतों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी। वे इस कार्यक्रम के सभी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर घटकों के नियोजन और कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगी। ग्राम पंचायत, स्वच्छ भारत मिशन चरण-II के तहत ग्राम स्तर पर तैयार की जाने वाली सभी गतिविधियों की योजना निर्माण की प्रक्रिया का नेतृत्व करेंगी, और मांग सृजन हेतु समुदाय में जागृति लाने, व्यक्तिगत साफ-सफाई को बढ़ावा देने, IEC और क्षमता निर्माण, तथा शौचालय और SLWM परिसंपत्तियों के निर्माण और रख-रखाव, के द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन का नेतृत्व करेंगी। ग्राम पंचायतों के पास, अंतर-व्यक्तिगत संप्रेषण और प्रशिक्षण देने तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के बुनियादी ढांचे के निर्माण और प्रबंधन में सहायता करने के लिए, अनुभवी और प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों/ संस्थानों को नियुक्त करने का प्राधिकृत अधिकार होगा।

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, प्रेरणा देने, ग्राम कार्य योजना तैयार करने व प्रोत्साहन देने के रूप में सहायता प्रदान करने हेतु ग्राम पंचायत की एक उप-समिति के रूप में ग्राम जल और स्वच्छता समिति (VWSC) का गठन किया जा सकता है।

VWSC में सदस्य की रूप में ग्राम पंचायत के प्रत्येक वार्ड के प्रतिनिधि और 6 अन्य सदस्य हो सकते हैं। इसकी कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। इसमें SCs और STs और समाज के गरीब वर्गों का, ग्राम पंचायत में उनकी आबादी के अनुपात में, प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इस समिति को ग्राम पंचायत के जल और स्वच्छता की एक स्थायी समिति के रूप में

कार्य करना चाहिए और इसे ग्राम पंचायत का अभिन्न अंग होना चाहिए। VWSC की संरचना और कार्यों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। ग्राम पंचायत का सरपंच/प्रधान प्रत्येक VWSC का अध्यक्ष होगा।





## पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार, स्वच्छता को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तदनुसार, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थानों द्वारा ज़मीनी स्तर पर कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें पंचायती राज संस्थानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी, विशेषकर इस समय जब 15वें वित्त आयोग ने स्वच्छता कार्यों के लिए अलग से निर्धारित निधियां प्रदान की हैं।

### 9.1 योजना

प्रत्येक ग्राम पंचायत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए इसके सभी गांवों से लोगों, विशेषकर महिलाओं और पिछड़े लोगों, को शामिल करते हुए एक ग्राम स्वच्छता योजना तैयार करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि गांव की खुले में शौचमुक्त स्थिति को बनाए रखने और ठोस और तरल कचरा प्रबंधन में सुधार करने के लिए एक विश्वसनीय योजना तैयार की जाए। ग्राम पंचायत GPDP आयोजना सिद्धांतों के अनुसार नियोजित योजना सॉफ्टवेयर में और साथ ही SBM(G) IMIS में अपनी योजना की प्रविष्टी करेगी। ग्राम पंचायत अपने अधिकारियों और कर्मचारियों अर्थात् पंचायत सचिव और पंचायत DEO के माध्यम से यह सुनिश्चित करेगी कि इस योजना में यदि कोई बदलाव हो तो वह तुरंत दोनों सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित किया जाए। समस्त वास्तविक और वित्तीय प्रगति को दोनों निर्धारित सॉफ्टवेयर में तुरंत अपडेट किया जायेगा।

### 9.2 निधि प्रवाह

ग्राम पंचायत, राज्य की व्यवस्था के अधीन, निधियों की प्राप्तकर्ता भी होंगी तथा सामुदायिक शौचालयों और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की बुनियादी अवसंरचनाओं के वित्तपोषण के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से भी योगदान देगी। ग्राम पंचायत अपने सभी गांवों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए सही स्थान का चयन सुनिश्चित करेगी, और विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगी कि ग्राम पंचायत के जिन क्षेत्रों में SCs/ STs आबादी सहित समाज के कमज़ोर वर्गों की आबादी

अधिक हो उन्हें इस संबंध में प्राथमिकता दी जाए। ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग के अनुदानों और मनरेगा निधियों से वित्तपोषित किए जाने वाली गतिविधियों की सूची अनुलग्नक-VIII में दी गई है। ग्राम पंचायतें यह सुनिश्चित करेंगी कि स्वच्छता के लिए अलग से निर्धारित सभी निधियों (tied grants) का निवेश और उपयोग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाए। ग्राम पंचायत के कार्यक्षेत्र के भीतर काम करने वाले सभी संस्थानों और समितियों को अपने कार्यक्रमों में स्वच्छता को प्राथमिकता देनी है।

### 9.3 समन्वय

जिले, परिसंपत्तियों के निर्माण और O&M के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों जैसे संस्थानों, व्यवसायों, कॉर्पोरेट्स, सामाजिक संगठनों, के नियोजन में ग्राम पंचायतों की सहायता करेंगे। ग्राम पंचायतें स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसर, पर्यावरण स्वच्छता बुनियादी ढांचा, जल निकासी व्यवस्था आदि परिसंपत्तियों के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

### 9.4 निगरानी

लॉक और जिला दोनों ही स्तर के पंचायती राज संस्थान नियमित रूप से इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। ग्राम पंचायतें भी SBM(G) कार्यक्रम की निगरानी में भूमिका निभाएंगी। ग्राम पंचायतें इस कार्यक्रम का सामाजिक ऑडिट कराएंगी और इसमें सहायता करेंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में छह महीने में एक बार सोशल ऑडिट की बैठक होगी। DSBM(G) और BWSC इस कार्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के जिम्मेदार होंगे।





## समुदाय आधारित संगठनों/ गैर-सरकारी संगठनों/ स्वयं सहायता समूहों/ सहायता संगठनों की भूमिका

समुदाय आधारित संगठन/ गैर-सरकारी संगठन/ स्वयं सहायता समूह/ अन्य संगठन SBM(G) चरण-II के कार्यान्वयन में एक उत्क्रेक की भूमिका निभा सकते हैं। इस तरह के संगठन जनता तक पहुंच और जमीनी स्तर पर संपर्क उपलब्ध कराते हैं, जिसे इस कार्यक्रम के सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में उपयोग किया जा सकता है। उन्हें, शौचालय की मांग पैदा करने सहित IEC गतिविधियों, क्षमता निर्माण, स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण और उनके निरंतर उपयोग में सहायता और व्यक्तिगत साफ-सफाई को बढ़ावा देने में, सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है।

### 10.1 ग्रामीण स्वच्छता बाजार

ग्रामीण स्वच्छता बाजार, वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय, सामुदायिक, स्कूली और आंगनवाड़ी शौचालयों के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और SLWM व्यवस्थाओं के कार्यान्वयन में सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन सकते हैं। CBO/ NGO/ SHG/ अन्य संगठनों को शौचालयों, सामुदायिक स्वच्छता परिसरों तथा SLWM कार्यकलापों के लिए हार्डवेयर की एक साथ बड़ी मात्रा में गुणवत्ता के साथ आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। ग्रामीण स्वच्छता बाजार, गाँवों में निर्मित सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और SLWM परिसंपत्तियों के संचालन और रख-रखाव के लिए, ल्लॉक/ जिलों के साथ करार कर सकते हैं।





## बाजार संबद्ध SLWM कार्यकलाप

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II में निजी व्यवसाइयों के लिए स्वच्छता व्यवसाय को आर्कषक बनाने के लिए व्यापक और व्यवसायिक रूप से व्यवहार्य उपायों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। मलीय कचरे, गंदले जल, बायोडिग्रेडेबल कचरे और प्लास्टिक कचरे का शोधन और उनकी व्यवसायिक बिक्री से स्वच्छता और कचरा प्रबंधन को लाभदायक व्यवसाय में बदला जा सकता है। राज्य, जिले/ ब्लॉकों के माध्यम से, ग्राम स्तर के स्थानीय युवाओं को रोजगार लाभ देने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के लिए सेवाएं प्रदान करने और मांग सृजन गतिविधियों में नियोजन के लिए प्रबल संभावनाएं मौजूद हैं। इसके आलावा इससे SHG/VO/ CLF जैसे सामुदायिक संगठनों के लिए राजस्व सृजन के अवसर प्राप्त होंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान मिलेगा।

इस कार्यक्रम में SLWM गतिविधियों के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा। इससे सेवाओं का प्रभावी और विकेन्द्रीकृत संचालन एवं रख-रखाव हो सकेगा तथा कुछ समय में लागत की वसूली में सहायता मिलेगी और संचालन में सहायता प्राप्त होगी जिससे सेवाएं स्थायी हो सकेंगी।

स्वच्छता में निजी क्षेत्र के जुड़ने से सेवा प्रदान करने में विशेषज्ञता, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और नवाचार के साथ सेवाओं की दीर्घकालिक स्थिरता सहित व्यापक लाभ होंगे। ग्रामीण स्वच्छता में निजी क्षेत्र को नियोजित करने के निम्नलिखित तरीके हो सकते हैं:

- अवसंरचना निर्माण:** शौचालय और SLWM अवसंरचना के नवीन और कम लागत वाले मॉडल विकसित करने में तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- संचालन एवं रख-रखाव:** समुदाय और घरेलू स्तर के स्वच्छता के बुनियादी सरंचना के संचालन एवं रख-रखाव के लिए स्थायी व्यापार मॉडल का विकास और प्रसार करना।
- बाजार से संपर्क स्थापित करना:** स्थानीय व्यवसायों को बाजार से जोड़कर और उन्हें वित्तपोषण के विकल्प प्रदान करके स्वच्छता से संबंधित उत्पादों की मांग बढ़ाना।

उपरोक्त कार्यकलापों से SHG, उद्यमी और स्वयंसेवी संगठन आकर्षित होंगे और कचरे के संग्रहण, शोधन और अंतिम उत्पादों की वाणिज्यिक बिक्री के लिए राजस्व उत्पादन मॉडल को बढ़ावा मिलेगा।

भारत में स्वच्छता और कचरा प्रबंधन का स्थायी व्यवसाय मॉडल विकसित करने के लिए, कचरा प्रबंधन का ज्ञान रखने वाले स्थानीय उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण है कि वे ग्राम पंचायत, खंड विकास कार्यालय और जिला परिषद जैसे शासी निकायों के साथ जुड़ें और एक औपचारिक संबंध बनायें।

राज्य और जिले, कचरे के प्रसंस्करण के लिए व्यवसाइयों/ SHG के साथ काम करेंगे और उप-उत्पादों का राजस्व सृजन और स्थायित्व के लिए विपणन किया जाएगा। राज्य सरकारें उत्पादों की बिक्री और खरीद की सुविधा प्रदान कर सकती हैं।

ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई से भी राजस्व उत्पन्न की प्रबल संभावनाएं हैं। प्लास्टिक कचरे के शोधन के लिए उपयुक्त तकनीकी विकल्पों की खोज की जा सकती है। ब्लॉक स्तर के अधिकारी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों से आवधिक रूप से सूखे कचरे को इकट्ठा करने के लिए, पंजीकृत स्थानीय पुनर्चक्रणकर्ताओं/ संचयनकर्ताओं के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। कचरा एकत्रण की आवधिकता, उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा के आधार पर तय की जा सकती है। जिला/ ब्लॉक अधिकारी अपने जिले में चल रही सड़क निर्माण परियोजनाओं में प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए सड़क ठेकेदारों के साथ buy-back व्यवस्था की सुविधा प्रदान करेंगे। DWSM/ DWSC भी सीमेंट भट्टियों में प्लास्टिक का उपयोग करने के लिए अपने जिले के पास मौजूद सीमेंट कंपनियों के साथ गठजोड़ कर सकते हैं।

तरल कचरे और गंदले जल के प्रबंधन में भी व्यापार की बड़ी संभावनाएं हैं। स्वच्छ भारत मिशन चरण-II के तहत बड़े गंवां में गंदला जल प्रबंधन के लिए कचरा स्थिरीकरण तालाबों का निर्माण किया जाएगा। ग्राम पंचायतें इन कचरा स्थिरीकरण तालाबों को मत्स्यपालन, मखाने की खेती, डकवीड की खेती, सिंघाड़ की खेती, आदि में रुचि रखने वाले उद्यमियों को भाड़े पर दे सकती हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा इन तालाबों की वार्षिक दर तय की जाएगी और इच्छुक व्यक्तियों/ संगठनों/ उद्यमियों / स्वयं सेवी संगठनों/ कंपनियों को प्रतिस्पर्धी निविदा के आधार

पर तालाब आबंटित किए जाएंगे। ग्राम पंचायतें किसानों को कृषि कार्यों के लिए भी शोधित जल बेच सकती हैं। FSM संचालन के तहत भी, सेवा प्रदाताओं और FSMP संचालकों के लिए रख रखाव व्यावसायिक अवसर उपलब्ध है। निजी संगठन/ ट्रूक मालिक मलीय कचरे के यंत्रीकृत संग्रहण और दुलाई में शामिल हो सकते हैं। खाद, बायोगैस और शोधित जल जैसे उप-उत्पादों, जो कि कृषि कार्यों के लिए

उपयोग किए जा सकते हैं, की बिक्री के माध्यम से FSMP/ FSTP का लाभप्रद रूप से संचालन किया जा सकता है। मल के, ब्लॉक/ जिलों में स्थित STP/ FSMP में सह-शोधन करने के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के साथ समझौता-ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा सकता है।





## कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कॉरपोरेट घरानों को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के एक आवश्यक भाग के रूप में, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह सही है कि एक स्वस्थ कार्यबल बेहतर सेवाएं व परिणाम प्रदान कर सकता है। कॉरपोरेट घराने अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए लोकप्रियता प्राप्त करने या मात्र स्टेटस के लिए भी, सामाजिक मुद्दों के लिए काम करने और लोगों के साथ संवाद बढ़ाने के लिए आकर्षित होते हैं। अतः कॉरपोरेट घरानों को उनके कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में SBM(G) एक मंच के रूप में उपलब्ध हो सकता है।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने कॉरपोरेट सहयोग फ्रेमर्क जारी किया है जिसमें बताया गया है कि कॉरपोरेट्स स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। कॉरपोरेट्स/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सभी स्तरों पर, IEC, क्षमता संवर्धन या प्रत्यक्ष लक्षित कार्यकलापों के माध्यम से स्थानीय प्रशासन के साथ उचित स्तर पर तालमेल करके स्वच्छता के मुद्दों को उठा सकते हैं, जैसे:

1. SBM के तहत ग्रामीण आबादी के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रौद्योगिकी विकल्पों के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन क्षेत्र/ ग्रामीण स्वच्छता पार्क स्थापित करना।
2. प्रदर्शनियों/ स्वच्छता मेलों का आयोजन करना।
3. स्कूलों में बच्चों को उचित स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई के बारे में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना।
4. उपयुक्त स्वच्छता सामग्री के रूप में ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त प्रोत्साहन देना अथवा उपयुक्त स्थानीय संगठन के माध्यम से ग्रामीण आबादी के लिए स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराना।
5. आवश्यकता के अनुसार सामुदायिक स्वच्छता परिसर बनवाना।
6. प्रभावी SLWM प्रौद्योगिकी और संसाधनों के लिए सहायता प्रदान करना।
7. स्वच्छता सुविधाओं और/ या SLWM परिसंपत्तियों के रख-रखाव के लिए प्रशिक्षित मैनपावर उपलब्ध कराना।

8. मास मीडिया और ग्राम-स्तर के कार्यकलापों के माध्यम से कार्यक्रम का प्रचार करना।
9. विभाग द्वारा वांछित स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ-सफाई को बढ़ावा देने वाला कोई अन्य कार्य।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने स्वच्छता कार्यों में CSR संसाधनों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्य इन दिशानिर्देशों का उपयोग CSR निधियों को आकर्षित/ प्राप्त करने और उनका उपयोग करने के लिए अपनी प्रक्रिया विकसित करने हेतु एक आधार के रूप में कर सकते हैं।

### CPSEs द्वारा स्वच्छ भारत गतिविधियों के लिए CSR निधि का आबंटनः

'स्वच्छ भारत और गंगा संरक्षण' के लिए गठित सचिवों के एक समूह ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) द्वारा 33% CSR निधियों का खर्च खुले में शौचमुक्त देश के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करने की सिफारिश की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII की मद संख्या (i) के अनुसार, CPSEs अपनी कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) नीति के तहत, स्वच्छता सहित कई गतिविधियों का चयन करके केंद्र सरकार द्वारा स्थापित 'स्वच्छ भारत कोष' में योगदान दे सकते हैं। (भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय का पत्र सं. CSR-01/0003/2016-Dir(CSR) दिनांक 01.08.2016)

स्वच्छ भारत कोष में एकत्रित धनराशि को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II को सपोर्ट करने वाली गतिविधियों के लिए भी उपयोग किया जा सकता है।

<sup>3</sup>[https://jalshakti-ddws.gov.in/sites/default/files/Framework\\_of\\_Engagement\\_with\\_Corporates.pdf](https://jalshakti-ddws.gov.in/sites/default/files/Framework_of_Engagement_with_Corporates.pdf)

<sup>4</sup>Guidelines for Corporate Social Responsibility (CSR) in sanitation are available at: [https://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/writereaddata/Portal/Images/Guide\\_Line\\_Sanitation\\_CSR.pdf](https://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/writereaddata/Portal/Images/Guide_Line_Sanitation_CSR.pdf)



## अनुसंधान एवं विकास

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग अनुसंधान और विकास में निवेश करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि SBM(G) चरण-II की गतिविधियों को लागू करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, दृष्टिकोणों और तौर-तरीकों का उपयोग किया जाए। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा किए जा रहे अनुसंधान और विकास कार्यों में प्रौद्योगिकियों की समीक्षा और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, मानव मल के परिस्थितिक रूप से सुरक्षित निपटान के लिए अनुसंधान, विकेंद्रीकृत संचालन और प्रबंधन को सुदृढ़ करना, कार्यक्रम की प्रभावशीलता के लिए सूचना एवं संचार तकनीकों का उपयोग आदि शामिल होंगे। राज्यों को भी विकेंद्रीकृत तरीके से संचालित और प्रबंधित की जा सकने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकी का विकास करने के उद्देश्य से अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

SLWM के प्रबंधन में शामिल अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित किया जाएगा और उनके शोध कार्यों में मदद की जाएगी। इस कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नवीनतम सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की दिशा में विचारों की क्राउडसोर्सिंग, हैकाथॉन आदि के आयोजन को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शौचालय निर्माण और SLWM के क्षेत्र में नवाचारों और प्रौद्योगिकियों की पहलों को प्रोत्साहित करना जारी रहेगा।

स्वच्छता के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त/ अपर सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की अध्यक्षता में एक अनुसंधान एवं विकास

सलाहकार समिति (RDAC) कार्य करेगी। स्वच्छता में अनुसंधान और विकास के लिए प्रमुख क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय और कार्यक्रम संबंधी क्षेत्र शामिल हैं। SLWM सहित स्वच्छता के प्रौद्योगिकीय और कार्यक्रम संबंधी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने के लिए, NGO सहित अनुसंधान संस्थानों/ संगठनों को, उनके द्वारा परियोजना प्रस्तावों को DDWS को प्रस्तुत करने और RDAC द्वारा उनके अनुमोदन के बाद, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण दिया जाएगा।

विभिन्न राज्यों के संबंधित विभागों cesb R&D सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए, राज्य सरकारों को पर्याप्त मैनपावर और बुनियादी ढांचे के साथ अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठ को राज्य के प्रमुख तकनीकी संस्थानों के संपर्क में रहना आवश्यक है। तकनीकी संस्थानों के नेटवर्क, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण कर सकते हैं। अनुसंधान एवं विकास प्रकोष्ठों का उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए, निगरानी एवं जांच डिवीज़नों और निगरानी एवं मूल्यांकन अध्ययन रिपोर्टों के लगातार संपर्क में रहना आवश्यक है।

भारत सरकार के स्तर पर, इस क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों और नवाचारों पर परामर्श के लिए, प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति का गठन किया गया है।





## स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II की आयोजना

स्वच्छ भारत विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देता है जहां लोग सामूहिक रूप से अपनी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हैं, अपेक्षित सुधार तय करते हैं जो वे प्राप्त करना चाहते हैं और तदनुसार, वांछित सेवा स्तर और सुधार प्राप्त करने के लिए कार्यकलापों की पहचान करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण-II में तीन स्तर पर आयोजना की जाएगी:

### 14.1 ग्राम कार्य योजना

प्रत्येक ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के समेकित कार्यान्वयन के लिए, विशेष रूप से महिलाओं और कमज़ोर वर्गों के लोगों को शामिल करते हुए लोगों की भागीदारी से, अपने सभी गाँवों के लिए ग्राम कार्य योजनाएँ तैयार करेगी ताकि सभी को समान रूप से इस योजना के कार्यान्वयन का लाभ प्राप्त हो सके। ग्राम कार्य योजना, GPDP और साथ ही संबंधित ज़िला स्वच्छता योजनाओं के अनुवर्ती निर्माण में एक इनपुट संसाधन के रूप में कार्य करेगी।

**इस योजना में निम्नलिखित की अनिवार्यतः पहचान की जाएगी:**

- नए घरों की संख्या जिन्हें शौचालय उपलब्ध कराने के लिए मदद की आवश्यकता है। इस योजना में यह तय किया जाएगा कि इन घरों को वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय उपलब्ध कराया जाएगा अथवा सामुदायिक स्वच्छता परिसर।
- किसी भी खराब शौचालय की मरम्मत करने, अपग्रेड करने/ कार्यशील बनाने के लिए आवश्यक कार्यकलाप।
- जल जीवन मिशन के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यकलाप। ये गांव में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए विकसित ग्राम कार्य योजना में सहमति प्राप्त कार्यों के अनुरूप होने चाहिए।
- वर्ष में कार्यान्वित किए जाने वाले व्यक्तिगत साफ-सफाई संवर्धन कार्यकलाप।

- वर्ष में आवश्यक IEC और क्षमता निर्माण कार्यकलाप, उनके कार्यान्वयन की योजना, समय निर्धारण, स्टाफिंग और निधियन।
- ठोस कचरा और तरल कचरा प्रबंधन के लिए स्थान और परिसंपत्तियों की संख्या।
- वार्षिक संचालन एवं रख-रखाव लागतों को पूरा करने के लिए निधियों के स्रोत सहित संचालन एवं रख-रखाव की व्यवस्था।
- किसी कार्य के लिए निजी क्षेत्र, गैर-सरकारी एजेंसियों को शामिल करना और उनके नियोजन के नियम व शर्तें।
- ग्राम पंचायत के प्रत्येक राजस्व गांव में की जाने वाली गतिविधियों का विवरण।
- प्रत्येक गतिविधि के लिए बजट का आबंटन और वित्तपोषण स्रोतों की पहचान।

ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के साथ तालमेल स्थापित करके 'ग्राम कार्य योजना' (VAP) तैयार करनी चाहिए। गांव में गंदले जल के प्रबंधन की योजना, गांव में पहले से मौजूद नल जलापूर्ति/ जल जीवन मिशन के तहत अथवा राज्य की किसी अन्य योजना के तहत प्रदान की जाने वाली जलापूर्ति के अनुरूप बनाई जानी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन के लिए ग्राम कार्य योजना, उनकी समग्र GPDP का हिस्सा होनी चाहिए।

इस योजना को ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा ग्राम सभा की मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए और दर्ज की जानी चाहिए। वर्ष 2020-21 से सभी ग्राम पंचायतें/ ब्लॉक हर साल DWSC द्वारा तय की गई तारीख तक योजनाएँ तैयार करेंगी।

## 14.2 जिला स्वच्छता योजना

जैसा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के चरण-। में किया गया था, प्रत्येक जिला अपनी ग्राम पंचायतों की ग्राम कार्य योजनाओं को समेकित करके और चरण-॥ के कार्यान्वयन के लिए ब्लॉक और जिला स्तरों पर किए जाने वाले कार्यकलापों को शामिल करके एक जिला स्वच्छता योजना तैयार करेगा। जिला स्वच्छता योजना में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

1. नए घरों की संख्या जिन्हें शौचालय उपलब्ध कराने के लिए मदद की आवश्यकता है। इसे ग्राम कार्य योजनाओं से लिया जाएगा।
2. प्रमुख IEC कार्यकलाप जिनका उपयोग स्थायित्व, व्यवहार परिवर्तन तथा गांवों में SLWM परिसंपत्तियों के कार्यान्वयन और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा - उनका वित्तपोषण, प्रसार, स्टाफिंग, मीडिया योजना और समय-निर्धारण।
3. प्रमुख क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण का कार्यक्रम।
4. प्रतिवर्ष प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों के निर्माण की संख्या और विवरणिका का कार्यक्रम।
5. जिले में FSM के कार्यान्वयन का कार्यक्रम।
6. वर्ष के दौरान बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरा प्रबंधन हेतु चुने गए गाँवों में सृजित की जाने वाली अवसंरचनाओं की संख्या और प्रकार।
7. वर्ष के दौरान गंदला जल प्रबंधन के लिए चुने गए गाँवों में सृजित की जाने वाली अवसंरचनाओं की संख्या और प्रकार।
8. कार्यकलापों को पूरी तरह वित्तपोषित करने के लिए वित्त आयोग, MGNREGS आदि से धनराशि प्राप्त करना सुनिश्चित करने के लिए स्थापित अभिसरण तंत्र।
9. निगरानी, रिपोर्टिंग और मूल्यांकन की व्यवस्था।

सभी जिले वर्ष 2020-21 से प्रतिवर्ष SWSC द्वारा तय की गई तारीख के अनुसार योजना तैयार करेंगे और राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद इसे IMIS पर अपलोड करेंगे।

## 14.3 राज्य योजना

राज्य सरकारें और केन्द्र शासित प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-॥ के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिला स्वच्छता योजनाओं को समेकित करके एक परियोजना कार्यान्वयन योजना और प्रति वर्ष वार्षिक कार्यान्वयन योजना तैयार करेंगे।

### 14.3.1 परियोजना कार्यान्वयन योजना (PIP)

सभी राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-॥ के तहत, गांवों, खंडों और जिलों में की जाने वाली सभी स्वच्छता गतिविधियों के आधार पर वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक कार्यक्रम की पूरी अवधि के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजनाएं (PIP) तैयार करेंगे। परियोजना कार्यान्वयन योजनाएँ जिलों के परामर्श से तैयार की जाएँगी और किसी भी जिले में विशेष चुनौतियों, जोखिमों, ऐसे मुद्दों की पहचान की जाएगी जिन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। PIP में इस कार्यक्रम के तहत निर्धारित वित्तपोषण मानदंडों के अनुसार विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और 15वें वित्त आयोग के अनुदानों से की जाने वाली गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। राज्य स्तर की योजना स्वीकृति समिति (SLSSC) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश अपनी PIP पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद, NSSC उस PIP पर विचार करेंगी और उसका अनुमोदन करेंगी। वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर, DDWS को स्वीकार्य समुचित औचित्य और NSSC की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश कार्यक्रम अवधि के दौरान पीआईपी में संशोधन कर सकते हैं।

### 14.3.2 वार्षिक कार्यान्वयन योजना (AIP)

ग्राम पंचायतें सभी स्वच्छता गतिविधियों (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत और साथ ही साथ 15वें वित्त आयोग के अनुदानों से की जाने वाली गतिविधियों सहित) के लिए अपनी ग्राम कार्य योजना (VAP) तैयार करेंगी और उन्हें अपनी ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) में शामिल करेंगी। जिलों द्वारा VAP और ब्लॉक तथा जिला स्तर पर की जाने वाली गतिविधियों को शामिल करके एक वार्षिक योजना तैयार की जाएगी। इसे फिर राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना में समेकित किया जाएगा। विभिन्न गतिविधियों की योजना तैयार करते समय, प्रत्येक गतिविधि के लिए वित्तपोषण स्रोतों की पहचान की जाएगी और इसका AIP में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। सभी राज्यों के AIP में वार्षिक संचार योजना भी शामिल की जानी चाहिए। राज्य, प्रारंभिक अनुसंधान और परामर्शों के आधार पर, एक विशिष्ट संचार रणनीति, एक संचार योजना और सामग्री विकसित करेगा और इन साधनों का उपयोग करने के लिए समुदाय को प्रेरित करने वालों को प्रशिक्षित करेगा। इसमें वर्ष के दौरान आवश्यक IEC और क्षमता निर्माण कार्यकलापों को शामिल किया जाएगा।

इन योजनाओं को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के IMIS पर भी प्रविष्ट किया जाएगा। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा राज्यों को प्रदान किए गए विस्तृत प्रोफार्म में राज्य योजना, जो शेष कार्य के आधार पर होगी,

को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के साथ साझा किया जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में एक योजना मूल्यांकन समिति (PAC) होगी, जिसकी अध्यक्षता स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रभारी अपर/ संयुक्त सचिव करेंगे और संबंधित राज्य के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी प्रमुख सचिव, राज्य स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के समन्वयक और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के निदेशक/ उप सचिव (स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण) इसके सदस्य होंगे। PAC प्रस्तावित AIP पर चर्चा करेगी और सुझाव/ संशोधनों के साथ अथवा उनके बिना इसे अंतिम रूप दिया

जाएगा। राज्यों द्वारा अंतिम AIP तैयार की जाएगी और PAC में की गई चर्चा के 15 दिनों के भीतर उसे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को भेज दिया जाएगा। तत्पश्चात्, NSSC द्वारा AIP पर विचार किया जायेगा और उसका अनुमोदन किया जाएगा।

सभी राज्य प्रत्येक वर्ष के 1 मार्च तक योजना तैयार करेंगे, और इसे IMIS पर अपलोड करेंगे। तदनुसार, राज्य जिला और ग्राम कार्य योजनाओं को अपने-अपने स्तर पर पूरा करने के लिए तिथियां निर्धारित कर सकते हैं।





## वित्तीय आयोजना और कार्यक्रम निधियन

SBM(G) के सफल कार्यान्वयन के लिए, मजबूत वित्तीय नियोजन, समय पर वित्तपोषण, पर्याप्त संसाधन जुटाना और धन का विवेकपूर्ण उपयोग कुछ प्रमुख कारक है। इस दिशा में, SWSM/DWSM द्वारा ग्रामीण स्वच्छता के लिए सभी उपलब्ध संसाधनों जैसे केंद्रीय निधि, राज्य निधि, RLBS को 15वें वित्त आयोग के अनुदान, मनरेगा और केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की अन्य स्कीमों के तहत उपलब्ध निधियों, MPLADS, MLALADS, CSR निधि, व्यवसाय मॉडलों/PPP आदि के तहत उपलब्ध समस्त निधियां एकत्र करते हुए वर्ष-वार वित्तीय योजना तैयार की जाएगी। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा विभिन्न कारकों को ध्यान में रखकर अपने बजटीय आबंटन और/अथवा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों में से SBM(G) के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता जारी की जाएगी।

SBM(G) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय आबंटन अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए 90:10 है, शेष केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्र की हिस्सेदारी 100% और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। हालांकि भारत सरकार से तदनुरूपी वित्तीय हिस्सेदारी उपलब्ध है लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि राज्य और जिले यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय योजना तैयार करें कि जिलों और ग्राम पंचायतों की सभी विश्वसनीय योजनाओं का वित्तपोषण किया जा सके और इस कार्यक्रम के सभी घटकों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आवंटित किए गए हैं।

इस कार्यक्रम के लिए समन्वित कार्यान्वयन और सह-वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए राज्य द्वारा अन्य संबंधित विभागों के अलावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग, पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग को सक्रिय रूप से शामिल करेंगे। ये विभाग भी योजना, कार्यान्वयन और वित्तपोषण के अच्छे समन्वय को सुनिश्चित करने के लिए अपनी जिला इकाइयों को निर्देश एवं सहायता देंगे। यदि आवश्यक हो, राज्य सरकारों द्वारा जिलों, खंडों और ग्राम पंचायतों को एकीकृत और समन्वित कार्यान्वयन के लिए, कार्यकारी आदेश जारी किए जाएंगे।

## 15.1 SBM(G) चरण-II के अधीन कार्यक्रम वित्तपोषण प्रावधान

SBM(G) चरण-II के तहत विभिन्न घटकों के लिए विभिन्न मद और अनुमोदित वित्तीय सहायता निम्नानुसार है:

मद	वित्तीय सहायता			
वैयक्तिक घरेलू शौचालय के निर्माण के लिए प्रोत्साहन राशि (BPL और चिह्नित APL)		12000/- रुपए तक (साफ-सफाई रखने के लिए धुलाई करने और हाथ धोने हेतु पानी के भंडारण सुविधा की व्यवस्था सहित)		
SLWM गतिविप्रौद्योगिकायां	ग्राम स्तरीय SLWM गतिविधियां	गांव का आकार	वित्तीय सहायता	
		5000 तक जनसंख्या	ठोस कचरा प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 60 रुपए तक गंदला जल प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 280 रुपए तक	
	जिला स्तरीय SLWM गतिविधियां	5000 से अधिक जनसंख्या	ठोस कचरा प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 45 रुपए तक गंदला जल प्रबंधन: प्रति व्यक्ति 660 रुपए तक	
		टिप्पणी:	<ol style="list-style-type: none"> <li>इस राशि का 30 प्रतिशत भाग ग्राम पंचायतों द्वारा अपने 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से वहन किया जाएगा।</li> <li>प्रत्येक गांव ठोस कचरा और गंदला जल प्रबंधन दोनों के लिए अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कुल न्यूनतम 1 लाख रुपए तक की राशि का उपयोग कर सकता है।</li> </ol>	
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	जिला स्तरीय SLWM गतिविधियां	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (प्रत्येक ब्लॉक में एक)	प्रति इकाई 16 लाख रुपए तक	
		मलीय कचरा प्रबंधन (FSM)	प्रति व्यक्ति 230 रुपए तक	
		गोबर-धन परियोजनाएं	प्रति जिला 50 लाख रुपए तक	
IEC और क्षमता निर्माण	3 लाख रुपए तक टिप्पणी: इस राशि के 30 प्रतिशत भाग को ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अपने अनुदानों से वहन किया जाएगा।			
प्रशासनिक व्यय	कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिए कुल वित्तपोषण का 5 प्रतिशत तक (3 प्रतिशत तक का उपयोग राज्य और जिला स्तर पर तथा 2 प्रतिशत तक का उपयोग केंद्रीय स्तर पर किया जाना है)			
परिचक्राणी निधियां	कार्यक्रम संबंधी घटकों के लिए कुल वित्त पोषण का 1 प्रतिशत तक			
फ्लेक्सी निधियां	परियोजना परिव्यय का 5 प्रतिशत तक अधिकतम 1.5 करोड़ रुपए प्रति जिला के अध्यधीन			
इस योजना के समग्र उद्देश्य के भीतर रहते हुए स्थानीय आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राज्य स्तर पर नवाचारों/प्रौद्योगिकी विकल्पों के लिए समय-समय पर इस संबंध में वित्त मंत्रालय के जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों द्वारा फ्लेक्सी निधियों का उपयोग किया जा सकता है।				

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह छूट होगी कि वे 15वें वित्त आयोग के अनुदानों, MPLAD/MLALAD/CSR निधियों जैसे अन्य स्रोतों से या मनरेगा या राज्य अथवा केंद्र सरकारों की अन्य योजनाओं आदि के साथ अभिसरण करके अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन राशि/ अतिरिक्त निधियां प्रदान कर सकते हैं।

## 15.2 वित्तीय प्रावधानों का स्पष्टीकरण

**वैयक्तिक घरेलू शौचालय हेतु प्रोत्साहन राशि:**  
स्वामित्त्व को बढ़ावा देने के लिए लाभार्थी को अपने वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण में योगदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। लाभार्थीयों को अपनी प्रोत्साहन राशि को स्वेच्छा से त्याग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। राज्य सरकारों को यह भी छूट होगी कि वे आवश्यक होने पर उच्चतर इकाई लागत के लिए घरेलू शौचालय हेतु अपनी निधियों से अपेक्षाकृत अधिक प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सकती है। आदर्श रूप में, लाभार्थीयों द्वारा गांव में स्थित एजेंसियों की सहायता से/अथवा उनके माध्यम से अपने आप निर्माण कार्य कराया जाना चाहिए। राज्य, निर्माण और उपयोग की विभिन्न अवस्थाओं में, एक या अधिक चरणों में परिवारों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का निर्णय ले सकते हैं। प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए DBT सुनिश्चित किया जाना होगा।

### सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC):

ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए 3 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायतों द्वारा इस राशि का 30% भाग 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अपने अनुदानों से वहन किया जाएगा और शेष 70% SBM(G) चरण-II के तहत प्राप्त निधियों से प्रदान किया जाएगा। तथापि, ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए PPP मोड पर बल दिया जाना है। ग्राम पंचायत सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए एक उपयुक्त स्थान तय करेगी जो सभी के लिए आसानी से सुलभ हो, पानी की पर्याप्त उपलब्धता हो और जहां दीर्घकालिक संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण के लिए मुख्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल बस्तियों, गांव के सबसे गरीब और/या प्रवासी मजदूरों/अस्थायी आबादी आदि वाले स्थानों को प्राथमिकता दी जाएगी।

### ठोस और तरल कचरा प्रबंधन (SLWM):

SLWM के अंतर्गत बड़ी संख्या में गतिविधियां शामिल हो सकती हैं, हालांकि SBM(G) के तहत वित्तपोषण की अनुमति केवल नीचे दी गई प्रमुख गतिविधियों के लिए दी गई है:

- (i) घरों से ग्राम स्तर पर संग्रहण/छंटाई/भंडारण केंद्र तक कचरे को लाने के लिए तिपहिया साइकिल /बैटरी चालित वाहनों की खरीद

### (ii) जैविक कचरा

- (k) ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक कम्पोस्ट गड्ढों का निर्माण  
(कम्पोस्ट पिट्स के निर्माण की श्रम लागत मनरेगा या किसी अन्य धन स्रोत के साथ अभिसरण करके वहन की जा सकती है)
- (x) जिला स्तर पर गोबरधन परियोजनाएं

### (iii) प्लास्टिक कचरा

- (k) ग्रामीण स्तर पर भंडारण की सुविधा
- (x) ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई

### (iv) गंदला जल प्रबंधन

- (k) सामुदायिक सोक पिट्स का निर्माण (छोटे गांवों में यानी 5000 की आबादी तक)। गंदला जल प्रबंधन प्रणाली यथा WSP या किसी अन्य प्रौद्योगिकी आदि को भी 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों या केंद्रीय/राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करके अतिरिक्त धनराशि की सहायता से अपनाया जा सकता है।
- (x) बड़े गांवों में (अर्थात् 5000 की आबादी से अधिक), सामुदायिक सोक पिट्स के अलावा, गंदला जल प्रबंधन प्रणाली यथा WSP या अन्य प्रौद्योगिकियों आदि को भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

(सोक पिट्स और गंदला जल प्रणालियों के निर्माण की श्रम लागत मनरेगा या किसी अन्य वित्तपोषण स्रोत के साथ अभिसरण करके वहन की जाएगी)

(ड्रेनेज चैनल्स (घर से गंदला जल की निपटान या प्रबंधन स्थान तक निकासी) की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों और/या मनरेगा या राज्य या केंद्र सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करके की जाएगी)

### (v) मलीय कचरा प्रबंधन (FSM):

सिंगल पिट और सेप्टिक टैक शौचालयों के लिए ग्राम समूह के लिए जिला स्तर पर मलीय कचरा प्रबंधन (FSM) किया जाएगा। SBM(G) के तहत FSM के लिए फंडिंग का उपयोग केवल ट्रैचिंग, शुष्कतल और FSMP या किसी अन्य तकनीक के लिए किया जा सकता है जहां मरम्मत या सह-शोधन संभव नहीं है।

(सैप्टिक टैक/सिंगल पिट से मलीय कचरा को निकालने का कार्य और इसकी दुलाई को उचित व्यवसायिक मॉडल से या/और ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदानों से या/और राज्य या केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करके किया जा सकता है)

### IEC और क्षमता निर्माण:

प्रोग्राम घटकों के लिए कुल वित्तपोषण का 5% तक, IEC और क्षमता सुदृढ़ीकरण पर खर्च किया जा सकता है। इसमें से 3% तक का उपयोग राज्य/जिला स्तरों पर और 2% तक का उपयोग केंद्रीय स्तर पर किया जा सकता है। IEC की तुलना में क्षमता सुदृढ़ीकरण पर बल दिया जाएगा। केंद्रीय (DDWS) स्तर पर, M&E, MIS, R&D से संबंधित विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रम प्रबंधन कंसल्टेंसी, तकनीकी मैनपावर आदि का नियोजन, केंद्रीय स्तर पर IEC गतिविधियों के लिए निर्धारित धनराशि से किया जाएगा।

### प्रशासनिक प्रभार:

कार्यक्रम घटकों के लिए कुल वित्तपोषण का 1% प्रशासनिक प्रभारों के तहत खर्च किया जा सकता है। प्रशासनिक प्रभारों के अंतर्गत सामान्यतः राज्य, जिला, लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर SBM(G) के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन के लिए नियोजित आउटसोर्स/ठेके पर रखा गया स्टाफ/परामार्शियों एवं एजेंसियों के बेतन भुगतान, सहायक सेवाओं, ईथन प्रभारों, वाहन किराया प्रभारों, स्टेशनरी, तथा मॉनीटरिंग और मूल्यांकन कार्यकलापों, एक्सपोजर दौरों के लिए भेजे जाने वाले अंतर-राज्यीय और अंतर-जिला सर्वेक्षण दलों को यात्रा भत्तों/दैनिक भत्तों के भुगतान की अनुमति दी जाएगी। ‘प्रशासनिक व्यय’ के अधीन निम्नलिखित व्यय मदों का भुगतान विशेष रूप से निषेध है:

- क. वाहनों की खरीद
- ख. भूमि और भवनों की खरीद
- ग. सरकारी भवनों और विश्राम गृहों का निर्माण (इसमें SBM(G) परियोजनाओं के लिए आवश्यक शौचालय इकाइयां शामिल नहीं हैं)

घ. किसी भी राजनीतिक दल और धार्मिक संगठनों के लिए खर्च

ड. उपहार और दान पर खर्च

च. राज्य में किसी अन्य योजना या निधि में धन का अस्थायी अंतरण

### परिचक्राणी निधि:

SBM(G) निधियों में से जिला स्तर पर एक परिचक्राणी निधि (रिवोल्विंग फंड) उपलब्ध होगी। राज्यों के निर्णय के अनुसार, परिचक्राणी निधि अच्छी साख वाली सोसाइटियों, स्वयं सहायता समूहों या अन्य समूहों को दी जा सकती है ताकि वे शौचालयों के निर्माण हेतु अपने सदस्यों को आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर सकें। इस धनराशि से लिए गए ऋण की वसूली 12-18 किस्तों में की जानी चाहिए। राज्यों को परिचक्राणी निधि की संस्कीर्ति के लिए अन्य शर्तों को निर्धारित करने की छूट होगी।

परिचक्राणी निधि का लाभ वे APL परिवार उठा सकते हैं जो इन दिशा-निर्देशों के अधीन प्रोत्साहन राशि पाने के पात्र नहीं हैं। जिन परिवारों ने पहले किसी स्वच्छता योजना के तहत प्रोत्साहन राशि प्राप्त की है, वे भी ऋण के रूप में इस तरह के वित्त का उपयोग कर सकते हैं। प्रोत्साहन राशि के तहत कवर किए गए घर भी (BPL और APL), स्नान सुविधा वाले बेहतर शौचालयों की अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए परिचक्राणी निधि के तहत वित्तपोषण के लिए संपर्क कर सकते हैं। अच्छी साख वाले पंजीकृत SHG ऐसे वित्तपोषण के लिए DWSM से संपर्क कर सकते हैं। 1.50 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के भीतर रहते हुए जिला परियोजना परिव्यय का 5% तक परिचक्राणी निधियों के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जिसमें RSM/PC की स्थापना के लिए निधियां भी शामिल हैं। किसी जिले में परिचक्राणी निधि के प्रावधान को DWSM/DWSC द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।





## निधियां जारी करना

SBM(G) चरण-II में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता दी जाएगी। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कार्यानिष्ठादान और कार्यक्रम के परिणाम प्राप्त करने की क्षमता के आधार पर निधि जारी की जाएगी। राज्य निम्नलिखित शर्तों के पूरा करने ही पर निधि जारी किए जाने के पात्र बनेंगे:

1. राज्य मंत्रिमंडल ने SBM(G) चरण-II को लागू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया हो और इस कार्यक्रम के लिए राज्यांश समय पर जारी करने के लिए प्रतिबद्धता बताई हो;
2. राज्य ने SBM(G) चरण-II के घटकों के कार्यान्वयन और प्रबंधन के लिए सुझाई गई संस्थागत व्यवस्था स्थापित कर ली हो;
3. SBM(G) घटकों के सह-वित्तपोषण के लिए ग्राम पंचायतों को धनराशि देने के लिए सहमत हो;
4. परियोजना कार्यान्वयन योजना और वार्षिक कार्यान्वयन योजनाएं बनाए।

### 16.1 केंद्र से राज्य स्तर के कार्यान्वयन निकाय को निधि जारी करना

वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा SBM(G) के तहत राज्य सरकारों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निधियां जारी की जाएंगी। राज्य सरकारें, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से निधि के अंतरण के 15 दिनों के भीतर इस निधि को SSBM(G) को राज्य के समतुल्य अंश सहित जारी करेंगी। यदि राज्य सरकारों द्वारा राज्य के अंश को अग्रिम रूप से जारी कर दिया जाता है तो उसका समायोजन परवर्ती वर्ष (वर्षों) में जारी किए जाने वाले केंद्रीय अंश के मद्देनजर किया जा सकता है।

SBM(G) के तहत निधियां राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को तभी जारी की जाएंगी जब संबंधित सरकार यह वचन दे कि 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत स्वच्छता गतिविधियों के लिए निश्चित की गई निधियां ग्रामीण स्थानीय निकायों को दी जा रही हैं।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (विदेशी बैंक के सिवाय) या SBM(G) निधियों की प्राप्ति के लिए और केंद्रीय अंश, राज्यांश, या किसी अन्य प्राप्तियों सहित SBM(G) से संबंधित सभी लेन-देनों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत बैंक में, एक सिंगल बचत खाते का संचालन करेंगे। जिला/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तरों पर SBM(G) से संबंधित सभी मौजूदा खातों में खर्च नहीं हुई शेष धनराशि को राज्य के नोडल बैंक खाते में अंतरित करने के बाद इन खातों को बंद कर दिया जाएगा। SSBM(G) नोडल बैंक खाते का विवरण यथा बैंक का नाम, IFSC कोड और खाता संख्या आदि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को सूचित किया जाना चाहिए और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की पूर्व अनुमति के बिना परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान इसे बदला नहीं जाना चाहिए। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपने SSBM(G) स्तर पर मौजूदा खाते को नोडल खाते के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के अधीन निधियां जारी करना/अग्रिम देना/अंतरण/व्यय, सभी स्तरों पर, भारत सरकार की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।

प्रत्येक वर्ष AIP में लिए गए निर्णय के अनुसार राज्यों की अनुमोदित मांग तथा राष्ट्रीय स्तर पर निधियों की उपलब्धता के आधार पर दो समान किस्तों में निधियां जारी करने के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वित्तीय सलाहकार के अनुमोदन से सभी राज्यों के लिए अस्थाई आबंटन किया जाएगा। प्रत्येक किस्त दो भागों में जारी की जाएगी। सभी पात्र राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संपूर्ण रूप से किस्तें जारी करने के लिए DDWS के एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति प्राप्त की जाएगी और तदनुपरांत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा धनराशि के उपयोग के आकलन के बाद, विभाग हिस्सों में धनराशि जारी करेगा। इस प्रकार, धनराशि के किसी भी अनावश्यक लंबन से बचने के लिए, वित्त मंत्रालय के 'जस्ट इन टाइम' सिद्धांत के समरूप धनराशियों के जारी किए जाने की योजना बनाई जाएगी।

राज्यों के अनुमोदित अस्थाई आबंटन के आधार पर तथा अपेक्षित शर्तों को पूरा करने के अधीन, SBM(G) के प्रभारी संयुक्त सचिव/अपर सचिव के अनुमोदन तथा DDWS के एकीकृत वित्त प्रभाग के अनुमोदन से निधियां जारी की जाएंगी।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सभी कार्यान्वयन एजेंसियों और नीचे के स्तर की एजेंसियों को PFMS में पैरेंट-चाइल्ड एजेंसी के रूप में पंजीकृत किया जाएगा और उन्हें SBM(G) के लिए लिंकड स्टेट स्कीम कोड और राज्य नोडल खाते के साथ मैप किया जाएगा - यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी लेनदेन अनिवार्य रूप से PFMS में किए जाएंगे।

उपरोक्त शर्त का पालन न करने से भविष्य में इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार की हिस्सेदारी जारी करने की प्रक्रिया प्रभावित होगी।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी करना भारत सरकार के मौजूदा आदेशों के भी अधीन होगा।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी करने के उद्देश्य से निधियों के उपयोग और अप्रयुक्त शेष राशि की निगरानी PFMS के माध्यम से की जाएगी।

### 16.1.1 पहली किस्त जारी करना

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश की पहली किस्त (अर्थात् अस्थायी आबंटन का 50%) को जारी किए जाने के लिए पात्रता की गणना, प्रथम किस्त की धनराशि में से पूर्ववर्ती वर्ष में जारी की गई राशि के 10% से अधिक ओपनिंग बैलेंस / अप्रयुक्त शेष (Unspent Balance) राशि को कम करने के बाद की जाएगी (यदि पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को कोई धनराशि जारी नहीं की गई थी तो 10% की गणना, पूर्ववर्ती वर्ष से पिछले वर्ष के दौरान राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को जारी की गई धनराशि के आधार पर की जाएगी)। अधिशेष ओपनिंग बैलेंस को समायोजित करते समय, उस राशि पर विचार नहीं किया जाएगा जिसके लिए पूर्ववर्ती वर्ष में मार्च माह के दौरान संस्वीकृति आदेश जारी किया गया हो।

पहली किस्त की संपूर्ण राशि दो भागों में जारी की जाएगी। पहला भाग अधिशेष ओपनिंग बैलेंस / अप्रयुक्त शेष राशि को समायोजित करने के बाद पहली किस्त की पात्र राशि का 50% होगा और इसे तब जारी किया जाएगा जब विगत वर्ष के दौरान देय हो चुके अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) और ASA के साथ अपेक्षित दस्तावेज सहित प्रथम किस्त जारी करने से संबंधित पूर्ण औपचारिक प्रस्ताव राज्य द्वारा प्रस्तुत कर दिया जाए और उस पर DDWS के एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाए। तथापि, एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति प्रथम किस्त की पूरी 50% धनराशि के लिए ली जाएगी। द्वितीय भाग अर्थात्, अधिशेष ओपनिंग बैलेंस / अप्रयुक्त शेष राशि को समायोजित करने के बाद प्रथम किस्त की पात्र राशि का 50%, तथा पहली किस्त का शेष भाग अर्थात् समायोजित किया गया अधिशेष ओपनिंग बैलेंस / अप्रयुक्त शेष राशि, यदि कोई हो, को वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियों के 80% भाग अर्थात् ओपनिंग बैलेंस, पहली किस्त के पहले भाग के रूप

में जारी की गई धनराशि और उन पर प्राप्त ब्याज, का उपयोग किए जाने के बाद, विभाग द्वारा स्वतः ही (अर्थात् बिना किसी प्रस्ताव के और बिना एकीकृत वित्त प्रभाग को भेजे) जारी किया जायेगा।

### 16.1.2 दूसरी किस्त जारी करना

अस्थायी आबंटन के अनुसार निधियों की दूसरी किस्त भी, निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर, दो भागों में जारी की जाएगी:

- i) राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से विशेष प्रस्ताव की प्राप्ति;
- ii) DDWS द्वारा यथा अपेक्षित वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्ट। इसमें SSG में राज्य के कार्य निष्पादन के तत्त्व, वार्षिक सत्यापन प्रक्रिया के निष्कर्ष और समय-समय पर यथा निर्धारित अन्य बातें शामिल होंगी;
- iii) समय-समय पर DDWS द्वारा यथा अपेक्षित AIP में निर्दिष्ट लक्ष्यों के संदर्भ में मासिक/त्रैमासिक प्रगति का विवरण;
- iv) केंद्रीय अंश जारी होने के 15 दिनों के भीतर SWSM खाते में अनुपातिक राज्य अंश जारी करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता;
- v) SWSM के पास उपलब्ध निधियों अर्थात् ओपनिंग बैलेंस, वर्ष के दौरान SBM(G) के अधीन सहायता अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में जारी निधियां और उन पर अर्जित ब्याज, का 60% उपयोग, केंद्रीय अंश और राज्य अंश के लिए पृथक रूप से;
- vi) राज्य की निधियां व्यय करने की क्षमता का विश्लेषण (विगत दो महीनों के दौरान औसत व्यय के आधार पर अधिकतम छह माह के लिए आवश्यकता);
- vii) अनुलग्नक-IX के अनुसार पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करना;
- viii) अनुलग्नक-X के अनुसार केंद्रीय और राज्य अंशों के संबंध में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में SBM(G) के प्रभारी सचिव द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित अलग-अलग अंतिम उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना;
- ix) केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर लगाई गई कोई अन्य शर्त (शर्तें)।

पहला भाग दूसरी किस्त की संपूर्ण राशि का 50% होगा और उसे दूसरी किस्त के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा उपर्युक्त शर्त पूरी करने एवं एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति प्राप्त होने पर जारी किया जाएगा। तथापि, एकीकृत वित्त प्रभाग की सहमति दूसरी किस्त की संपूर्ण राशि के लिए प्राप्त की जाएगी। दूसरा भाग, अर्थात् दूसरी किस्त का शेष 50%, केंद्रीय और राज्य अंशों के संदर्भ में वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियों अर्थात् ओपनिंग बैलेंस,

वर्तमान वर्ष के दौरान जारी धनराशि (पूरी प्रथम किस्त और दूसरी किस्त का पहला भाग) और उन पर अर्जित ब्याज, के 80% उपयोग के बाद विभाग द्वारा स्वतः ही (बिना किसी प्रस्ताव के और बिना एकीकृत वित्त प्रभाग को भेजे) जारी कर दिया जाएगा।

यदि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पूर्ववर्ती वित्त वर्ष के संबंध में लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उचित औचित्य के साथ विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त होने एवं दूसरी किस्त को जारी करने के संबंध में अन्य शर्तें पूरी करने पर अस्थायी आबंटन का 75% तक जारी किए जाने पर विचार किया जाएगा।

## 16.2 बेहतर कार्यनिष्पादन वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त धनराशि जारी करना

राज्यों को निधियां, प्राप्त परिणामों और उनकी निधि व्यय क्षमता का विश्लेषण करने के बाद, उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर और चुनौती मोड में जारी की जाएंगी। अस्थायी आबंटन के अनुसार धनराशि जारी करने के लिए पूर्ण दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष की 15 फरवरी होगी। तत्पश्चात, राज्य (राज्यों) की शेष राशि, बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को उनकी कार्य योजना के आधार पर सचिव, DDWS के अनुमोदन के साथ उनके आबंटन को संशोधित करने के बाद जारी की जाएगी, बशर्ते वर्ष के दौरान उपलब्ध निधियों का 75% उपयोग किया गया हो।

## 16.3 जारी की गई निधियों पर अर्जित ब्याज

SBM(G) निधियां (केंद्रीय और राज्य अंश) केवल बचत बैंक खाते (खातों) में रखी जानी चाहिए। SBM(G) निधियों पर अर्जित ब्याज को SBM(G) संसाधन का भाग माना जाएगा। राज्य को अनुवर्ती किस्तों के लिए दावा/दावों के साथ-साथ SBM(G) की निधियों पर अर्जित ब्याज के उपयोग का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए और इसे उपयोगिता प्रमाण पत्रों में दर्शाया जाना चाहिए।





## निगरानी और मूल्यांकन

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, केंद्रीय स्तर पर, राज्यों और जिलों के साथ समन्वय करके निगरानी और मूल्यांकन कार्य का नेतृत्व करेगा। SBM(G) चरण-II के तहत, ODF लज्जा गांवों को सुनिश्चित करने के लिए परिणामों की प्रभावी निगरानी की जाएगी। प्रशासनिक उद्देश्यों, जैसे व्यय और सूजित परिसंपत्तियों की निगरानी, के लिए भी आउटपुट की निगरानी की जाएगी। निगरानी व्यवस्था से निम्नलिखित की पहचान होनी चाहिए:

1. क्या व्यवहार परिवर्तन के लिए पर्याप्त IEC क्रिया कलाप किए गए ?
2. क्या गांवों की खुले में शौचमुक्त स्थिति हासिल हो गई है और वह निरंतर बनी हुई है ?
3. क्या पर्याप्त ठोस कचरा प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है ?
4. क्या पर्याप्त तरल कचरा प्रबंधन सुनिश्चित किया गया है ?
5. क्या गांव साफ-सुथरे दिखाई देते हैं ?

निगरानी और मूल्यांकन गतिविधियाँ प्रभावी ढंग से और कुशलतापूर्वक कार्यक्रम के परिणामों की निगरानी की ओर उन्मुख होंगी। निगरानी में कार्यक्रम की प्रगति और प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए स्वतंत्र आकलन, आवधिक समीक्षा, क्षेत्रिय दौरें और विषयगत परामर्श भी शामिल होंगे।

### 17.1 उत्पादन-परिणाम निगरानी प्रणाली

SBM(G) चरण-II में उत्पादन-परिणाम निगरानी प्रणाली का उपयोग करके आउटपुट और आउटकम की प्रगति की निगरानी की जाएगी। आउटपुट का अभिप्राय कार्यक्रम गतिविधियों के प्रत्यक्ष और मापीय उत्पाद से है, जिसे अक्सर भौतिक रूप या इकाई में व्यक्त किया जाता है। आउटकम का अभिप्राय प्राप्त सामूहिक परिणामों या इन सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया में लाए गए गुणात्मक सुधार से है। SBM(G) के लिए सुझाई गई उत्पादन-परिणाम निगरानी प्रणाली की रूपरेखा निम्नानुसार है:-

मापदंड	उत्पादन (आउटपुट)	परिणाम (आउटकम)
खुले में शौचमुक्त स्थायित्व	निर्मित वैयक्तिक घरेलू शौचालयों की संख्या निर्मित किए गए सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की संख्या	शौचालय सुविधा प्राप्त करने वाले और उसका नियमित उपयोग करने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत  खुले में शौचमुक्त स्थिति की पुष्टि करने वाले गांवों का प्रतिशत
गांवों की स्वच्छता में सुधार	ठोस कचरा प्रबंधन वाले गांवों की संख्या गंदला जल प्रबंधन वाले गांवों की संख्या प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों वाले ब्लॉकों की संख्या मलीय कचरा प्रबंधन व्यवस्था वाले जिलों की संख्या	न्यूनतम मात्रा में कचरे वाले गांवों का प्रतिशत अपशिष्ट जल के न्यूनतम ठहराव वाले गांवों का प्रतिशत

आउटपुट और आउटकम संकेतकों को कार्यक्रम की अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है।



## 17.2 एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली

SBM(G) चरण-II में एक व्यापक ऑनलाइन एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (IMIS) होगी जो निर्णय लेने में सहायता के लिए कार्यक्रम प्रबंधकों को नियमित और व्यवस्थित जानकारी प्रदान करेगी। SBM(G) चरण-II में राज्य सरकारों द्वारा सीधे दर्ज किए गए डाटा और पंचायती राज विभाग और ग्रामीण विकास विभाग से समय-समय पर प्राप्त होने वाली सूचनाओं के उपयोग से एकीकृत प्रबंधन संबंधी जानकारी प्राप्त होगी। IMIS के अंतर्गत, सभी SBM(G) गतिविधियां अर्थात् वैयक्तिक पारिवारिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, SLWM अवसंरचना, IEC, क्षमता निर्माण और प्रशासन संबंधित गतिविधियां, वित्तीय प्रगति सहित, विशेष रूप से SBM(G) के IMIS में दर्ज की जाएंगी। अन्य गैर-SBM(G) वित्तपोषित गतिविधियों को वित्तपोषण कार्यक्रम के MIS से निकालकर विश्लेषण के लिए IMIS में प्रस्तुत किया जाएगा।

IMIS के अंतर्गत ऐसे तौर-तरीके (मॉड्यूल) होंगे जिनसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर योजनाओं की स्थिति तथा उनकी आयोजना और कार्यान्वयन के बारे में जानकारी मिलेगी। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रदान की गई उपयोगकर्ता-आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वास्तविक समय (रियल टाइम) के भीतर कार्यक्रम के कार्यान्वयन की अपनी भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट IMIS पर ऑनलाइन दर्ज करेंगे। यह अनुशंसा की जाती है कि सभी IMIS प्रविष्टियां पदनामित डाटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा ब्लॉक स्तर पर की जा सकती हैं जबकि केवल आवश्यक अनुमोदन ही जिला स्तर पर लिए जा सकते हैं।

समस्त गतिविधि-वार भौतिक और वित्तीय प्रगति को वास्तविक समय में SBM(G) के IMIS में अपडेट किया जाना है। IMIS में की जाने वाली किसी भी डाटा प्रविष्टि के लिए जिले द्वारा अनुमोदन संबंधी समस्त कार्रवाई, ब्लॉक स्तर पर प्रविष्टि करने के 5 दिनों के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए और राज्य द्वारा MIS में की जाने वाली किसी भी डाटा प्रविष्टि के लिए अनुमोदन संबंधी समस्त कार्रवाई 10 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी।

## 17.3 बेसलाइन सर्वेक्षण

कार्यक्रम की प्रभावी योजना और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए ODF प्लस मापदंडों संबंधी, कार्यक्रम की बेसलाइन निर्धारित की जानी चाहिए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जिला/ब्लॉक समन्वयक/स्वच्छाग्रहीयों की सहायता से 31 अगस्त, 2020 तक सभी गांवों के लिए SBM(G) के तहत प्रमुख घटकों पर प्रारंभिक कवरेज निर्धारित करने के लिए वित्त वर्ष 2020-21 में एक बेसलाइन आकलन किया जाएगा। इस बेसलाइन के तहत 31 मई, 2020 तक विभिन्न केंद्रीय/राज्यीय/अन्य योजनाओं/स्व-वित्त पोषण के अधीन निर्मित सभी सामुदायिक और व्यक्तिगत SLWM परिसंपत्तियों की सूचना मोबाइल ऐप या किसी अन्य उपयुक्त कार्य पद्धति के माध्यम से दी जाएगी। बेसलाइन कार्य को करने का विवरण, पैयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा साझा किया जाएगा।

## 17.4 परिसंपत्तियों की जीयो-टैगिंग

इस कार्यक्रम के तहत निर्मित सभी परिसंपत्तियों (सामुदायिक SLWM परिसंपत्तियों और CSC सहित) को DDWS मोबाइल ऐप की सहायता से अनिवार्य रूप से जीयोटैग किया जाना है। जीयोटैगिंग, IMIS पर पंजीकृत जिला प्राधिकृत कर्मियों (जिला या ब्लॉक या क्लस्टर समन्वयक/ पंजीकृत स्वच्छाग्रहीयों आदि) द्वारा की जाएगी। यदि कार्य क्षेत्र में कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएं हों तो अधिकृत व्यक्ति फोल्ड में DDWS के मोबाइल ऐप पर जीयोटैगिंग ऑफलाइन पूरा कर सकता है और फिर कनेक्टिविटी होने पर IMIS पर डाटा का समन्वयन किया जा सकता है।

अधिकृत कर्मियों द्वारा एक बार जीयोटैगिंग पूरा कर लेने के बाद जीयोटैगिंग के लिए अन्य किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। तथापि, जिलों को जीयोटैगिंग की गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में जीयोटैगिंग पर 5% रैंडम जांच करने के लिए अधिदेशित किया जाएगा। यदि रैंडम जांच के दौरान विसंगतियाँ पाई गई हों तो जांच रिपोर्ट के विवरण को आवश्यक कार्रवाई के लिए उप

जिला प्राधिकारियों के साथ साझा किया जाए।

### 17.5 ODF प्लस गांवों की घोषणा और सत्यापन

इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गुणवत्ता की समर्ती निगरानी की जाएगी जो निम्न प्रकार होगी:

#### (i) ODF प्लस घोषणा

SBM(G) के IMIS में परिलक्षित वास्तविक लक्ष्यों को पूरा किए जाने पर, ग्राम सरपंच/ उप-सरपंच/ प्रधान/ मुखिया और पंचायत सचिव, गांवों में ODF-प्लस व्यवस्थाओं के होने के संबंध में यथोचित परिश्रम (due diligence) करेंगे, जिसके बाद पंचायत को ODF प्लस घोषित करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाएगी। ग्राम सरपंच/ उप-सरपंच/ प्रधान/ मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षर कराके पूरे ग्राम पंचायत के लिए ODF प्लस का घोषणा प्रमाण पत्र अपलोड करके IMIS पर सभी गांवों की ODF-प्लस के रूप में घोषणा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ब्लॉक प्राधिकारियों की होगी। ODF प्लस घोषणा प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-XI पर संलग्न है।

ग्राम पंचायत अपने प्रत्येक गांव को अलग-अलग समयावधि पर भी ODF प्लस घोषित कर सकती है। इस मामले में, प्रत्येक गांव के लिए अलग-अलग ODF प्लस घोषणा प्रमाणपत्र तैयार करना होगा और उन्हें IMIS पर अपलोड करने से पहले प्रत्येक पर सरपंच/ उप-सरपंच/ प्रधान/ मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा हस्ताक्षर करना होगा।

#### (ii) जिलों द्वारा ODF प्लस सत्यापन

गांव को एक बार ODF प्लस घोषित किए जाने के बाद, जिले को ODF प्लस घोषणा के 90 दिनों के भीतर गांव के सभी घरों को कवर करते हुए, गांव का अनिवार्य रूप से तृतीय पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। घोषणा और सत्यापन के बीच 90 दिवसीय अवधि का उपयोग किसी भी अंतराल को भरने के लिए किया जाना चाहिए जो उन्हें गांव/ पंचायत में निर्धारित ODF प्लस गतिविधियों में मिला हो। सुझाए गए प्रोटोकॉल के साथ-साथ, घरेलू और गांव स्तर पर ODF प्लस सत्यापन के लिए मूल्यांकन हेतु संकेतकों की एक सूची अनुलग्नक- XII

पर संलग्न है।

जिले, जिला/ब्लॉक के अधिकारियों या गैर-सरकारी स्वयंसेवकों की तृतीय पक्ष सत्यापन टीमों का गठन कर सकते हैं। हालांकि गैर सरकारी संगठनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिले इस सत्यापन के लिए तृतीय पक्ष एजेंसियों को भी शामिल कर सकते हैं। ODF प्लस की परिभाषा और इसके सत्यापित किये जाने वाले घटकों को समझने के लिए सत्यापन टीमों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया में समुदाय के लोगों को शामिल किया जा सकता है।

पहले सत्यापन के भाग के रूप में, प्रत्येक जिले को जिला कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षरित जिले की ODF प्लस स्थिति की पुष्टि करने वाले ODF प्लस प्रमाण पत्र को विधिवतरूप अपलोड करना होगा। इसके लिए एक मूल प्रारूप अनुलग्नक-XIII पर संलग्न है।

उपर्युक्त सत्यापन प्रक्रिया के पश्चात प्राधिकृत कार्मिकों द्वारा IMIS पर गांव को सत्यापित रूप में चिह्नित किया जाएगा। तत्पश्चात, पहले सत्यापन के बाद, गांव का हर वर्ष एक बार ODF प्लस सत्यापन किया जाएगा।

#### (iii) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ODF

##### प्लस सत्यापन

हालांकि जिले हर साल 100% ODF प्लस गांवों का सत्यापन करेंगे, तथापि राज्य के दलों द्वारा नमूना सत्यापन किया जाएगा जिसमें वार्षिक आधार पर प्रत्येक गांव के कम से कम 5% परिवार शामिल किए जाएंगे। राज्य, गांवों का सत्यापन उन्हीं संकेतकों के आधार पर कर सकते हैं जो ODF प्लस गांवों के जिला स्तरीय सत्यापन के लिए निर्धारित हैं। इस प्रकार, IMIS पर ODF प्लस का नमूना सत्यापन राज्य स्तर पर किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर पर समर्पित निगरानी दल होंगे जो इस मिशन की गतिविधियों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे जिनमें क्षेत्रीय स्तर की निगरानी शामिल होगी।

इस कार्यक्रम की समर्ती निगरानी के लिए स्वतंत्र एजेंसियों/CSO/गैर-सरकारी संगठनों के उपयोग की अनुमति है। केंद्रीय और राज्य मिशन निगरानी गतिविधियों के लिए संबंधित राज्यों में अनुभवी और मौजूद एजेंसियों की सहायता ले सकते हैं। राज्य स्तर पर M&E गतिविधियों के लिए प्रशासनिक घटक के अनुमेय व्यय का 5% तक उपयोग किया जा सकता है।

## 17.6 'स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-SSG' के माध्यम से वार्षिक निगरानी

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, राज्यों और जिलों द्वारा घोषित किए गए परिणामों को सत्यापित करने के लिए, हर साल स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण (SSG) संचालित करेगा और उनकी ODF प्लस के प्रमुख मापदंडों पर रैंकिंग की जाएगी। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को इस संबंध में आयोजित एक विशेष समारोह में हर साल पुरस्कृत किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत मूल्यांकन के लिए मुख्य मापदंडों में निम्नलिखित मापदंड शामिल किए जा सकते हैं:

- » गांवों और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों में स्वच्छता की स्थिति का आकलन
- » राज्यों और जिलों द्वारा घोषित ODF प्लस प्रगति के बारे में किये गए दावों का सत्यापन
- » गांवों में स्वच्छता की स्थिति पर नागरिकों की प्रतिक्रिया

## 17.7 सोशल ऑडिट

प्रत्येक ग्राम पंचायत में छह महीने में एक बार सोशल ऑडिट की बैठक होगी। ग्राम पंचायतें इस कार्यक्रम का सोशल ऑडिट कराएंगी और इसमें सहायता करेंगी। DSBM(G) और BWSC इस कार्य का अनुपालन सुनिश्चित करने के जिम्मेदार होंगे। DDWS द्वारा SBM(G) के तहत सामुदायिक भागीदारी और निगरानी के लिए, सामाजिक ऑडिट के उपयोग के लिए समय-समय पर जारी, सामाजिक ऑडिट मैनुअल की सहायता ली जा सकती है।

## 17.8 कार्यक्रम मूल्यांकन

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश SBM(G) चरण-II के कार्यान्वयन पर आवधिक मूल्यांकन अध्ययन कर सकते हैं। इन मूल्यांकनों का कार्यक्रम की दक्षता एवं कारगरता में सुधार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य द्वारा मूल्यांकन अध्ययन, तय प्रतिष्ठित संस्थानों और संगठनों के माध्यम से कराया जा सकता है और रिपोर्ट की प्रतियां भारत सरकार को प्रस्तुत की जा सकती हैं। चाहिए। इन मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह के अध्ययनों की लागत की वसूली SBM(G) के प्रशासनिक प्रभार घटक से की जा सकती है।

केंद्रीय स्तर पर, इस मिशन के तहत आने वाले राज्यों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन समय-समय पर प्रतिष्ठित एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।




## वार्षिक लेखापरीक्षा

भारत सरकार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा समय-समय पर तय की गई सभी लेखापरीक्षा अपेक्षाओं का पालन किया जाएगा। राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छह महीने के भीतर CAG द्वारा अनुमोदित पैनल से चुने गए चार्टड अकाउंटेंट द्वारा खातों की

लेखापरीक्षा की जाए और खातों का लेखापरीक्षित विवरण पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को प्रस्तुत किया जाए। लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने का नमूना अनुलग्नक-IX में संलग्न है।







# वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय और सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लिए प्रोटोकॉलों की विवरण

## 1. ग्रामीण क्षेत्रों में वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय

मल का सुरक्षित प्रबंधन स्वच्छता के घटकों में से एक है। WHO ने यह पाया है कि एक ग्राम मल में 10,000,000 वायरस, 1,000,000 बैक्टीरिया, 1,000 पैरासाइट सिस्ट और 100 पैरासाइट अंडे हो सकते हैं। खुला और अनुपचारित मानव मल, मिठी, पानी और फसलों के माध्यम से तब तक भोजन को दूषित कर सकता है जब तक कि मल-मुख शृंखला को सुरक्षित स्वच्छता और साफ-सफाई की आदतों को अपनाकर तोड़ नहीं दिया जाए। उपयुक्त डिजाइन के शौचालय का उपयोग सुनिश्चित करना और घरों से निकलने वाले कचरे के सुरक्षित प्रबंधन की समुचित व्यवस्था, स्वास्थ्य, धन और सम्मान सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है।

खुले में शौचमुक्त समाज का निर्माण करना स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का मूल मंत्र है। इसका मतलब यह होगा कि परिवार और समुदाय/सार्वजनिक संस्थान मल के निपटान के लिए सुरक्षित तकनीक का उपयोग करें। SBM(G) के तहत, ठीक प्रकार से निर्मित घरेलू स्वच्छ शौचालय में निम्न घटक शामिल हैं:

- एक अधःसंरचना जिसमें मानव मल सुरक्षित रूप से एकत्रित किया जाता है और मल के पूरी तरह से विघटित होने से पहले मानव द्वारा इसके निकाले जाने की आवश्यकता को समाप्त करता है।
- फलशिंग और हाथ धोने के लिए पानी के भंडारण की व्यवस्था वाला समुचित ऊपरी ढांचा।

## > एक आदर्श शौचालय

- तकनीकी प्रकार चाहे जो भी हो, एक आदर्श शौचालय में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए
- » इसकी लागत वहनीय होनी चाहिए
  - » इसमें पानी का कम खर्च होना चाहिए
  - » इसके लिए कम स्थान की आवश्यकता होनी चाहिए
  - » यह दुर्गंध और कीटाणुओं से मुक्त होना चाहिए
  - » इससे स्वास्थ्य की सुरक्षा होनी चाहिए
  - » यह मल को कम्पोस्ट में बदलने में सक्षम होना चाहिए। इसे संचालित करना और बनाए रखना आसान होना चाहिए
  - » इसकी उपयोग अवधि लंबी होनी चाहिए




सुरक्षित प्रोटोकॉलों की खुले में शौचमुक्त स्थायित्व सुनिश्चित करने की कुंजी है। इसलिए, सस्ती, भौगोलिक रूप से व्यवहार्य, रख-रखाव में आसान व कचरे का ऑनसाईट शोधन करने वाली प्रोटोकॉलों की ग्रामीण भारत के महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हैं।

## > शौचालय के विभिन्न विकल्पों में से सही विकल्प का चयन


दुनिया भर में कई प्रकार के शौचालय होते हैं। इनमें से अधिकांश स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं, क्षेत्र की भू-भौतिकीय और भू-हाइड्रोलॉजिकल स्थितियों, पर्यावरणीय कारकों, आर्थिक स्थिति और लोगों की सांस्कृतिक आदतों आदि के अनुसार डिजाइन किए जाते हैं। इसलिए पूरे देश या एक पूरे राज्य के लिए किसी एक विशेष प्रकार के शौचालय की सिफारिश नहीं की जा सकती है।

### चयन करने के मानदंड


#### (A) Soil conditions



#### (B) Hard Strata



#### (C) Ground water conditions



स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उन क्षेत्रों के लिए जहां भू-जल स्तर 3 मीटर की गहराई से नीचे हो और मिट्टी की स्थिति सामान्य / रेतीली / पारगम्य / 1.2 मीटर की गहराई के बाद कठोर चट्टानी हो, घरेलू और सामुदायिक स्तर पर ट्रिवन-लीच पिट पोर फ्लश वाटर सील शौचालयों को बढ़ावा देता है।

## > ट्रिवन पिट शौचालय के लिए स्थान का चयन करते समय बरती जाने वाली सावधानियां

सबसे पहले, उपयोगकर्ताओं की सुविधा को देखें। यदि आम तौर पर खुले में शौच मानव बस्तियों से दूर किया जाता है। बंद शौचालय का उपयोग, वह भी घर के पिछवाड़े में, अनेक लोगों की आदतों में एक बड़ा बदलाव है। इसलिए उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्थान का चयन करें। तथापि, ट्रिवन पिट शौचालय के संचालन और अवसंरचना के तरीके को ध्यान में रखते हुए, तकनीकी रूप से निम्नलिखित बिंदु बहुत महत्वपूर्ण हैं और इनका अतिसरक्तापूर्वक पालन करने की आवश्यकता है।

1. ऐसे नीचे स्थान का चयन न करें, जहां पानी के ठहराव की संभावना हो। इससे लीच गड्ढों से पानी की लीचिंग में बाधा उत्पन्न होगी। इसके बजाय, थोड़ी ऊँचाई वाली जगह चुनें।


2. पीने के पानी के स्रोत जैसे हैंडपंप, कुआँ, नदी, तालाब आदि (सुरक्षित नल जलापूर्ति को छोड़कर) से सुरक्षित दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। लीच पिट से आस-पास वाली जगह में पानी का निरंतर रिसाव होता रहता है और यदि आस-पास भू-जल का स्रोत हो तो उसके दूषित होने की पूरी संभावना रहती है। इससे बचाव के लिए एक निश्चित सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है।
3. ट्रिवन पिट शौचालय किसी बड़े पेड़ से भी दूर स्थित होना चाहिए; अन्यथा पेड़ की जड़ें लीच के गड्ढे में प्रवेश कर जाएंगी और उनसे दीवारों में दरार पड़ सकती है।
4. ट्रिवन पिट शौचालय का निर्माण घर के पास या अंदर भी किया जा सकता है। तथापि, ऐसे मामले में लीच पिट और घर की दीवार के बीच 2 से 3 फीट की सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए।
5. ट्रिवन पिट शौचालय के लिए चट्टानी इलाका उपयुक्त नहीं है। हालांकि, अगर चट्टान ढाई फीट नीचे तक तोड़ी जा सकती हो तो ट्रिवन पिट शौचालय का निर्माण कुछ बदलावों के साथ किया जा सकता है।



परिवारों को तकनीकी विकल्पों, बाधाओं और लाभों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए तथा यह भी बताया जाना चाहिए कि प्रोयोगिकी और निर्माण सामग्री का चयन उनकी पसंद के अनुसार होगा।

### > शौचालय और पेयजल स्रोत के बीच की दूरी

पेयजल स्रोत जैसे हैंडपंप, कुआँ, नदी, तालाब आदि (सुरक्षित नल जलापूर्ति को छोड़कर) से सुरक्षित दूरी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार के इलाके, मिट्टी प्रकार, भूजल स्तर आदि में शौचालय और जल स्रोत के बीच कम से कम 3 मीटर (10 फीट) की दूरी होनी चाहिए।




$W$  = Vertical distance between bottom of the pit & highest water level

$D$  = Horizontal distance between pit & the water source

## > टिवन पिट शौचालय के बुनियादी घटक

यह कम लागत वाला है, इसके लिए कम जगह और कम पानी की आवश्यकता होती है, पिट खाली करना आसान है और पिट से निकलने वाली खाद का उपयोग कृषि के लिए किया जा सकता है।




## > टिवन पिट शौचालय कैसे कार्य करता है?

शौचालय पैन में जमा मल-मूत्र पानी के सील ट्रेप के माध्यम से जंक्शन चैम्बर में पहुंचता है। जंक्शन चैम्बर दो अलग-अलग फ्रेन पाइपों द्वारा दो भूमिगत लीच पिट्स से जुड़ा हुआ होता है। हालांकि, एक पाइप के मुंह को ईट के प्लग से सील किया जाता है। इससे मल एकिटव लीच पिट में चला जाता है और एक बार में केवल एक पिट में ही भरता है।

लीच पिट तली में सीमेंटेड नहीं होता है। पिट की दीवार पर हनीकॉम्ब (मधुमक्खी के छते जैसी संरचना) विधि से ईटें लगाई जाती हैं। मल से तरल पदार्थ गड्ढे की तली एवं दीवार के छिद्रों के माध्यम से मिट्टी में रिस जाते हैं। मल-मूत्र का ठोस हिस्सा पिट में रह जाता है जो बैक्टीरिया के माध्यम से विघटित होता है और कुछ समय बाद अच्छी गुणवत्ता वाले खाद में परिवर्तित हो जाता है।

आदर्श रूप से, गड्ढे का आकार 1 मीटर x 1 मीटर होना चाहिए और क्रॉस-संदूषण से बचने के लिए, गड्ढों के बीच की दूरी कम से कम 1 मीटर की होनी चाहिए।



## > टिवन पिट शौचालय के आवश्यक घटक - विस्तृत विवरण

### 1. लीच पिट्स में हनीकॉम्बिंग

पहली परत 9" चौड़ी हो। शेष सभी परतें एक ईट की चिनाई वाली हो। हनीकॉम्बिंग पाइप लेवल तक वैकल्पिक परतों में की जाए। पाइप के ऊपर वाली परतों में हनीकॉम्बिंग नहीं की जाए।



पहली परत में 9" ईट की चिनाई



वैकल्पिक परतों में हनीकॉम्बिंग करके सिंगल ईट की चिनाई वाली ऊपरी परतें

### 2. पाइप

इसमें 100 मिली मीटर के पीवीसी पाइप का उपयोग किया जाना चाहिए। पाइप में 10 में 1 का ग्रेडिएंट होना चाहिए। मोड़ के उपयोग से बचना चाहिए ताकि कम से कम पानी से मल का सुचारू प्रवाह हो सके।




पाइप पर्याप्त ढलान पर होना चाहिए



मोड़ का उपयोग नहीं करें


### 3. जंक्शन चैम्बर

यह मल-मूत्र के प्रवाह को एक पिट से दूसरे पिट में मोड़ने के लिए एक विशेष अवसरंचना है।



#### ४. वाटर सील ट्रेप

20 मिली मीटर वाटर सील का उपयोग किया जाना चाहिए। इससे पानी कम प्रयोग होता है।



#### ५. वाटर क्लोसेट पैन

खड़ी ढलान वाला पैन उपयोग किया जाना चाहिए। 250 से 300 ग्रेडिएंट वाले ग्रामीण पैन में बहुत कम पानी खर्च होता है।



Pan having less slope



Rural pan with adequate slope

#### ६. वेंट पाइप

दो गड्ढों वाले शौचालय में वेंट पाइप की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि लीच पिट में नाममात्र ही दुर्गंधयुक्त गैस उत्पन्न होती है और उत्पन्न हुई गैस हनीकॉम्बिंग के माध्यम से आस-पास की मिट्टी में अवशोषित हो जाती है।

#### ७. लीच पिट्स के लिए ढक्कन

लीच पिट्स को उपयुक्त ढक्कन से ढकने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित प्रकार के गड्ढे के ढक्कन उपयोग किए जा सकते हैं।

- १) **फ्लैगस्टोन्स-** अच्छी गुणवत्ता वाली शाहाबाद टाइल्स या कुडप्पा पत्थरों को सुविधाजनक रूप से गड्ढे के ढक्कन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रत्येक शौचालय में 4 फीट x 2 फीट के चार पत्थरों की आवश्यकता होती है। इन पत्थरों की चूनूतम मोटाई 1.5 इंच होनी चाहिए।
- २) लीच पिट्स को ढकने के लिए उचित रूप से ढाली गई और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट (आरसीसी) या फेरोसीमेंट स्लैब का भी उपयोग किया जा सकता है। रखने व हटाने की सुविधा के लिए इन ढक्कनों को दो टुकड़ों में बनाया जाना चाहिए।



> भरे हुए गड्ढों को खाली करना

एक गड़दा 3 से 5 साल की अवधि के भीतर भर जाता है जिसके बाद मल-मूत्र के प्रवाह को दूसरे पिट की ओर ले जाने के लिए जंक्शन चैम्बर में ब्रिक प्लग को बदल दिया जाता है। दूसरा गड़दा भी 3 से 5 साल में भर जाता है। गड़दे में जमा ठोस मल सड़ कर खाद में परिवर्तित हो जाता है। इसे बंद करने के लगभग एक / दो साल की अवधि के बाद निकाला जा सकता है और खाद बनने के बाद इसे खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

इस खाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं

1. इसमें कोई सक्रिय पैथोजेन नहीं होते हैं
  2. यह लगभग सूखा और भुरभुरा होता है
  3. इससे कोई दुर्गंध नहीं आती है

इन विशेषताओं के कारण खाद को बिना किसी नुकसान के आसानी से निकाला जा सकता है और इसे किसी भी फसल या घर के बगीचे में इस्तेमाल किया जा सकता है।



पेयजल स्रोत और टिक्कन पिट शैक्षालय के बीच सुरक्षित दुरी तथा मल-मूत्र के सुरक्षित निपटान के लिए सोक पिट के साथ सेप्टिक टैंक को दर्शाने वाला चित्र

## > दिव्यांगजन के लिए शौचालय की सुविधा

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) दिव्यांगजन के लिए अनुकूल शौचालय को बढ़ावा देता है। दिव्यांगता के प्रकार, शौचालय की सुविधा के प्रकार और उपयोगकर्ता की जरूरतों के आधार पर, शौचालय में कुछ अतिरिक्त संशोधनों की आवश्यकता होती है।

### सुविधाओं को भौतिक रूप से अनुकूल बनाना

#### क. शौचालय तक पहुंचने की सुविधाएँ

- » मार्ग
- » रेप
- » सहायता रेल
- » दृष्टि बाधित लोगों के लिए लैंडमार्क (चिह्न बनाना)



#### ख. शौचालय के अंदर की सुविधाएँ

- » चौड़ा प्रवेश द्वार
- » दरवाजे के सामने समतल प्लेटफार्म
- » स्ट्रिंग वाले दरवाजे
- » निजता के लिए बंद करने और लॉक करने में आसान

#### ग. उपयोग

- » आंतरिक लंबाई-चौड़ाई - हीलचेयर को अंदर ले जाने और मोड़ने, उपयोगकर्ता और उसके सहायक, अथवा सीट को एक ओर मोड़ने के लिए अतिरिक्त स्थान
- » सहायता रेल - ये जमीन पर फिक्स हों, जिन्हें ऊंचा नीचा किया जा सके, फ्रेम को मूर्ख जा सके, बीम से बंधी स्सी
- » सीट - फिक्सड और मूवेबल
- » उपकरणों का डिजाइन
- » पानी उठाने के लिए अनुकूलित तंत्र
- » हीलचेयर का उपयोग करने वाले व्यक्ति या सहायकों का उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिए दरवाजे की सपाट चौड़ाई 900 मि.मी. होनी चाहिए। दरवाजा आम तौर पर बाहर खुलना चाहिए। स्लाइडिंग दरवाजे बेहतर हैं।
- » दरवाजे के मुख्य छोर और उससे परे 450 मि.मी. से 600 मि.मी. की दूरी होनी चाहिए और सामने की ओर 1200 मि.मी. x 1200 मि.मी. का सुरक्षित प्रवेश स्थान होना चाहिए ताकि हीलचेयर का उपयोग करने वाला इधर-उधर मुड़ सके।
- » डोर हैंडल फर्श स्तर से 650 से 1100 मि.मी. के बीच होना चाहिए। बेहतर होगा यदि ये लीवर के आकार या डी टाइप हैंडल हो।
- » बाहर 150 मि.मी. लंबा हैंडल फिक्स किया जा सकता है। शौचालय के दरवाजे की दहलीज बिना किसी सीढ़ियों के उसी लेवल पर होनी चाहिए। कोई डोर (दरवाज़ा) सील या अन्य प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए।



## 2. ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर

सार्वजनिक शौचालय परिसरों के माध्यम से स्वच्छता सुविधाओं का प्रावधान उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है जो धन या जगह की कमी के कारण व्यक्तिगत शौचालय नहीं बना सकते हैं और खुले में शौच का विकल्प चुनते हैं। इस तरह के परिसर सार्वजनिक स्थानों, बाजारों, टैक्सी स्टैंड आदि में उपयोगी विकल्प हैं, जहां लोगों की भीड़-भाड़ अधिक होती है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर से समुदाय में स्वस्थ स्वच्छता आदतों के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा मिलता है।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर समुदाय के और / या आने-जाने वाले लोगों के उपयोग के लिए एक बुनियादी अवसंरचना है। सामुदायिक स्वच्छता परिसर से लोगों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराने, जिससे उनकी निजता और गरिमा बनी रहती है, के साथ साथ मानव मल-मूत्र के सुरक्षित निपटान / पुनः उपयोग की व्यवस्था भी उपलब्ध होती है।



सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण ग्राम सभा द्वारा चिह्नित और अनुसोदित स्थल पर किया जाना चाहिए। सामुदायिक शौचालयों का निर्माण आदर्श रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बस्तियों में किया जाना चाहिए जहां वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय बनाने की चुनौतियां हो सकती हैं। यह सामुदायिक स्वच्छता परिसर प्रवासी मजदूरों, मेलों/पर्यटन स्थलों/धार्मिक स्थलों आदि में बड़ी मात्रा में आने वाले लोगों की जरूरतों को भी पूरा करेगा और इससे खुले में शौचमुक्त स्थिति का स्थायित्व सुनिश्चित होगा तथा यह भी सुनिश्चित होगा सबको स्वच्छता के साधन उपलब्ध हों। इस तरह के सामुदायिक स्वच्छता परिसर में उचित संख्या में टॉयलेट सीट, नहाने के केबिन, कपड़े धोने का स्थान, वॉश बेसिन आदि शामिल होने चाहिए।

सामुदायिक स्वच्छता परिसर से लाभान्वित होने वाले परिवारों के समूह को आदर्श रूप से सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण की पहल करने के साथ-साथ उसकी निगरानी करनी चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर में पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग सुविधाएं सुनिश्चित की जानी चाहिए। सामुदायिक स्वच्छता परिसर को दिव्यांगजन के लिए भी सुगम्य बनाया जाना चाहिए।

सामुदायिक शौचालय से लाभान्वित होने वाले सभी परिवारों के नाम सामुदायिक स्वच्छता परिसर की दीवार पर पेंट करके प्रमुखता से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ऐसी परियोजनाओं की स्थापना के लिए PPP मोड पर बल दिया जाना चाहिए।

### > सामुदायिक स्वच्छता परिसर की योजना

गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसर की योजना बनाने और निर्माण के लिए निम्नलिखित जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है।

- » गांव में व्यक्तिगत शौचालयों की सुविधा से वंचित परिवारों की संख्या और स्वच्छ शौचालय परिसर के लिए उपयोगकर्ताओं की संभावित संख्या; उपयोगकर्ताओं की आयु - बच्चों और वयस्कों की संख्या;
- » प्रयोक्ताओं के घरों से सुविधाजनक दूरी - यह उनके घरों से बहुत दूर नहीं होना चाहिए (अन्यथा वे सामुदायिक शौचालयों का उपयोग न करके खुले में शौच करना पसंद कर सकते हैं);

- » स्वच्छता परिसर के लिए गांव में एक उपयुक्त स्थान का चयन शायद सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू है। ऐसा स्थान आम तौर पर लक्षित समुदाय के भीतर उपलब्ध नहीं होता है। कभी-कभी शौचालय परिसर निर्माण के लिए ग्राम पंचायत या स्थानीय जमीदारों के पास अप्रयुक्त स्थान उपलब्ध हो सकता है। जहां तक जमीदारों का संबंध है, ग्राम पंचायत और समुदाय को ऐसे जमीदारों से संपर्क करना चाहिए और उन्हें स्वच्छता परिसर के लिए स्थान प्रदान करने के लिए सहमत करना चाहिए; तथा
- » सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग के संबंध में जाति और वर्ग के संदर्भ में परिवारों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दे।

### **सामुदायिक शौचालय:**

सामुदायिक स्वच्छता परिसर ऐसी सुविधा है जिसका निर्माण उस स्थिति में किया जाता है जब वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण के लिए कोई अपेक्षित स्थान उपलब्ध नहीं हो। इसका उपयोग, स्वामित्व और रख-रखाव समुदाय के सदस्यों या स्थानीय शासन द्वारा किया जाता है। यह बस्तियों के आस-पास होना चाहिए। यह आम तौर पर समुदाय के भीतर उस स्थान पर स्थित होना चाहिए जहां लोग रहते हों। सामुदायिक शौचालय में, समुदाय की जरूरतों के अनुसार, नहाने की सुविधा या कपड़े धोने का स्थान जैसी अन्य सुविधाएं भी हो सकती हैं।

### **> सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण**

जब ग्राम पंचायत यह निर्णय ले लेती है कि सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जाना है तो परिसर के निर्माण और इसके संचालन एवं रख रखाव के लिए विस्तृत योजना तैयार करने का कार्य शुरू हो जाता है। प्रौद्योगिकी संबंधी विकल्प, लागत, संस्थागत व्यवस्था आदि के बारे में निणच्य किए जाते हैं। ऐसा करने में, क्षेत्र विशिष्ट विशेषज्ञों जैसे इंजीनियरों, वित्त विशेषज्ञों, संस्थागत विशेषज्ञों आदि से मदद ली जा सकती है। इन सभी प्रक्रियाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा समुदाय के परामर्श से और विशेषज्ञों की सहायता से किया जाना चाहिए।






### **प्रमुख प्रक्रियाओं में निम्नलिखित बातें शामिल होगी:**

- » प्रौद्योगिकी विश्लेषण;
- » लागत विश्लेषण;
- » O&M के प्रबंधन की व्यवस्था स्थापित करना;
- » शौचालय और स्नान के लिए पानी का प्रावधान;
- » वित्तीय प्रबंधन सहित सुविधाओं का निर्माण;
- » विज्ञापन विकल्पों सहित संभावित उपयुक्त लागत वसूली तंत्र की खोज करना।

## > सभी गांवों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर

(भूमिहीन, प्रवासी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहल आबादी वाली बस्तियों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए)

2 x 2 वाले सामुदायिक शौचालय की रूपरेखा



### DETAILS OF OPENING:-

D3- 0.80 X 2.00 M PVC FLUSH  
DOOR D4- 0.80 X 2.00 M IRON  
GRILL DOOR V- 0.60 X 0.30 M  
IRONVENTILATOR

PLINTH AREA:- 19.25 SQM

SLAB AREA:- 10.85 SQM

### अधिक विवरण के लिए:

- Handbook on Accessible Household Sanitation for Persons with Disabilities (PWDs), 2015, Swachh Bharat Mission, Grameen, Ministry of Drinking Water and Sanitation, Government of India, New Delhi
- 'T' for Toilet - A Technical Guidebook for Household Toilets for Different Conditions in Rural Maharashtra, 2014, Water Supply and Sanitation Department, Government of Maharashtra.
- Toilet Technology Options for Swachh Haryana, 2016, Development and Panchayat Department, Government of Haryana



## बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विकल्प

बायोडिग्रेडेबल कचरे में रसोई और संस्थागत कचरा, पशु मल, फसल अवशेष, त्यागी गई फल और सब्जियां तथा अन्य बायोडिग्रेडेबल कचरा जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के बगीचे का कचरा, शामिल होते हैं।

बायोडिग्रेडेबल कचरा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न कुल ठोस कचरे का एक उप-समुच्चय है और अक्सर इसे अन्य सूखे गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के साथ मिला हुआ पाया जाता है।

घरेलू स्तर पर, बायोडिग्रेडेबल कचरा, कुल कचरे का 60-80% तक होता है। बायोडिग्रेडेबल कचरे के अच्छे-खासे भाग का उपयोग जानवरों के चारे, ईंधन आदि के रूप में किया जाता है। यदि इसे वैज्ञानिक तरीके से स्टोर नहीं किया जाता है या सिर्फ ऊंच कर दिया जाता है, तो इससे वायु प्रदूषण और जलाशयों में प्रदूषण (विशेषकर मानसून के दौरान) हो सकता है। त

### पशु अपशिष्ट

खेतों में घरेलू और पालतू पशुओं की वजह से कूड़ा-करकट

### फार्म वेस्ट

फसल की कटाई के बाद खेतों में छोड़ी गई सामग्री, फलों और सब्जियों को तोड़ने के बाद रह जाने वाला कचरा

### बगीचे का जैव कचरा

निकाली गई धास-फूस, खरपतवार, कटाई-छंटाई, लॉन की किलिंग, पत्ते, फूल आदि

### रसोई और संस्थान से निकलने वाला कचरा

पका हुआ, कच्चा और / अथवा उपयोग नहीं किया गया भोजन, फल और सब्जियां

## बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन प्रणालियों को डिजाईन करते समय ध्यान दिए जाने वाले सिद्धांत

बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन कार्यों की योजना और कार्यान्वयन के दौरान इन सिद्धांतों का पालन करने से स्थायी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लक्षित आबादी की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं, उपयुक्त स्तरों पर कम संचालन और रख-रखाव लागत वाली सबसे उपयुक्त और उपयोग में आसान प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर विचार किया जाना होता है।



### बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन के घटक

बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन के घटकों में निम्न घटक शामिल हैं- अपशिष्ट उत्पन्न होना, अलगाव और एकत्रीकरण, परिवहन, शोधन और निपटान। हालांकि ये सभी घटक अक्सर दिखाई नहीं देते हैं और अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में बायोडिग्रेडेबल कचरे (कुछ और पशुओं संबंधी बायोडिग्रेडेबल कचरे को छोड़कर, घरों से उत्पन्न होने वाला) की कम मात्रा और स्थानीय उपयोग (उत्पन्न होने वाले स्तर पर ही) तथा इसकी संसाधन कीमत के कारण, बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन के इन घटकों के प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं होती है।

जहां तक संभव हो और विशेष रूप से छोटी ग्राम पंचायतों के लिए, बायोडिग्रेडेबल कचरे के घरेलू स्तर पर विकेंद्रीकृत प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाती है। इसी प्रकार, संस्थानों, बाजारों, होटलों, मंदिरों आदि से निकलने वाले कचरे के लिए जनरेशन स्तर पर ही प्रसंस्करण को प्राथमिकता दी जाती है। बड़ी ग्राम पंचायतों/पेरी-अर्बन क्षेत्रों अथवा उन क्षेत्रों के लिए जहां घरेलू स्तर पर प्रसंस्करण व्यवहार्य नहीं है वहां सामुदायिक स्तर और ग्राम या ग्राम समूह स्तर पर प्रसंस्करण पर विचार किया जा सकता है।

बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्रीकरण और उसकी ढुलाई प्रणालियां मुख्य रूप से अपेक्षाकृत बड़ी ग्राम पंचायतों या पेरी-अर्बन/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों/घनी आबादी वाले बड़े गांवों में प्रासंगिक हैं, जहां उत्पन्न कचरे की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसी ग्राम पंचायतों को तिपहिया, पुशकार्ट या बैटरी से चलने वाले गाहनों के उपयोग से घरों और संस्थानों से डोर दू डोर कलेक्शन तंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, अच्छी प्रकार की सामुदायिक कंपोस्टिंग के लिए घरेलू स्तर पर कचरे की छंटाई को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

प्रसंस्करण द्वारा खाद, बायोगैस, बिजली आदि जैसे उपयोगी उप-उत्पादों के उत्पादन के लिए लगभग पूरे बायोडिग्रेडेबल कचरे का प्रबंधन किया जा सकता है। इसलिए, निपटान मद पूरी तरह से समाप्त हो सकता है क्योंकि सभी उप-उत्पादों का उपयोग किया जाता है।

## प्रौद्योगिकी विकल्प

### प्रौद्योगिकियों विकल्पों की व्यवहार्यता हेतु मैट्रिक्स

प्रौद्योगिकी	विशिष्ट कचरा फीड	स्केल/स्तर	टोपोग्राफी
मिट्टी के बर्तन (पॉट) में कंपोस्टिंग/ पिट कंपोस्टिंग	रसोई घर से निकलने वाला कचरा और कम मात्रा में अन्य बायोडिग्रेडेबल कचरा	माइक्रो स्केल, वैयक्तिक घरेलू स्तर	सभी
पाइल कंपोस्टिंग	बगीचे से निकलने वाला कचरा, फसल अवशेष, रसोई घर का कचरा	लघु से मध्यम स्केल, घरेलू, सामुदायिक स्तर, खेत, मंदिर, संस्थान	सभी
स्थाई टैक पद्धति	फसल अवशेष, रसोई घर का कचरा, पशु कचरा	लघु से मध्यम स्तर, घरेलू, सामुदायिक स्तर, खेत, मंदिर, बाजार	सभी
वर्मी कंपोस्टिंग	रसोई घर से निकलने वाला कचरा, बगीचे से निकलने वाला कचरा, फसल अवशेष	लघु से मध्यम स्तर, घरेलू, सामुदायिक स्तर, खेत, मंदिर, बाजार	सभी, बहुत निम्न- तापमान वाले क्षेत्रों के अलावा
विंड्रो कंपोस्टिंग	फसल अवशेष, रसोई घर से निकलने वाला कचरा, पशु कचरा	मध्यम से बहुत स्तर, सामुदायिक स्तर, केंद्रीकृत	सभी
रोटरी इम कंपोस्टिंग	रसोई घर से निकलने वाला कचरा, बगीचे से निकलने वाला कचरा	लघु स्तर, मंदिर, होटल, बाजार	सभी क्षेत्र

कम्पोस्ट और बायो-मीथेनेशन सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकीयों हैं, इन्हें अनेक प्रकार की आवश्यकताओं के लिए तथा विभिन्न स्तरों पर अपनाया जा सकता है।

#### i) मिट्टी के बर्तनों (पॉट) में कम्पोस्टिंग (व्यक्तिगत घरेलू स्तर पर)

बायोडिग्रेडेबल कचरे की कंपोस्टिंग करने के लिए पॉट कंपोस्टिंग सबसे आसान, सबसे सुरक्षित और सबसे दक्ष तरीका है। पर्याप्त वातन के साथ पॉट कंपोस्टिंग में असहनीय दुर्गम्य का उत्सर्जन नहीं होता है। आसान उपलब्धता, सरलता, पोर्टेबिलिटी और दक्षता इस विधि को आकर्षक बनाती है। इसमें बहुत कम जगह की आवश्यकता होती है और इसलिए व्यक्तिगत घरेलू स्तर पर खाद बनाने के लिए उपयुक्त है।

##### विनिर्देशन और आकार

- » लगभग 50 सेमी ऊँचाई और मध्य में लगभग 35 सेमी व्यास के मिट्टी के बर्तन (ढक्कन वाले) - 2 नग और 3 बर्तन सिस्टम, जो स्थानीय रूप से मिट्टी/टेराकोटा और ओवन ड्राइड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लंबवत रखे जाते हैं और ऊपर वाले पॉट को ढक्कन से ढक दिया जाता है।
- » क्षमता - 2 किग्रा प्रतिदिन तक, 5-6 सदस्यों के परिवार के लिए



### ii) पिट कंपोस्टिंग (घरेलू और सामुदायिक स्तर पर)

कंपोस्टिंग पिट कंपोस्ट बर्टन खरीदने या बनाने का सरल और अच्छा विकल्प है क्योंकि इन्हें घर के पीछे की जमीन में बनाया जा सकता है। जहां भी यह संभव हो, वहां के लिए यह प्राथमिक विकल्प होना चाहिए।

#### विनिर्देशन और आकार

- » घरेलू पिट: 5 से 6 सदस्यों वाले एक परिवार के लिए 1 मीटर लंबाई 60 सेमी. चौड़ाई 1 मीटर गहराई वाला गड्ढा बनाया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार बड़े परिवारों के लिए अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले गड्ढे बनाए जा सकते हैं।
- » सामुदायिक पिट: पिट्स की संख्या और आकार को स्थान की आवश्यकताओं और भूमि की उपलब्धता के अनुसार, 1 मीटर गहराई और 6-8 फीट चौड़ाई रखते हुए, बदलाव किया जा सकता है।



### iii) पाइल कंपोस्टिंग (सामुदायिक स्तर पर)

वातित स्थिर पाइल कंपोस्टिंग (Aerated Pile Composting) से अपेक्षाकृत तेजी से कम्पोस्ट उत्पादन होता है और यह अपेक्षाकृत जैविक कचरे के समरूपी मिश्रण के लिए उपयुक्त है।

वातित स्थिर पाइल कंपोस्टिंग (Aerated Pile Composting) में, एक बड़े पाइल जैविक कचरे को मिलाया जाता है। पाइल को वातित करने के लिए, शिथिल पाइल वाले बल्किंग एजेंटों (जैसे लकड़ी के चिप्स, कटे हुए अखबार) की परतें जोड़ी जाती हैं ताकि पाइल में हवा नीचे से ऊपर तक जा सके।



#### iv) स्थायी टैक कंपोस्टिंग (सामुदायिक स्तर पर)

इस पद्धति में मिट्टी या मिट्टी की ईटों या सीमेंट की खोखली ईटों से स्थायी रूप से निर्मित टैक का उपयोग किया जाता है। इसलिए, टैक के लिए



स्थायी साइट का चुनाव ध्यान से करना महत्वपूर्ण होता है। यह वर्ष भर किसी भी समय के लिए, सीमित नमी वाले स्थान के लिए, अच्छा है और न्यूनतम संचालन और रख-रखाव लागत के साथ कंपोस्ट बनाने का यह सबसे अच्छा तरीका है।

#### v) वर्मी कंपोस्टिंग (सामुदायिक स्तर पर)

केंचुओं का उपयोग करके कंपोस्टिंग करने को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया के मुख्य रूप से दो चरण होते हैं:

क) कचरे का आंशिक क्षरण/आंशिक पाचन। इस चरण के दौरान, कचरे को केंचुओं के लिए सुपाच्य होने के लिए विघटित होने दिया जाता है।

ख) उचित संख्या में केंचुओं का संचारण करना।

इस प्रक्रिया में कचरे में पहले से मौजूद सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन होता है। यह चरण एक्सोथर्मिक होता है और तापमान को नियंत्रण में रखने के लिए और कचरे के द्रव्यमान को एरोबिक स्थिति में रखने के लिए ऑक्सीजन का उचित प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु, कचरे को दो दिनों में एक बार उलट-पलट किया जाना चाहिए। केंचुआ अपने पेट में कचरे का भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार से विघटन करता है। केंचुएं की पेट, एरोबिक बैक्टीरिया की निरंतर वृद्धि के लिए तापमान, pH और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए आदर्श स्थितियां प्रदान करके जैव रिएक्टर के रूप में कार्य करता है, जो पेथोजन्स पर हावी होकर उन्हें नष्ट कर देते हैं। ये सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक्स, विटामिन और पौधों के विकास हार्मेन जैसे उपयोगी यौगिकों का उत्पादन करते हैं।

#### vi) विंड्रो कंपोस्टिंग (सामुदायिक स्तर पर)

विंड्रो कंपोस्टिंग में ऑर्गेनिक कचरे की लंबी ढेरी नुमा पंक्तियां बनाई जाती हैं जिन्हें विंड्रो कहा जाता है और इन ढेरियों को हाथ से अथवा मशीन से उलट-पलट करके समय-समय पर उनका वातन किया जाता है। आदर्श विंड्रो की ऊँचाई चार से आठ फीट के बीच होती है, जिसकी चौड़ाई 14 से 16 फीट होती है। इस आकार की ढेरी आवश्यक ऊष्मा पैदा करने और उचित तापमान बनाए रखने के लिए पर्याप्त है। यह आकार विंड्रो के भीतर ऑक्सीजन के प्रवाह के लिए भी उचित है।



### viii) रोटरी ड्रम कंपोस्टिंग (सामुदायिक स्तर पर)

यह ड्रम सभी ऋतुओं के दौरान बिना किसी दुर्गम, कीटाणु और तलछट के, घर से निकले किचन वेस्ट और अन्य जैविक कचरे को तेजी से कंपोस्टिंग करने के लिए उपयुक्त है। 15-20 दिनों के भीतर प्राइमरी कंपोस्ट बन जाता है। सामुदायिक स्तर पर घन मीटर क्षमता वाले कंटिन्यूअस रोटरी ड्रम कंपोस्टर का इस्तेमाल प्रतिदिन 150-200 किलो जैविक कचरे की हाई रेट कंपोस्टिंग के लिए किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में घरों (रसोई घर से उत्पन्न कचरा, पशुओं का गोबर, सूखे पते आदि), संस्थानों और डेयरियों से उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के जैविक कचरे की तेजी से कंपोस्टिंग करने के लिए रोटरी ड्रम का छोटे भूखंड में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है।



### एकत्रीकरण वाहन और तिपहिया वाहन



ठेला



बैटरी चालित वाहन



तिपहिया साइकिल



#### और अधिक विवरण के लिए:

- » *Technological Options for Solid and Liquid Waste Management in Rural Areas, 2015, Swachh Bharat Mission, Grameen, Department of Drinking Water and Sanitation, Government of India, New Delhi.*
- » *Technical Manual for Scientific Waste Management, Suchitwa Mission, LSGD, Kerala*



## गोबर-धन के लिए दिशा-निर्देश और प्रौद्योगिकी विकल्प [GALVANIZING ORGANIC BIO-AGRO RESOURCES DHAN]

### पृष्ठभूमि

ग्रामीण भारत में पशु अपशिष्ट, रसोई अवशेष, फसल अवशेष, बाजार कचरा और मलीय कचरा सहित भारी मात्रा में जैव अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं। भारत की 19वीं पशुधन जनगणना, 2012 के अनुसार, लगभग 300 मिलियन गोजातीय, **65.07** मिलियन शेड, **135.2** मिलियन बकरियां और लगभग 10.3 मिलियन सूअर हैं। अकेले पशुधन से ही कम से कम 5,257 टन अपशिष्ट प्रतिदिन उत्पन्न होने का अनुमान है। इसके अलावा, 2014 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के अनुमानों के अनुसार, भारत में 620 मिलियन टन फसल अवशेष उत्पन्न हुए जिनमें से 300 मिलियन टन को कचरे के रूप में माना गया है और 100 मिलियन टन को खेतों में जलाया गया है।

गांवों में स्वच्छता सुनिश्चित करने और पशुओं के गोबर और ठोस कृषि कचरे को कम्पोस्ट और बायोगैस में परिवर्तित करके धन अर्जन और ऊर्जा का उत्पादन करने तथा ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए फरवरी, 2018 में माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में गोबरधन परियोजना की शुरुआत की घोषणा की गई। इस पहल का उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल कचरे से रिकवरी करने और कचरे को संसाधनों में बदलने में सहायता करना है। आशा है कि गोबरधन योजना से गांवों में ठोस कचरे खासकर जैव-कृषि कचरे के सुरक्षित और कुशल प्रबंधन में लोगों को सहयोग मिलेगा ताकि गांव स्वच्छ रहें।

### योजना और कार्यान्वयन

इस कार्यक्रम के तहत, व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर, गांवों/लॉकों/जिले में बायोगैस संयंत्रों का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक सामुदायिक स्तर का मॉडल बायोगैस संयंत्र अनिवार्य है। राज्य और जिले, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की NNBOMP जैसी अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण से गोबरधन पर और अधिक परियोजनाओं की योजना बना सकते हैं।

मॉडल गोबर-धन परियोजनाओं के लिए जिलों को सामुदायिक स्तर की परियोजनाएं गौ-शालाओं के निकट लगानी चाहिए ताकि ऑर्गेनिक कचरे की निबाध आपूर्ति हो सके और ये परियोजनाएं लंबे समय तक बनी रह सके तथा व्यापार मॉडलों को प्रोत्साहन दिया जा सके। हालांकि जहां भी व्यवहार्य हो,

जिलों को घरेलू स्तर की परियोजनाएं बनाने की छूट होगी।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की SATAT योजना के तहत स्थापित CBG (कंप्रेस्ड बायो-गैस) संयंत्रों के निकट के पेरी-अर्बन गांवों और अन्य गांवों में उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल कचरे का उपयोग, ऐसे CBG संयंत्रों में किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, जिन गांवों को SATAT योजना के अंतर्गत कवर नहीं किया जा सकता है उनमें MNRE के NNBOMP के अधीन वित्तीय सहायता मानदंडों के अनुसार 15वें वित्त आयोग के रूपल लोकल बॉडीज (RLBs) को दिए गए अनुदानों अथवा ग्राम पंचायत/जिला/राज्य के अन्य संसाधनों से लॉक द्वारा और अधिक गोबर-धन परियोजनाएं लगाई जा सकती हैं।

गांव/ग्राम पंचायत/लॉक/जिले स्तर पर और अधिक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उपयुक्त व्यवसायिक मॉडलों को अपनाया जाना चाहिए। राज्य/जिले अपने संसाधनों अथवा राज्य सरकार या केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण करके जहां भी आवश्यक और व्यवहार्य हो, गांव/ग्राम पंचायत/लॉक/जिला स्तर पर और अधिक गोबर-धन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए मॉडल परियोजनाओं से प्रेरणा ले सकते हैं।

## जिला योजना

प्रत्येक जिले की जिला कार्यान्वयन योजना में कम से कम एक मॉडल परियोजना शामिल होनी चाहिए जो राज्य के PIP/AIP का हिस्सा होगी। जिले गौ-शालाओं/ सब्जी मंडियों/ संस्थानों/ धार्मिक स्थलों/ कारखानों (चीनी प्रसंस्करण)/ मछली बाजारों/ सुअरशालाओं/ बूचाइखानों/ खाद्य परिसरों आदि के पास सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की योजना बना सकते हैं जहां बड़ी मात्रा में बायोडिग्रेडेबल कचरा उत्पन्न होता है।

उन परिवारों के लिए जिनके पास मवेशी हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में जहां कचरे का संग्रहण और परिवहन मुश्किल है व्यक्तिगत बायोगैस संयंत्र भी लगाए जा सकते हैं। जिला योजना में बायोगैस और बायो स्लरी के उपयोग का विवरण होना चाहिए।

## कार्यान्वयन की भूमिकाएं

### > ग्राम पंचायत की भूमिका

ग्राम पंचायत को अपने प्रत्येक गांव के लिए, उन परिवारों को सूचीबद्ध करके जिनके पास 5 से अधिक मवेशी है और वे सड़कों के किनारों पर गोबर को डंप कर रहे हैं, अलग-अलग बायोगैस संयंत्रों की योजना बनानी चाहिए। इस तरह की परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण MNRE की NNBOMP योजना के अनुसार होगा। ऐसे अलग-अलग संयंत्रों के लिए 1-3 क्यूबिक मीटर के बायोगैस संयंत्रों की योजना बनाई जा सकती है।

यदि गांव में साझा स्थान उपलब्ध है और गांव में मवेशियों की आबादी अधिक है तो ऐसे गांवों में MNRE की NNBOMP योजना के फंडिंग मानदंडों के अनुसार 4-10 क्यूबिक मीटर क्षमता वाले सामुदायिक बायोगैस संयंत्र लगाए जा सकते हैं।

उस ग्राम पंचायत को, जहां परियोजना कार्यान्वित की जाती है, IEC के प्रसार और कचरा अलगाव, बायोगैस और बायो स्लरी लाभों संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए शामिल किया जाना चाहिए और बायो स्लरी प्रबंधन में सहायता प्रदान करनी चाहिए। ग्राम पंचायत को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि संयंत्रों से निकलने वाली बायो-स्लरी को नालियों में न बहाया जाए या निपटान संबंधी समस्या उत्पन्न न हो।

### > जिले की भूमिका

इस परियोजना का अंतिम उद्देश्य गांवों में उत्पन्न होने वाले बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरे का प्रबंधन करना है। इसलिए जिले को परियोजना की आयोजना, कार्यान्वयन और निगरानी करनी चाहिए। DWSC, जिले में परियोजना अनुमोदन और निगरानी के लिए नोडल एजेंसी होगी।

परियोजना की तैयारी, पर्यवेक्षण और निगरानी लागत को परियोजना लागत का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। संचालन के पहले पांच वर्षों के लिए रख-रखाव की लागत को परियोजना लागत का एक हिस्सा बनाया जा सकता है।

जिला इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों के संबंध में निर्णय ले सकता है। उन्हें ऐसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में विश्वसनीय प्रमाणित रिकॉर्ड वाली एजेंसियों का चयन करना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड और प्रमाणित टिकाऊ मॉडल के आधार पर, बायोगैस संयंत्र लगाने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव रखने वाली एजेंसियों को चुना जा सकता है। जिला किसी तकनीकी एजेंसी की सहायता लेने का निर्णय भी ले सकता है।

जिले पुनः अक्षय ऊर्जा के लिए BDTC/राज्य नोडल एजेंसियों (SNAs) जैसे कि PEDA/ UPNEDA/ GEDA/ NEDCAP/ KREDL/ ANERT/ TEDA/ CREDA/ MPUVN/ WBREDA/ OREDA/ UREDA/ KVIC/ etc से सहायता ले सकते हैं। राज्य अपनी वेबसाइट पर तकनीकी एजेंसियों, बायोगैस/बायो-एनर्जी सलाहकारों का पैनल बना सकता है ताकि जिलों और एजेंसियों द्वारा इनकी तत्काल सहायता ली जा सके। बायोगैस उपकरणों के स्थानीय आधार पर निर्माण, आपूर्ति और संस्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए, प्रतिष्ठित बायोगैस उपकरण निर्माताओं का भी पैनल बनाया जा सकता है।

किसी भी अतिरिक्त लागत की आवश्यकता की पूर्ति राज्य/ग्राम पंचायत की निधियों और वित्त आयोग, CSR, स्वच्छ भारत कोष और PPP मॉडल जैसे अन्य स्रोतों से की जानी है। मनरेगा, MPLAD, MLALAD निधि, वित्त आयोग, CSR अंशदान, स्वच्छ भारत कोष, डोनर फंडिंग आदि जैसे अन्य कार्यक्रमों और वित्तपोषण स्रोतों से निधियां ली जा सकती हैं। आवश्यकता होने पर कोई एटिटी, MUDRA, NABARD आदि के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकती है।

## > निगरानी

DWSC जिला स्तर पर निगरानी एजेंसी है, जहां गोबर-धन योजना के तहत स्थापित सभी संयंत्रों को प्रत्येक तिमाही के दौरान भौतिक रूप से सत्यापित किया जाएगा और राष्ट्रीय IMIS पर कार्यात्मकता स्थिति अपलोड की जाएगी। परियोजनाओं का हर साल ऑफिट किया जाएगा। योजना के उद्देश्य के सापेक्ष स्थापित परियोजना के सफल संचालन और परियोजना के कामकाज की निगरानी के लिए राज्य एक स्वतंत्र मूल्यांकन तंत्र भी स्थापित करेगा। यह कार्य कम से कम योजना के पहले दो वर्षों के लिए एक अर्ध-वार्षिक प्रक्रिया हो सकती है। राज्य गंवों से शिकायतें प्राप्त करने के लिए भी एक तंत्र स्थापित कर सकता है और उन शिकायतों का तत्काल निवारण सुनिश्चित कर सकता है।

## प्रौद्योगिकी विकल्प

जिले/ राज्य अपने राज्य या जिले में कचरे की मात्रा के आधार पर बायोगैस संयंत्रों के निर्माण में अपनाइ जाने वाली प्रौद्योगिकी तय कर सकते हैं। बायोगैस संयंत्रों का निर्माण उन क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां कचरे की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो।

बायोगैस मरेशियों के गोबर, पोल्ट्री ड्रोपिंग, सूअरों के मल, मानव मल, फसल अवशेष, रसोई कचरा आदि जैसी ऑर्गेनिक अपशिष्ट/सामग्री के एनारोबिक डाइजेशन (वायु रहित किण्वन) से प्राप्त उत्पाद हैं जो खाना पकाने, प्रकाश व्यवस्था, सिंचाई पंपों/ बिजली उत्पादन के लिए रनिंग इयुल ईथन/शतप्रतिशत बायोगैस आधारित इंजन के लिए अत्यधिक उपयुक्त ईथन है। एनारोबिक डाइजेशन से मात्र मूल्यवान ईथन ही प्राप्त नहीं होता है व कचरे का उर्वरता मूल्य ही नहीं बढ़ता है बल्कि यह कचरा निवारण की एक सुविधाजनक, सुरक्षित, साफ-सुधरी तथा किफायती पद्धति का विकल्प भी प्रदान करता है।

## > बायोगैस समकक्ष

बायोगैस के 1 क्यूबिक मीटर के उपयोग से निम्न ऊर्जा की बचत हो सकती है:

1 क्यूबिक मीटर बायोगैस = 3.50 किलोग्राम लकड़ी/ 12.30 किलोग्राम मरेशी गोबर उपले/ 0.43 किलोग्राम ललपीजी/ 0.62 लीटर मिठी का तेल/ 1.6 किलोग्राम कोयला/ 1.46 किलोग्राम लकड़ी का कोयला/ 0.52 लीटर डीजल/ 1.25 किलोग्राम बिजली

## > बायोगैस संयंत्रों के उचित आकार का चयन

- » बायोगैस संयंत्र के आकार (क्षमता) का अभिप्राय बायोगैस की मात्रा (घन मीटर में) से है जिसे हम 24 घंटों में प्राप्त कर सकते हैं।
- » ऐसा माना जाता है कि एक पशु से औसतन 15 किलोग्राम गोबर प्राप्त होती है और एक किलोग्राम गोबर से लगभग 0.04 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्राप्त होती है।
- » इस प्रकार, मरेशियों के 25 किलोग्राम गोबर से, लगभग 1.0 क्यूबिक मीटर बायोगैस प्राप्त होती है।
- » उपरोक्त विवरणों के आधार पर, बायोगैस संयंत्रों के विभिन्न आकारों के लिए गोबर की मात्रा और जानवरों की संख्या की आवश्यकता निम्नानुसार है:

बायोगैस संयंत्र की क्षमता (क्यूबिक मीटर)	मरेशियों की अपेक्षित संख्या	गोबर की अपेक्षित मात्रा (कि.ग्रा.)	व्यक्तियों की संख्या जिसके लिए इससे कुकिंग की जा सकती है
1	2-3	25	2-3
2	3-4	50	4-5
3	5-6	75	7-8
4	7-8	100	10-11
6	10-12	150	14-16

## > बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए स्थान का चयन


- » बायोगैस संयंत्र के लिए स्थल परिवेश की तुलना में अधिक ऊँचाई पर होना चाहिए ताकि बायोगैस संयंत्र के पास पानी एकत्र न होने पाए।
- » बिल्डिंग में दरार से बचने के लिए बायोगैस प्लांट को घर की नींव से कम से कम 2 मीटर की दूरी पर लगाना चाहिए।
- » डिलीवरी गैस पाइप और गोबर की दुलाई की लागत को बचाने के लिए, बायोगैस संयंत्र रसोई और पशु शेड के पास स्थापित किया जाना चाहिए।
- » बायोगैस संयंत्र को खुले स्थान पर स्थापित किया जाना चाहिए। संयंत्र के पास कोई पेड़ नहीं होना चाहिए जिससे सूर्य के प्रकाश का पूरा लाभ मिल सके और साथ ही पेड़ की जड़ों से बायोगैस संयंत्र को नुकसान न पहुंचे।
- » गुंबद (गैस धारक) में दरार से बचने के लिए बायोगैस संयंत्र की स्थापना भूमिगत की जानी चाहिए।

## कुछ लोकप्रिय बायोगैस प्लांट डिजाइन विकल्प घरेलू स्तर के विकल्प

### i) फ्लोटिंग-इम टाइप / KVIC मॉडल बायोगैस प्लांट

इन संयंत्रों में कुएं के आकार वाला डायजेस्टर होता है जिसमें विभाजक दीवार के दोनों ओर इसके तल में लगे पाइपों के जरिए इनलेट और आउटलेट कनेक्शन होते हैं। माइल स्टील से बना एक इंनवर्टेड इम (गैस होल्डर) डाइजेस्टर पर रखा जाता है जो wedge-शेड स्पोर्ट पर है और विभाजक दीवार के लेवल पर गाइड फ्रेम पर होता है तथा गैस के संचय और उपयोग के साथ एक गाइड पाइप के साथ ऊपर और नीचे होता है। इम का वजन गैस पर दबाव डालता है ताकि यह पाइपलाइनों के माध्यम से उपयोग के बिंदुओं तक प्रवाहित हो सके।

इस मॉडल का कार्यकाल अपेक्षाकृत कम होता है। संक्षारण क्षति से बचाने के लिए इम को नियमित रूप से पैट करने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, जब तापमान 10 डिग्री सेन्टिमियर से नीचे आता है तो यह मॉडल कार्य करना बंद कर देता है क्योंकि गैस धारक लोहे की चादर, ताप के अच्छे संवाहक के रूप में कार्य करती है और डाइजेस्टर का आंतरिक तापमान गिर जाता है। ये संयंत्र उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी भी आकार के हो सकते हैं।



### ii) दीनबंधु मॉडल बायोगैस संयंत्र

दीनबंधु का अर्थ है 'गरीबों का दोस्त'। इस संयंत्र को इस सिद्धांत पर डिजाइन किया गया है कि बायोगैस संयंत्रों का सतह क्षेत्र कम हो ताकि संयंत्र की दक्षता को कम किए बिना उनकी स्थापना लागत को कम किया जा सके।


इस डिजाइन में अपने तलौं से जुड़े अलग-अलग व्यास के दो गोलाकार सेगमेंट होते हैं।

इस प्रकार बनाई गई संरचना, डाइजेस्टर के रूप में, किणवन कक्ष के रूप में और साथ-साथ गैस भंडारण कक्ष के रूप में कार्य करती है। इट की चिनाई और कंक्रीट की अपेक्षाकृत उच्च संपीड़क शक्ति के परिणामतः विशेष रूप से यह एक ऐसा ढांचा बन जाता है जिसे हमेशा ही संपीड़न के अधीन रखा जा सकता है।

कन्वेक्स की तरफ से लोड किया गया एक गोलाकार ढांचा संपीड़न के अधीन होगा और इसलिए आंतरिक भार का इस ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डायजेस्टर इनलेट पाइप और आउटलेट टैंक से जुड़ा होता है। आउटलेट टैंक में सामान्य स्लरी स्तर से ऊपर वाले भाग को इस तरह डिजाइन किया गया है ताकि डायजेस्टर में से स्थानांतरित स्लरी उसमें समा सके और बायोगैस का उत्पादन हो सके और उसे एकत्र किया जा सके तथा इसे आउटलेट डिस्प्लेसमेंट चैम्बर कहा जाता है।

इन संयंत्रों के आकार के लिये प्रतिदिन ६ क्यूबिक मीटर तक की सिफारिश की जाती है।


**डेयरी फार्म/गौशाला/पोल्ट्री फार्म/संस्थानों/गांवों के लिए बड़ी क्षमता वाले संयंत्र**



### iii) फिक्सड डोम PAU जनता मॉडल बायोगैस

इस प्रकार के संयंत्र का निर्माण दीनबंधु बायोगैस संयंत्र पद्धति से बहुत भिन्न नहीं है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने बायोगैस उत्पादन और कोजेनरेशन करने हेतु अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यापक रूप से अपनाने के लिए इस डिजाइन को स्वीकार कर लिया है।

बायोगैस संयंत्र संपूर्ण रूप से ईट की चिनाई वाला ढांचा है। इसका डिजाइन देश के सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इस संयंत्र को 20 से 500 क्यूबिक मीटर प्रति दिन को किसी भी रेटेड क्षमता के लिए डिजाइन किया जा सकता है। फ्लोटिंग ड्रम बायोगैस प्लांट्स की तुलना में ईटों की चिनाई वाले संयंत्रों की रख-रखाव आवश्यकताएं बहुत कम हैं। KVIC मॉडल बायोगैस संयंत्र की लागत की तुलना में इस संयंत्र की लागत 60-70% कम है। इस संयंत्र की Pay Back अवधि 3 से 4 साल के बीच है। यह संयंत्र डेयरी किसानों, पोल्ट्री किसानों, संस्थानों जैसे गौशालाओं, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक संस्थानों, गांवों, उद्योगों आदि की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है।



### अलग-अलग प्रकार के वैयक्तिक प्रतिदिन फीड बायोगैस प्लांट संस्थापना के लिए तुलनात्मक लागत

(दिसंबर, 2017 में समस्त मूल्य रूपयों में)

क्र.सं.	मॉडल	संयंत्र क्षमता			
		2 क्यूबिक मीटर (70 क्यूबिक फीट)	3 क्यूबिक मीटर (105 क्यूबिक फीट)	4 क्यूबिक मीटर (140 क्यूबिक फीट)	6 क्यूबिक मीटर (210 क्यूबिक फीट)
1.	PAU जनता	23,000	26,000	29,000	35,000
2.	दीनबंधु	32,000	37,000	43,000	50,000
3.	K.V.I.C	50,000	55,000	60,000	70,000

उपरोक्त विकल्पों के अलावा, विभिन्न सामग्रियों जैसे FRP, PVC प्रबलित कंक्रीट आदि से बने फिक्सड और फ्लोटिंग दोनों प्रकार के अन्य मॉडल भी हैं, जिनका उपयोग भी किया जा सकता है। इनमें से कुछ मॉडल पूर्व-निर्मित ढांचों के भी उपलब्ध हैं।

अधिक जानकारी के लिए:

- » Renewable Energy Biogas an Ideal Source, 2016, Punjab Agricultural University
- » Large capacity fixed dome solid-State biogas plant, 2017, Co-ordination cell ICAR, AICRP on EAAI, Bhopal (M.P.)



## ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन विकल्प

पूरे भारत में लगभग 15,000 टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न होता है जिसमें 60% का पुनर्वर्क्षण किया जाता है और 40% (~ 6000 टन) का निपटान किया जाता है। ग्रामीण भारत के कई हिस्सों में प्लास्टिक कचरे के निपटान के तरीके अक्सर बुनियादी हैं और उनकी जानकारी नहीं है। प्लास्टिक को खुले में जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सिन, फ्यूरीन आदि जैसे विषैले उत्सर्जन होते हैं। प्लास्टिक कचरा नियम (2016) को पहली बार ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया था जिसमें ग्राम पंचायत के लिए विशिष्ट दायित्वों का निर्धारण किया गया था। इस दस्तावेज़ में ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक कचरे को सुरक्षित रूप से इकट्ठा करने और उसका निपटान करने के लिए प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया गया है।

### प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रणाली और इसके तत्व



### प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रणाली के तत्व

#### > ग्रामीण स्तर पर:

- » घरों, वाणिज्यिक क्षेत्रों, रेस्तरां, बाजारों आदि से डोर-टू-डोर संग्रहण।
- » ग्रामीण स्तर शेड तक ढुलाई जहां पर छठाई की जाती है (अधिक क्षमता के लिए गांव द्वारा घरेलू स्तर पर अलगाव को बढ़ावा दिया जा सकता है)।
- » विक्रय योग्य प्लास्टिक को रिसाइक्लरों को बेचा जा सकता है।
- » गांव के शेडों में छांटे गए प्लास्टिक को मेटेरियल रिकवरी फैसिलिटी या प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट में भेजा जा सकता है।
- » जागरूकता निर्माण और निगरानी, तथा एजेंसियों, विक्रेताओं और रिसाइक्लर्स का पैनल बनाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा समन्वय किया जा सकता है।

> ब्लॉक/जिला स्तर पर:

- » ब्लॉक/जिले में सामग्री वसूली सुविधा/प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयां स्थापित करना।
- » श्रेडर/बैलिंग मशीन/डस्ट रिमूवर आदि के साथ प्लास्टिक कचरा प्रबंधन।
- » चूरा प्लास्टिक को आगे उपयोग के लिए भेजा जा सकता है।
- » मार्केट लिंकेज और ईथन के रूप में उपयोग के लिए सीमेंट उद्योगों के साथ MOU।

## प्रबंधन विकल्प घर-घर संग्रहण और ढुलाई

प्लास्टिक सहित गैर-  
बायोडिग्रेडेबल कचरे का घर-घर  
और गली में जाकर संग्रहण

छंटाई और स्थानानंतरण के  
लिए गांव में शेड (सामग्री  
एकत्रीकरण सुविधा)

ब्लॉक/जिला स्तर पर प्लास्टिक  
कचरा प्रबंधन श्रेडिंग/बैलिंग

ब्लॉकों या जिलों से सड़क  
निर्माण / सीमेंट उद्योगों में  
सह-प्रसंस्करण/ रिसाइकिलिंग के  
लिए भेजना

### गांवों में शेड (सामग्री संग्रहण सुविधा) और ब्लॉकों और जिलों के स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई / सामग्री रिकवरी सुविधा का विवरण



> बायोडिग्रेडेबल और गैर-बायोडिग्रेडेबल कचरे के लिए गांव में एक साझा शेड:

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए सभी गांवों में संग्रहण और छंटाई के लिए एक शेड अवश्य होना चाहिए। इस शेड तक पहुंचने वाले गैर-बायोडिग्रेडेबल (प्लास्टिक) कचरे को अलग किया जा सकता है और ब्लॉक/जिले में सामग्री रिकवरी सुविधा या प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों में पहुंचाया जा सकता है। विक्रय योग्य सामग्रियों को स्कैप डीलरों को बेचा जा सकता है और गांव/ग्राम पंचायत आय अर्जित कर सकते हैं।

> छंटाई के लिए गांव का शेड

गांव का शेड साधारण हो सकता है और उसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से बनाया जा सकता है। यह शेड छतदार हो सकता है और उसमें छंटाई के लिए स्थान होना चाहिए। साधारण औजारों और बुनियादी सुरक्षा उपकरण के अलावा गांव के शेड में किसी भी मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती है।

बोतलों, प्लास्टिक की टूटी-फूटी बाल्टियों आदि जैसी विक्रय योग्य सामग्री जिसे रिसाइकिल किया जा सकता है, की छंटाई की जानी चाहिए और गंव इसे स्क्रैप डीलरों के पास बेचकर आय अर्जित कर सकता है, या यह कार्य ब्लॉक स्तर पर किया जा सकता है जहां स्क्रैप डीलरों को रिसाइकिल की जा सकने वाली सामग्री की अधिक मात्रा मिल सकेगी। जिलों को सभी उपयुक्त स्तरों पर जहां वे आवश्यक समझते हैं, स्क्रैप डीलरों की सूची बनाना अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए।



### > प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयां (ब्लॉक/जिला स्तर)

सामग्री सुविधा, सामग्री रिक्लेमेशन सुविधा, सामग्री पुनर्चक्रण सुविधा या बहु पुनर्जपयोग सुविधा एक विशेष संयंत्र है जो रिसाइकिल करने योग्य सामग्री लेता है और उसकी छंटाई करता है जिसे अंतिम उपयोगकर्ताओं निर्माताओं को बेचा जा सकता है। यदि कलस्टरिंग संभव नहीं है तो प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक मैटीरियल रिकवरी फैसिलिटी होनी चाहिए और उसमें अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ-साथ एक श्रेडिंग मशीन, एक बैलिंग मशीन और एक डस्ट रिमूवर की उपलब्धता होनी चाहिए।

#### i) प्लास्टिक श्रेडिंग मशीन:

प्लास्टिक श्रेडर एक मशीन है जिसका उपयोग कचरे का प्रबंधन आसान करने के लिए प्लास्टिक को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक रिसाइकिलिंग प्रक्रिया में श्रेडिंग और साइज को छोटा किया जाने की प्रक्रिया आमतौर पर अपनाई जाती है। फिर इस श्रेडेड प्लास्टिक को सड़क निर्माण में उपयोग के लिए भेजा जा सकता है।



## ii) प्लास्टिक बेलिंग मशीन (हाईड्रोलिक)

बेलर का उपयोग विशेष रूप से एक समान प्रकार के कचरे जैसे कार्यालय के रद्दी कागज, नालीदार फाइबर बोर्ड, प्लास्टिक, फॉयल, कैन आदि, को कॉमैट (सघन ठोस) करने के लिए किया जाता है जिसे फिर रिसाइकिलिंग कंपनियों को बेचा जा सके। सामग्री को संपीड़ित करने के लिए इन बैलरों का निर्माण हाईड्रोलिक रैम के साथ स्टील से किया जाता है। एकत्र किए गए प्लास्टिक को और आगे ढुलाई तथा उपयोग के लिए बेलिंग करने की आवश्यकता होती है।



## iii) डस्ट रिमूवर मशीन

श्रेडिंग और बेलिंग की प्रक्रिया के दौरान प्लास्टिक की काफी धूल पैदा होती है। इसलिए स्वास्थ्य और पर्यावरणीय पहलुओं की दृष्टि से, यह मशीन प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई का हिस्सा होनी चाहिए।



## निपटान पद्धतियां

### i) सइक निर्माण

ग्रामीण सड़कों से लेकर राष्ट्रीय राजमार्गों तक, सभी प्रकार की सड़कों के निर्माण में कटे हुए प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। जिलें को संभावी सइक निर्माण स्थलों की पहचान करनी चाहिए और श्रेड प्लास्टिक को सइक निर्माण के लिए पहुँचाने की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। जिलों को अवश्य ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इन निर्माण कार्यों में सभी आवश्यक पर्यावरणीय और सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन हो।



## ii) सीमेंट उद्योगों में सह-प्रसंस्करण

सह-प्रसंस्करण औद्योगिक प्रक्रियाओं में कचरा पदार्थों के उपयोग को वैकल्पिक ईंधन या कच्चे माल (AFR) के रूप में संदर्भित करता है ताकि उनसे ऊर्जा और सामग्री की रिकवरी की जा सके। सीमेंट फैक्ट्री में उच्च तापमान के कारण, विभिन्न प्रकार के कचरे को हानिकारक उत्सर्जन के बिना, प्रभावी ढंग से निपटाया जा सकता है। सह-प्रसंस्करण के माध्यम से प्लास्टिक कचरे की विभिन्न श्रेणियों का निपटान कई देशों में उनकी पर्यावरणीय रूप से सुरक्षित रीतियों में एक नियमित विधि के रूप में किया जाता है। सह-प्रसंस्करण, भूमि के भराव और जलाने की तुलना में कचरे के निपटान के लिए पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल और स्थायी विधि है क्योंकि इसमें कम उत्सर्जन होता है और उपचार के बाद कोई अवशेष नहीं बचता है।

## सह-प्रसंस्करण की सुविधा वाले सीमेंट संयंत्रों की सूची (CPCB दिशानिर्देश, 2017)

S. No.	Cement Plant	S. No.	Cement Plant
1.	मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, भाटापारा, पो.ओ. - रावन, तहसील बलौदा बाजार, जिला- रायपुर, छत्तीसगढ़	2.	मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, अंधेरी देवरी, पोस्ट बॉक्स नं. 33, बांगुर नगर, व्यावर, जिला - अजमेर, राजस्थान - 305901
3	मैसर्स एसीसी लिमिटेड, लखेरी सीमेंट वर्क्स, पो. ऑ. लखेरी, जिला बूंदी (राजस्थान), 323603	4	मैसर्स एसीसी लिमिटेड, कैमोर सीमेंट वर्क्स, पो.ओ. कैमोर, जिला कटनी (मध्य प्रदेश), 483880
5	मैसर्स एसीसी लिमिटेड, मदुक्करई सीमेंट वर्क्स, पो.ओ. मदुक्कराई, जिला कोयम्बटूर तमिलनाडु - 641105	6	मैसर्स वासवदत्ता सीमेंट, पोस्ट एण्ड तालुका - सेदम, जिला गुलबर्गा कर्नाटक, 585222
7	मैसर्स एसीसी लिमिटेड, गगत सीमेंट वर्क्स, पो.ओ. बरमाना, जिला बिलासपुर (हि.प्र.), 174013	8	मैसर्स एसीसी लिमिटेड, बारगढ़ सीमेंट लिमिटेड, सीमेंट नगर, पो.ओ. बारडोल, जिला बारगढ़ (उड़ीसा), 768038
9	मैसर्स लाफार्ज इंडिया (पी.) लिमिटेड, आरस्मेटा सीमेंट प्लांट, पो.ओ. गोपाल नगर, जांजगीर, चंपा, छत्तीसगढ़	10	मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, सुली, पो.ओ. धरलाघाट, जिला - सोलन (हि.प्र.)
11	मैसर्स लाफार्ज इंडिया लिमिटेड, सोनाडीह सीमेंट प्लांट, पो.ओ. रेसेडा, गाया बलौदा बाजार, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)	12	मैसर्स एसीसी लिमिटेड, जामुल सीमेंट वर्क्स, जिला - दुर्ग छत्तीसगढ़ 490024
13	मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, पो.ओ. अम्बुजानगर, तहसील-कोडिनार, जिला जूनागढ़, गुजरात – 362715	14	मैसर्स गजअम्बुजा सीमेंट्स लिमिटेड, तहसील-कोडिनार, जिला - जूनागढ़, गुजरात – 362715
15	मैसर्स अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड, पो.ओ. राबड़ियावास, तहसील जैतारन, जिला पाली, राजस्थान	16	मैसर्स त्रिनेत्र सीमेंट लिमिटेड, माही सीमेंट वर्क्स, पो.ओ. वालवाना, बांसवाड़ा- 327025 राजस्थान
17	मैसर्स एसीसी लिमिटेड, चंदा सीमेंट वर्क्स, पो.ओ. सीमेंट नगर, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र 442502	18	मैसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड, ग्राम-रास, तहसील-जैतारन, जिला-पाली, राजस्थान।


19	मैसर्स एसीसी लिमिटेड, चाईबासा सीमेंट वर्क्स, पो.ओ. झीकपानी, जिला वेस्ट सिंहभूम, झारखण्ड 833 215	20	मैसर्स एसीसी लिमिटेड, वादी सीमेंट वर्क्स, पो.ओ. वादी, जिला गुलबर्गा कर्नाटक 585225
21	मैसर्स भारती सीमेंट कोर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड नल्ललिंगयापल्ली गांव, कमलापुरम मंडल, कडापा जिला - 516289, आंध्र प्रदेश	22	मैसर्स माय होम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मेलचेरुवु (पोस्ट एण्ड मंडल) जिला -नालगौडा राज्य - तेलंगाना 508246
23	मैसर्स अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड, मेलचेरुवु मंडल, नलगौडा जिला, तेलंगाना राज्य 508246	24	मैसर्स केसोराम सीमेंट लिमिटेड, पोस्ट-बसंतनगर, जिला- करीमनगर, (आंध्र प्रदेश) 505187
25	मैसर्स सागर सीमेंट लिमिटेड, नलगौडा, तेलंगाना	26	मैसर्स लाफार्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चित्तौड़ी सीमेंट प्लांट चित्तौड़गढ़, राजस्थान
27	मैसर्स कलबुर्गी सीमेंट (पूर्व में विकटसागर सीमेंट), छत्रसाल, गुलबर्गा, कर्नाटक	28	मैसर्स डालमिया भारत सीमेंट, अरियालुर, तमिलनाडु
29	मैसर्स जे.के.सीमेंट वर्क्स, मुद्दापुर, बागलकोट, कर्नाटक	30	मैसर्स सांघी सीमेंट लिमिटेड, कच्छ, गुजरात
31	मैसर्स चेट्टीनाड सीमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड, कल्लुर वर्क्स, संगम के, गरागप्पली पोस्ट, चंदापुर (एसओ), तालुका - चिंचोली, जिला - गुलबर्गा, कर्नाटक - 585305	32	मैसर्स चेट्टीनाड सीमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड अरियालुर ट्रिची रोड, पोस्ट कीलापुर, जिला - अरियालुर तमिलनाडु 621707
33	मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, डालमियापुरम, जिला तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु 621651	34	मैसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स, मांगरोल, मार्फत जे.के. सीमेंट वर्क्स, कैलाश नगर, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ 312617
35	मैसर्स जे. के. सीमेंट वर्क्स, कैलाश नगर, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़ 312617	36	मैसर्स जुअरी सीमेंट लिमिटेड, कृष्णा नगर, येरापुंटला, कडपा जिला, आंध्र प्रदेश 516311
37	मैसर्स जुअरी सीमेंट लिमिटेड, सीतापुरम, डॉडापाडु, जिला- नलगौडा, तेलंगाना	38	मैसर्स डल्ला सीमेंट फैक्ट्री, गांव - डल्ला, जिला- सोनभद्र, यूपी 231207
39	मैसर्स डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड, गांव एवं पो. ओ. - चिन्नाकोमेरला, मंडल-मेलवराम, जम्मालान्धु, जिला कडपा, आंध्र प्रदेश	40	मैसर्स चेट्टीनाड सीमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड, रानी मेय्यमई नगर, कारिकलाई पो.ओ.गुजिलियाम्पराई (वाया), जिला डिकीगुल तमिलनाडु 624703
41	मैसर्स जे. के. लक्ष्मी सीमेंट लिमिटेड, जेकेपुरम, जिला सिरोही, राजस्थान 30701	42	मैसर्स कीर्ति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मल्लाचेरुवु, जिला नालगौडा, तेलंगाना 508246

43.	मैसर्स इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड, मलकापुर गांव, तंदूरमंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना 501157	44.	मैसर्स चेट्टीनाड सीमेंट कोर्पोरेशन लिमिटेड, पुलियूर सीमेंट वर्क्स, करुर जिला, तमில்நாடு
45.	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश सीमेंट वर्क्स, भोगसमुद्रम, पो.ओ. चुक्कालुर, मंडल: तडीपत्री जिला - अनंतपुर (आंध्र प्रदेश)	46.	मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, राजश्री सीमेंट वर्क्स, आदित्य नगर मल्खेड रोड, जिला गुलबर्गा, कर्नाटक 585292
47.	मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, नर्मदा सीमेंट-जाफराबाद वर्क्स, बाबरकोट, तालुका- जाफराबाद, जिला अमरेली, गुजरात।	48.	मैसर्स अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड, पो.ओ. मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर, राजस्थान- 303108
49.	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड, आदित्य सीमेंट, आदित्यपुरम, पो.ओ. सावा जिला - चित्तौड़गढ़, राजस्थान -312612	50.	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड, पो.ओ. रेड्डीपलायम, अरियालुर, जिला पेरम्पलुर, तमில்நாடு- 621704
51.	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड गुजरात सीमेंट वर्क्स, पो.ओ. कोवाया, तालुका राजुला, जिला - अमरेली गुजरात- 365 541	52.	अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड,विक्र सीमेंट वर्क्स, विक्रम नगर, पो.ओ. खोर, जिला - नीमच, म.प्र. - 458470
53.	मैसर्स अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड, रावन सीमेंट वर्क्स पो.ओ. ग्रासिम विहार, जिला. बलोदा बाजार - भाटापाड़ा, छत्तीसगढ़ - 493196	54.	मैसर्स अल्ट्रा टेक सीमेंट लिमिटेड, हिरमी सीमेंट वर्क्स, हिरमी, भाटापाड़ा, जिला बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़ - 493195



## गंदला जल प्रबंधन हेतु प्रौद्योगिकी और प्रबंधन विकल्प

घरों, व्यवसायों अथवा उद्योगों में विभिन्न मानवीय गतिविधियों के परिणास्वरूप, 'उत्सर्जित' जल को तरल अपशिष्ट या अपशिष्ट जल कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में, अपशिष्ट जल को मोटे तौर पर घरेलू अपशिष्ट जल (ब्लैक वॉटर और ग्रे वॉटर) और वाणिज्यिक अपशिष्ट जल (ब्लैक वॉटर और ग्रे वॉटर) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जो छोटे उद्योगों, होटलों, बुचइखानों, लॉन्ड्री आदि से निकलता है।



### ग्रे वॉटर (गंदला जल)

बाथरूम या रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल जिसमें कोई मल संदूषण नहीं हो, ग्रे वॉटर कहलाता है। ग्रे वॉटर के उदाहरणों में स्नान, शॉवर, लॉण्ड्री और रसोई के सिंक से निकलने वाला अपशिष्ट जल शामिल हैं। ऐसा अनुमान है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिन 15,000 से 18,000 मिलियन लीटर ग्रे वॉटर पैदा होता है।

ग्रे वॉटर (गंदला जल) घर के कार्यकलापों के कारण पैदा होता है; इसकी मुख्य विशेषताएं सांस्कृतिक आदतों, रहन-सहन के स्तर, पारिवारिक जनसांख्यिकी और उपयोग किए जाने वाले घरेलू रसायनों जैसे कारकों पर निर्भर करती हैं। ग्रे वॉटर (गंदला जल) सबसे कम दूषित अपशिष्ट जल है जिसे बहुत कम मात्रा में उपचार की आवश्यकता होती है।

## ग्रे वॉटर प्रबंधन के मूल सिद्धांत

गांव में ग्रे वॉटर प्रबंधन प्रणालियों की आयोजना के दौरान विचार किए जाने वाले कुछ सिद्धांत नीचे दिए गए हैं। इन पर लक्षित आबादी की जरूरतों और वरीयता के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। उपयुक्त स्तरों पर, कम संचालन व रख-रखाव लागत वाली सबसे उपयुक्त और आसान प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं को उपयोग करने के लिए चुना जाना चाहिए जो कि इन व्यापक सिद्धांतों के अनुरूप हों।

- » **कम करना:** स्वच्छ जल का विवेकपूर्ण उपयोग, जिसके परिणामस्वरूप ग्रे वॉटर की कम से कम मात्रा उत्पन्न हो।
- » **पुनरुपयोग:** किचन गार्डन, वाहन धोने, शौचालय फ्लशिंग आदि जैसे कार्यों के लिए अधिकतम संभावित सीमा तक ग्रे वॉटर का पुनरुपयोग।
- » **पुनर्भरण:** सोक पिट, लीच पिट आदि जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाकर ग्रे वॉटर से भू-जल का पुनर्भरण।
- » **ब्लैक वाटर (यदि है तो) तथा ग्रे वॉटर का पृथक्करण।**
- » **ग्रे वाटर के स्रोत से निकटतम संभावित बिंदु पर इसका शोधन।**


छोटी ग्राम पंचायतों/ गांवों में, अधिक विकेंद्रीकृत और घरेलू केन्द्रित दृष्टिकोण जैसे वैयक्तिक सोक पिट्स/ लीच पिट्स/ मैजिक पिट्स/ किचन गार्डन का उपयोग अधिक व्यवहार्य और बेहतर होता है। बड़े किंतु 5000 से कम आबादी वाले गांवों के लिए भू-भागीय क्षेत्र, भू-जल स्तर तथा आबादी के घनत्व के आधार पर, सामुदायिक स्तर के सोक पिट्स की योजना बनाई जा सकती है।

5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में भूमिगत/ छोटे बोर सीवर/ बंद जल निकासी जैसा संवाहक तंत्र और उपचार प्रणालियों जैसे WSP/ DEWATS/ निर्मित वेटलैंड और अन्य उपचार प्रणालियों के लिए संवाहक योजना बनाई जानी चाहिए। तथापि, राज्यों के पास कृषि-जलवायु कारकों के आधार पर छोटे गांवों के लिए भी 15वें वित्त आयोग से प्राप्त निधियों तथा राज्य की अन्य निधियों आदि से अभिसरण करके, अतिरिक्त निधियों का इस्तेमाल करते हुए संवाहक और उपचार प्रणालियों को अपनाने का विकल्प होगा।

## प्रौद्योगिकी का चयन मानदंड :

यहां तक कि एक गांव के भीतर, वैयक्तिक परिवारों या घरों के समूह के लिए कई विकल्प हो सकते हैं। ग्राम पंचायत के लिए योजना बनाते समय, ग्राम पंचायत की जियो-हाइड्रोलॉजिकल स्थिति के आधार पर निम्नलिखित एल्गोरिदम, प्रौद्योगिकी का चयन करने में मदद कर सकती है।


(क) सामान्य क्षेत्रों के लिए



(ख) मौसमी अथवा स्थायी उच्च-जल स्तर/ जल जमाव वाले क्षेत्रों के लिए




(ग) कठोर परत (चट्टानी परत) वाले क्षेत्रों के लिए



## प्रौद्योगिकीय विकल्प

### घरेलू स्तरीय व्यवस्थाएं

- » सोक पिट - खुदाई कर पत्थरों अथवा अधिमानतः ज्यादा पकी ईटों से भरे गए गड्ढ। पत्थरों की अधिकता सतही क्षेत्र को बढ़ाती है जिस पर जैविक और रासायनिक क्रियाएं सम्पन्न होती हैं।
- » लीच पिट - लीच पिट ईट से पंक्तिबद्ध हनीकॉम्ब (जालीदार) चिनाई वाला एक गड्ढा है जिसका आयतन लगभग 0.75 घन मीटर होता है।
- » मैजिक पिट - मैजिक पिट एक ढका हुआ छिद्रपूर्ण दीवार वाला चैम्बर है जो पानी को सतह में धीरे-धीरे सोकने देता है। संग्रह टैंक में पहले से जमे




प्रवाह को भूमिगत चैम्बर में डिस्चार्ज किया जाता है।

### समुदायिक स्तर पर व्यवस्थाएं

अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए सामुदायिक स्तर की व्यवस्थाओं के लिए, अपशिष्ट जल के सूजन के स्रोत से उपचार बिन्दु तक, अपशिष्ट जल के संवहन व्यवस्था की आवश्यकता होती है। इसके लिए, आमतौर पर पारंपरिक नलियों (खुली/बंद) या छोटे बोर सीवरों का उपयोग किया जा सकता है।

#### i) सामुदायिक लीच पिट

यह एक पंक्तिबद्ध ईट की चिनाई वाला गड्ढा होता है जो घरों के समूह के लिए सुविधाजनक स्थान पर बनाया जाता है। इससे जोड़े जाने वाले घरों की संख्या, प्रत्येक घर से निकलने वाले गंदले जल और सामुदायिक लीच पिट के लिए उपलब्ध स्थान के आधार पर की जानी चाहिए। घरों से निकलगंदले जल (रसोई का अपशिष्ट जल, स्नान का पानी, धुलाई का पानी, आदि) को इस पिट में ले जाया जाना चाहिए।



#### ii) कचरा स्थिरीकरण तालाब (Waste Stabilization Pond)

कचरा स्थिरीकरण तालाब (WSP) मानव निर्मित उथले बेसिन हैं जिनमें अपशिष्ट जल बहता है, और जिससे कुछ दिनों के प्रतिथारण समय के पश्चात् एक सुउपचारित प्रवाह बाहर निकलता है। WSP प्रणालियों में एनरोबिक पॉन्ड, फैकल्टेटिव पॉन्ड और मैचुरेशन पॉन्ड की शृंखलाएं होती हैं।

### इस प्रणाली के अनिवार्य घटक

इस प्रणाली में तीन बुनियादी इकाइयां होती हैं जिन्हें तालाब कहा जाता है इन्हें क्रम में रखा जाता है और उनके कार्य की अपनी विशेषता होती है जैसे कि:

1. ऐनरॉबिक पॉन्ड - एक
2. फैकल्टेटिव पॉन्ड - एक
3. ऐरॉबिक पॉन्ड अथवा मैचुरेशन पॉन्ड - ग्रे गॉटर में अशुद्धियों के आधार पर एक या एक से अधिक की संख्या में।



### iii) निर्मित वेटलैंड

क्षैतिज प्रवाह में निर्मित वेटलैंड, अपशिष्ट जल (ग्रे गॉटर या ब्लैक गॉटर) के उपचार के लिए, एक स्थापित फिल्टर बैंड होता है। एक क्षैतिज उप सतह प्रवाह वाला निर्मित वेटलैंड, बड़े बजरी और रेत से भरा स्थान होता है जिसमें जलीय वनस्पति लगाई जाती है। जैसे ही अपशिष्ट जल चैनल के जरिए क्षैतिज रूप से बहता है, फिल्टर सामग्री, कपाओं और सूक्ष्मों जीवों को फिल्टर करती है।

अपशिष्ट जल का उपचार जैविक और भौतिक प्रक्रियाओं के संयोजन द्वारा किया जाता है। सुव्यवस्थित रूप से निर्मित वेटलैंड से निकले जल का उपयोग सिंचाई और मछलीपालन के लिए किया जा सकता है या उसे जल निकायों में सुरक्षित रूप से प्रवाहित किया जा सकता है। क्षैतिज प्रवाह में निर्मित वेटलैंड तैयार करना अपेक्षाकृत उन जगहों पर सस्ता होता है जहां भूमि उपलब्ध है तथा स्थानीय समुदायों द्वारा इसका रख-रखाव किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई उच्च-तकनीक पुर्जा, विद्युत ऊर्जा अथवा रसायनों की आवश्यकता नहीं होती है।



### iv) विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट जल उपचार प्रणाली

#### (DEWATS)

DEWATS अपशिष्ट जल जिसमें ग्रे गॉटर भी शामिल है के उपचार के लिए एक प्रमाणित प्रकृति-आधारित उपचार तकनीक है जो किसी भी विद्युत-यांत्रिक घटक की आवश्यकता को नकारते हुए, गुरुत्वाकर्षण के तहत कार्य करता है और इसलिए न्यूनतम रख-रखाव का लाभ उपलब्ध कराता है। DEWATS मॉड्यूल को प्रत्येक परियोजना/स्थिति के लिए आने वाले अपशिष्ट गुणवत्ता जल की अलग-अलग मात्रा और गुणवत्ता विशेषताओं के आधार पर अनुकूलित किया जा सकता है। DEWATS रसायन-मुक्त है और यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पानी को स्वच्छ करता है, संसाधनों को संरक्षित करता है और विशेष रूप से पानी की कमी वाले क्षेत्रों में पानी के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के मूल्य को दर्शाता है।

DEWATS में उपचार के चार चरण होते हैं जिन्हें अंतर्वाहित पानी की विशेषताओं और आवश्यक उपचार के स्तर के आधार पर डिजाइन किया जा सकता है।



## v) फाइटोरिड प्रौद्योगिकी

फाइटोरिड अपशिष्ट जल के लिए वैज्ञानिक रूप से विकसित एक व्यवस्थित उपचार पद्धति है। फाइटोरिड में भौतिक, जैविक और रसायनिक प्रक्रियाओं का योग होता है। यह गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर कार्य करता है तथा बिना बिजली की आवश्यकता व कम लागत वाली, स्केलेबल प्रौद्योगिकी है जो रख-रखाव करने में आसान तथा सौन्दर्य वर्धक है।

ठोस अपशिष्टों को प्रभावी रूप से हटाने के लिए बुनियादी सुविधा के साथ-साथ एक प्राथमिक उपचार सुविधा का भी निर्माण किया जाता है और इस प्रकार सीमान्त बीओडी को कम किया जाता है। पोरस (छिद्रयुक्त) माध्यम भी उदीयमान वनस्पति की जड़ीय संरचना की मदद करता है। फाइटोरिड प्रणाली का डिजाइन इस बात पर आधारित है कि कोशिकाओं में जल स्तर फिल्टर माध्यम के शीर्ष से नीचे रहेगा। फाइटोरिड प्रणाली के लिए, उपयोग की जाने वाली वनस्पति अति महत्वपूर्ण होती है। घरेलू कचरे के उपचार में अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए जलीय पौधों की विभिन्न प्रजातियों का उपयोग किया गया है। इसमें Phragmites australis, Phalaris arundinacea, Glyceria maxima, Typha spp., अन्य सामान्य घास आदि, जैसी प्रजातियां शामिल हैं। यह तकनीक एक प्राकृतिक प्रणाली है, जिसके फलस्वरूप, संचालन ज्यादातर निष्क्रिय रहता है और संचालन व्यवस्था की आवश्यकता नाममात्र होती है।



## प्रेषण प्रणालियाँ

ग्रे वॉटर, ग्रे वॉटर और सेप्टिक टैंक से उत्सर्जन के प्रवाह के निपटान के लिए, सबसे सस्ते और अंतरिम विकल्पों में से एक विकल्प ढकी हुई (कवर्ड)नालियां हैं। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नालियों अक्सर होती हैं और इसलिए उन्हें थोड़े प्रयासों से कवर की गई नालियों में उन्नयन किया जा सकता है।

ढकी हुई सतही/वर्षा जल नालियों का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए घरें और परिसरों से निकलने वाले अपशिष्ट जल/वर्षा जल को नियंत्रित करना और स्वच्छ तरीके से बाहर निकालना है। खुली नाली/ नालियों में पाइप की तुलना में अधिक धर्षण होता है। अपेक्षाकृत समतल क्षेत्रों में, पाइप प्रवाह बेहतर हो सकता है, एक वैकल्पिक उपाय पाइप को खुली नाली में बिछाना और इसे कवर करना होगा।



## छोटे बोर के सीवर

छोटे बोर की सीवर प्रणालियाँ ऑफ-साइट शोधन और निपटान हेतु केवल घरेलू अपशिष्ट जल को बहाकर ले जाने के लिए डिजाइन की जाती हैं। सेटिक टैक जैसे इंटरसेप्टर टैकों में अपशिष्ट प्रवाह से प्रिट, ग्रीस और फ्लोटिंग सामग्रियों को अलग किया जाता है। ऐसे इंटरसेप्टर टैक स्थान की स्थिति के अनुसार प्रत्येक घर अथवा घरों के समूह के बाद स्थापित किए जाते हैं। इंटरसेप्टर टैकों के आकार और अपशिष्ट जल के प्रवाह के आधार पर, नीचे जमे ठोसों को समय-समय पर इंटरसेप्टर टैकों से हटाया जाना चाहिए। सीवर, छोटे बोर पाइप (न्यूनतम 100 मि.मि. व्यास वाले) होते हैं जिन्हें अधिकांश कनेक्शनों से आने वाले स्थिर अपशिष्ट जल को गुरुत्वाकर्ण द्वारा इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त गहराई में जमीन में दबाया जाता है। पारंपरिक सीवरों के विपरीत, छोटे बोर सीवरों को मैनहोल्स या लीनआउट्स के बीच सीधे संरेखण के साथ एक समान ढाल पर बिछाना आवश्यक नहीं है।

(जानकारी हेतु Technological Options for Solid and Liquid Waste Management in Rural Areas, DDWS, 2015 देखें)

इन संवाहक प्रणालियों को सामुदायिक लीच पिट्स, कचरा स्थिरीकरण तालाबों, निर्मित वेटलैंड, DEWATS, फाइटोरिड प्रौद्योगिकी आदि जैसी शोधन प्रणालियों में मिलाया जाना चाहिए।

(अधिक जानकारी हेतु कृपया Greywater management in Rural India, DDWS 2018 देखें)





## ग्रामीण क्षेत्रों में मलीय कचरा प्रबंधन के विकल्प

मलीय कचरा सेप्टिक टैक में जमा होने वाला कचरा है जो कच्चा या आंशिक रूप से विघटित मिश्रण होता है जिसमें ज्यादातर मल और पानी होता है। मलीय कचरा प्रबंधन में सुरक्षित तरीके से ऑन-साइट सैनिटेशन सिस्टम से मलीय कचरे का संग्रहण, दुलाई, शोधन और निपटान शामिल है।

### मलीय कचरा

ग्रामीण क्षेत्रों में, घरों में ऑन-साइट सफाई प्रणाली और मुख्य रूप से दो गड्ढे वाले शौचालय जिनसे कोई मलीय कचरा उत्पन्न नहीं होता है, पर ज्यादा उपयोगी और वीश्वसनीय है। तथापि, कुछे घरों में विशेष रूप से घनी आबादी वाले या बड़े पेरी-अर्बन गांवों में/ सेप्टिक टैक या एकल गड्ढे वाले शौचालय होते हैं। सेप्टिक टैक और एकल गड्ढे, उत्पन्न होने वाले ब्लैक वाटर का आंशिक रूप से शोधन करते हैं और इसलिए इनसे मलीय कचरा निकालने और उसके सुरक्षित तरीके से उपचारित करने की आवश्यकता होती है। कुछ इलाकों में सेप्टिक टैक और एकल गड्ढे वाले शौचालयों से बरसाती पानी की नालियाँ या रास्तों में ओवरफ्लॉ भूमि रहता है। इसके अतिरिक्त, घर के ग्रें वॉटर को भी बाहर या आस-पास बहने वाली उसी नाली में बहा दिया जाता है। ऐसी नालियाँ अंततः जल निकायों में जाकर मिलती हैं और उन्हें प्रदूषित करती हैं।



सेप्टिक टैक से बहने वाला ब्लैक वाटर



एकल पिट से बहने वाला ब्लैक वाटर

### हमें मलीय कचरा और इसके शोधन की योजना क्यों बनानी चाहिए?


- » सेप्टिक टैक मलीय कचरे का शोधन नहीं करते, एकल गड्ढे में मलीय कचरा का शोधन करने के लिए गड्ढे को कई महीनों तक को अप्रयुक्त छोड़ने की आवश्यकता होती है।
- » जब एक सिंगल पिट/सेप्टिक टैक भर जाता है, तो शौचालय अवरुद्ध हो सकता है।
- » भरे हुए सेप्टिक टैक से बहाव और मलीय कचरे का इधर उधर निपटान, बीमारियाँ फैलाने और पर्यावरण प्रदूषित होने का कारण बनता है।
- » शौचालय का प्रयोग कर रहे घरों को यह नहीं पता होता कि कब-कैसे मलीय कचरे को खाली करना होता है।
- » सेप्टिक टैक/एकल गड्ढों को खाली करने वाले वैक्यूम ट्रक इसे आमतौर पर जल निकायों में या गांव के बाहर खुले में असुरक्षित तरीके से डाल देते हैं।

## मलीय कचरे की विशेषताएं

मापदण्ड	कच्चा सीवेज	मलीय कचरा
BOD (mg/l)	110 - 350	10000 - 36000
COD (mg/l)	250 - 800	25000 - 100000
TSS (mg/l)	120 - 400	10000 - 40000

प्रवाह में कच्चे सीवेज और मलीय कचरे के मापदण्डों की तुलना स्पष्ट रूप से यह दर्शाती है कि मलीय कचरे में मापदण्ड कच्चे सीवेज की तुलना में 100 गुणा अधिक होते हैं, इसलिए इसे उचित तरीके से निपटाए जाने की आवश्यकता है।

## > मलीय कचरा प्रबंधन के लिए निर्णय मैट्रिक्स



## मलीय कचरा प्रबंधन की योजना और कार्यान्वयन

### चरण 1 - मौजूदा शौचालयों की मरम्मत

- » अपने शौचालय गड्ढों और टैकों को जानें - जिला उन घरों की सूची तैयार कर सकता है जहां सेटिक टैक और एकल गड्ढे बनाए गए हैं।
- » जहां भी एकल गड्ढे बनाए गए हैं, उन्हें दो गड्ढों वाले शौचालयों में बदलें। यदि स्थान उपलब्ध हों तो वर्मी-फिल्टर टॉयलेट या टॉयलेट लिंक्ड बायोगैस संयंत्र जैसे अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। इसी प्रकार, सेटिक टैकों से होने वाले प्रवाह के शोधन के लिए सोक पिट्स का निर्माण किया जा सकता है।
- » सेटिक टैक वाले क्षेत्रों में नियमित अंतराल पर मलीय कचरे के निकालने की योजना बनाएं। कोई भी एकल गड्ढे वाला शौचालय जिसे दो गड्ढों वाले शौचालय में नहीं बदला गया है, से भी मलीय कचरे को खाली करने की आवश्यकता होती है।

## चरण 2 - मौजूदा STP और FSMP का पता लगाना

- » जिले को शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में, राज्य और केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत या निजी संस्था द्वारा जिले में स्थापित मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों और मलीय कचरा प्रबंधन संयंत्रों की संख्या, क्षमता और स्थान का आकलन अवश्य तैयार करना चाहिए।
- » जिले के स्तर पर सभी STP/FSMP के बुनियादी निकटता विश्लेषण से उन गांवों की संख्या का पता चलेगा जिन्हें सह-उपचार के विकल्प के साथ कवर किया जा सकता है। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि यह एक नए मलीय कचरा प्रबंधन संयंत्र के निर्माण की आवश्यकता को कम करता है।

## चरण 3 - मौजूदा अवसरंचना के तहत सह-उपचार

- » जिले में सभी मौजूदा प्रचालकों के संचालन को लाइसेंस प्रदान करें तथा सभी निजी प्रचालकों के लिए नियम लागू करें।
- » हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 का प्रवर्तन तथा दोषियों को दंडित करने के लिए प्रावधान सुनिश्चित करते हुए केवल यांत्रिक तरीके से मलीय कचरा निकालने की अनुमति हो।
- » आस-पास के गांवों से एकत्रित मलीय कचरे के लिए सह-उपचार लागू करें।

शौचालयों के गड्ढों को सुरक्षित रूप से खाली करना और छुलाई करना

- » गड्ढों और सेटिक टैंकों को खाली करने के लिए सुरक्षा गियर का उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- » मलीय कचरा निकालने वाले उपलब्ध ट्रकों की संख्या की सूची तैयार करें और उनकी सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करें। क्षमताओं का निर्माण करें और उन्हें प्रमाणित करें। मौजूदा प्लांट का उपयोग करने के लिए 15-20 किमी के दायरे में गांवों/ग्राम पंचायतों को मैप किया जा सकता है। छुलाई वाले ट्रक रिसाव मुक्त होने चाहिए।
- » खाली करने/ छुलाई में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले उपकरण
  - » वैक्यूम ट्रक
  - » ट्रैक्टर माउंटेड वैक्यूम
  - » टैंकर
  - » वैक्यूम पम्प
- » संयंत्र की अतिरिक्त क्षमता का पता लगाए और मौजूदा STP या FSMP में मलीय कचरा के निपटान के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करें।



## इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रक



#### चरण 4: जिले में FSTP की योजना तैयार करें

सह-उपचार संभव नहीं होने पर एक नई FSTP की योजना बनाई और कार्यान्वित की जा सकती है। DWSC को मलीय कचरा के निपटान के लिए 100 प्रतिशत सुरक्षित और टिकाऊ संग्रह, ढुलाई, उपचार प्रणालियों को स्थापित करने और इसके सुनिश्चित संचालन की योजना बनानी चाहिए।

मलीय कचरा शोधन इकाई/मलीय कचरा प्रबंधन संयंत्र वह स्थान है जहां एकल गड्ढे/सेप्टिक टैंकों से निकाले गए मलीय कचरे का शोधन अथवा प्रबंधन किया जाता है ताकि उसका दुबारा उपयोग किया जा सके। यह कचरा (सेप्टेज) एकल गड्ढे और सेप्टिक टैंकों वाले शौचालयों वाले घरों से एकत्रित किया जाता है और उसकी सुरक्षित रूप से ढुलाई की जाती है और FSTP में विभिन्न प्रोद्योगिकियों द्वारा उपचारित किया जाता है और अंत में उसे बिना किसी पर्यावरणीय नुकसान के उचित रूप से निपटाया जाता है।

सेप्टेज, एकल गड्ढे/ सेप्टिक टैंकों में घरेलु सीवेज का शोधन पूर्व (आंशिक रूप से विधिटित) का एक उप-उत्पाद है। कुछ वर्षों के मलीय जमाव के बाद और जब गङ्गा मलीय जमाव से भर जाता है तो इसे आमतौर पर वैक्युम ट्रक का इस्तेमाल करते हुए सेप्टिक टैंक/गड्ढे से पर्याप्त द्वारा बाहर निकाला जाता है।



**निम्नलिखित उपायों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है:**

1. उपयुक्त भूमि स्थल की पहचान करें।
2. दूरी और सड़क पहुंच के आधार पर नए FSTP द्वारा सेवा पहुँचाए जाने हेतु गांवों का समूह निर्धारित करें।
3. उपयुक्त क्षमता के FSTP के लिए योजना तैयार करें।
4. FSM परियोजनाओं के कार्यान्वयन में न्यूनतम 3-5 वर्षों के अनुभव वाली तकनीकी एजेंसी/विशेषज्ञों से परामर्श लें।
5. कचरे के संग्रह और शोधन के लिए व्यावसायिक मॉडल संचालित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करें।
6. लांट से निकले कम्पोस्ट की बिक्री के लिए बाजारों जैसे स्थानीय किसान, वन विभाग, निकटतम नगरपालिका, राजमार्ग प्राधिकरण आदि को चिह्नित करें।

## FSTP के लिए स्थान की पहचान

FSTP के लिए स्थान की पहचान करते समय DWSC को निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित करना चाहिए:

- » स्थान के पास पहुँचने का मार्ग होना चाहिए और पहुँचने में आसानी होनी चाहिए तथा शेड, कमरे, और ट्रकों/ मलीय कचरा ढोने वाले वाहनों और अन्य वाहनों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
- » यह किसी जल निकाय के निकट नहीं होना चाहिए।
- » इससे उस क्षेत्र के सौन्दर्य और पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होनी चाहिए।
- » यह किसी घनी आबादी वाले क्षेत्र के निकट नहीं होना चाहिए।

## जिला प्रशासन (DWSM) की भूमिका

1. जिला स्तरीय FSM कार्यनीति का डिजाइन, विकास, आयोजना और उसे कार्यान्वित करना।
2. मलीय कचरे के 100% सुरक्षित और स्थाई एकत्रण, दुलाई, शोधन और निपटान हेतु प्रणालियों की स्थापना और संचालन सुनिश्चित करना। जिले में मौजूदा STPs/FSTPs की उनकी क्षमता के साथ सूची बनाने और ट्रक वैंडर्स की सूची तैयार करने की आवश्यकता है।
3. सुरक्षित और कारगर FSM सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए इन-हाऊस तथा आउटसोर्सेड विशेषज्ञ, व्यवसायिक मॉडल्स, विकसित करना।
4. सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन अभियानों की योजना बनाना और उन्हें संचालित करना। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 का प्रवर्तन और न मानने वालों को दंडित करने के प्रावधानों को लागू किया जाना सुनिश्चित करना। मलीय कचरे को गड्ढों और सेटिक टैंकों से यांत्रिक रूप से निकाला जाना सुनिश्चित करना।
5. आपदा की परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए, गुणवत्ता वाले शौचालय गड्ढे/ सेटिक टैंकों की रैट्रोफिटिंग में अपेक्षित क्षमता कौशल का निर्माण करने के लिए राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना।
6. FSM सेवा प्रावधानों में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों की स्थापना करना।
7. समयबद्ध ढंग से FSM कार्य योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करना।
8. विशिष्ट स्कीमों/अभिसरण और योजनाओं के माध्यम से वित्तपोषण उपलब्ध कराना।
9. ग्रेवाटर प्रबंधन और FSM कार्यनीति और कार्यान्वयन योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन करना।
10. गैर-सरकारी संगठनों और निजी कार्यकर्ताओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना ताकि सुरक्षित और स्थाई FSM सेवाएं प्राप्त की जा सकें।

सेटिक टैंक और एकल गड्ढे से मलीय कचरे को समय-समय पर निकालने के लिए, घरों द्वारा ट्रक के लिए संपर्क किया जा सकता है। ट्रक द्वारा मलीय कचरे को शोधन संयंत्र तक ले जाया जायेगा।



## शोधन प्रौद्योगिकी विकल्प

मलीय कचरा प्रबंधन एक एकल बड़े घने गांव या गांवों/ ग्राम पंचायतों के समूह के लिए निम्नलिखित में से किसी एक उपाय के माध्यम से किया जा सकता है।

### 1. गहरी पंक्तिबद्ध खार्फ (गड्डे):

यह विकल्प गांवों के उस समूह के लिए अपनाया जा सकता है जहां कम मात्रा में मलीय कचरा इकट्ठा होता है। यह तकनीक जल निकायों (नदियों, झीलों और तटीय क्षेत्रों) के निकट के गांवों और जहां भू-जल स्तर ऊँचा है, के लिए उपयुक्त नहीं है।



### 2. पादपरहित सुखाने वाला भूखंड

#### (अनप्लांटेड ड्राइंग बैंड)

अनप्लांटेड ड्राइंग बैंड एक सरल तकनीक है जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा सकता है। इस तकनीक में पानी रिसकर नीचे चला जाता है तथा मलीय कचरा ऊपर रह जाता है जो वाष्पीकरण द्वारा सूख जाता है। रिसा हुआ पानी या तलछट नीचे सतह पर इकट्ठा होता है जहां छिद्रित पाइप बिछाए जाते हैं। मलीय कचरे की मात्रा का लगभग 50% से 80% तक तरल या वाष्पीकरण के रूप में निकल जाता है।



ड्राइंग बैंड से रिसकर नीचे पहुंचे तलछट को नाली द्वारा बाहर निकालने के लिए बैंड के निचले भाग को छिद्रित पाइपों के साथ पंक्तिबद्ध किया जाता है। पाइप के ऊपरी हिस्से में बजरी और रेत की परतें होती हैं जो मलीय कचरे को सपोर्ट देती हैं और तरल पदार्थ को पाइप में जाने व इकट्ठा होने देने देती है। यह बहुत मोटी (20 सेमी से ज्यादा) परतों में नहीं बनाया जाना चाहिए नहीं तो मलीय कचरा कारगर ढंग से नहीं सूखेगा। सूखने के 10 से 15 दिनों के बाद अंतिम नमी की मात्रा लगभग 60% होनी चाहिए। जब मलीय कचरा सूख जाता है, तो इसे रेत की परत से अलग किया जाना चाहिए। इस सूखे मलीय कचरे का उपयोग कृषि प्रयोजन या सह-कम्पोस्टिंग के लिए किया जा सकता है। निकासी पाइप में एकत्र होने वाले तलछट का भी, इसको कहाँ प्रवाहित किया जाना है के आधार पर उचित ढंग से शोधन किया जाना चाहिए।

### 3. पौधों द्वारा सुखाने वाला भूखंड (प्लांटेड ड्राइंग बैंड)

प्लांटेड ड्राइंग बैंड भी अनप्लांटेड ड्राइंग बैंड की तरह ही है लेकिन पौधों के कारण वाष्पोत्सर्जन और मलीय कचरे के उपचार को बढ़ाने का अतिरिक्त लाभ देता है। अनप्लांटेड बैंड की तुलना में प्लांटेड बैंड का मुख्य फायदा यह है कि प्रत्येक फीडिंग/ ड्राइंग चक्र के बाद फिल्टर से मलीय कचरे को हटाने की आवश्यकता नहीं होती है। ताजा मलीय कचरे को सीधे रूप से पिछली परत पर डाला जा सकता है। पौधों और उनका जड़ तंत्र फिल्टर के छिद्रों को बनाए रखते हैं।

इस तकनीक में मलीय कचरे में से पानी निकलने और कचरे को स्थिर करने में फायदा होता है। इसके अलावा, पौधों की जड़ें गाढ़े मलीय कचरे में रास्ता बनाती हैं जिससे पानी आसानी से बाहर निकल जाता है। वनस्पति को बनाए रखने के लिए ये परत (बैंड) रेत और बजरी से भरे जाते हैं। उत्सर्जक के बजाए, मलीय कचरा सतह पर डाला जाता है और रिसाव का पानी उप सतह के जरिए नीचे की ओर चला जाता है जहां यह नालियों में एकत्र होता है।






### सह कम्पोस्टिंग

सूखे मलीय कचरे को सह कम्पोस्टिंग कर उपयोग किया जा सकता है।







## स्वच्छाग्रहियों हेतु अनुशांसित गतिविधियां और प्रोत्साहन संरचना

	गतिविधियां	प्रोत्साहन का स्वीकार्य भुगतान
1	<p>सभी पात्र परिवारों के लिए स्वच्छता कवरेज में सहायता करना</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● कोई भी वंचित न रह जाए इस भावना से सभी पात्र परिवारों का कवरेज</li> <li>● नए पात्र परिवारों को सुरक्षित प्रौद्योगिकी के अनुसार शौचालयों के निर्माण के लिए प्रेरित करना</li> </ul>	150 रुपए तक प्रति शौचालय
2	नए (अपात्र) परिवारों/घरों को शौचालयों के स्व-निर्माण में सहायता करना	25 रुपए प्रति शौचालय
3	<p>खुले में शौचमुक्त स्थिरता व्यवहार की निरंतरता के लिए निम्नलिखित के बारे में सामुदायिक जागरूकता बढ़ाना। इन कार्यों को घर-घर तक पहुंचना (डोर-टू-डोर आउटरीच) (प्रत्येक पखवाड़ में 1 दौरा), दीवार पर चित्रकारी (2), डिजिटल मिडिया का इस्तेमाल करते हुए प्रमुख संदेशों को साझा करना (वितरित किए गए संदेशों की संख्या), इश्तहारों/ पोस्टरों को वितरित करना (वितरित कागजातों की संख्या), को शामिल किया जाएगा।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● सभी लोगों द्वारा शौचालय का हमेशा और निरंतर प्रयोग करना</li> <li>● शौचालयों की स्वच्छता संबंधी जागरूकता बढ़ाना और उसका सत्यापन करना</li> <li>● बच्चों के मल के सुरक्षित निपटान के बारे में माताओं को जागरूक करना।</li> </ul>	प्रति दौरा प्रति परिवार 15 रुपए तक
4	<p>सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ-सफाई को सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित के बारे में सामुदायिक जागरूकता को बढ़ाना। इन कार्यों को लैकर घर घर जाना, दीवार पर चित्रकारी, डिजिटल मिडिया का प्रयोग करते हुए प्रमुख संदेशों को साझा करना, एक अभियान के तहत इश्तहार पर्चे/ पोस्टर आदि वितरित करना, शामिल किया जाएगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● नियमित अंतराल पर तथा महत्वपूर्ण समयों पर साबुन से हाथ धोना</li> <li>● पेयजल का सुरक्षित भंडारण</li> <li>● खांसते/छींकते समय स्वच्छता बनाए रखना (मास्क पहनना, चेहरा ढकना आदि)</li> <li>● सोशल डिस्टैंसिंग बनाए रखना</li> </ul>	अभियान अवधि के दौरान 500 रुपए तक प्रति माह प्रति गांव
5	<p>यह सुनिश्चित करना कि गांव में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण किया जाए:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● अनुशांसित स्थलों पर सामुदायिक स्वच्छता परिसर का स्थान तय करना</li> <li>● अनुमोदित डिजाइन के अनुसार निर्माण कार्य करना (DDWS द्वारा अनुशांसित डिजाइन के अलावा, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित डिजाइन का उपयोग किया जा सकता है)</li> <li>● सामुदायिक स्वच्छता परिसर की ब्राइंग जिसमें कर किए गए लाभार्थियों के नाम शामिल हैं (यदि गांव/ गांवों में स्थित घरों के लिए निर्माण किया गया हो)</li> </ul>	150 रुपए प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर
6	<p>यह सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के संचालन व रखरखाव की व्यवस्था करें:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● रख-रखाव समिति/ निकाय का गठन</li> <li>● उसे संचालन व रखरखाव कार्य का आवंटन</li> <li>● संचालन व रखरखाव के लिए वित्तीयोषण का प्रावधान</li> </ul>	50 रुपए प्रति सामुदायिक स्वच्छता परिसर
7	गांव में शौचालयों की जियोटैंसिंग करना	5 रुपए तक प्रति शौचालय
8	सामुदायिक जागरूकता और खुले में शौचमुक्त स्थायित्व के लिए भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए IPC/ IEC कार्य के साथ-साथ प्रत्येक परिवार का दूसरा सत्यापन और अनुवर्ती स्थिरता सत्यापन करना	15 रुपए तक प्रत्येक परिवार (सत्यापन और आईपीसी)

	गतिविधियां	प्रोत्साहन का स्वीकार्य भुगतान
9	घरेलू अकार्यशील शौचालयों को कार्यशील शौचालयों में बदलना सुनिश्चित करना <ul style="list-style-type: none"> <li>● टूटे हुए पैन की मरम्मत</li> <li>● अवरुद्ध पाइपों को दुरुस्त करना</li> <li>● अवरुद्ध नालियों को दुरुस्त करना</li> <li>● टूटे दरवाजे/ दीवारें/ छत आदि को दुरुस्त करना</li> </ul>	25 रुपए प्रति शौचालय
10	पहले से निर्मित शौचालयों की मरम्मत सुनिश्चित करना (सुरक्षित प्रौद्योगिकी के अनुसार) <ul style="list-style-type: none"> <li>● एकल गड्ढे वाले शौचालयों में दूसरे गड्ढे को जोड़ना</li> <li>● सेप्टिक टैंक के साथ सोक पिट का निर्माण करना</li> <li>● स्व-यथा स्थान (in situ) शौचालयों आदि के लिए अलग गड्ढे का निर्माण।</li> </ul>	25 रुपए प्रति शौचालय
11	गांव में निम्नलिखित SLWM गतिविधियाँ सुनिश्चित करना और सृजित संपत्तियों के संचालन व रख-रखाव के बारे में सार्वजनिक जागरूकता पैदा करना <ul style="list-style-type: none"> <li>● पक्की और ढँकी हुई नालियों का निर्माण (एक बार)</li> <li>● सामुदायिक सोक पिट्स का निर्माण (एक बार)</li> <li>● सामुदायिक कम्पोस्ट पिट्स का निर्माण (एक बार)</li> <li>● वैयक्तिक/सामुदायिक बायो गैस संयंत्रों का निर्माण</li> </ul>	200 रुपए प्रति गांव (यह मानते हुए कि गांव में 50-100 परिवार शामिल होंगे)
12	गांव में दृश्य स्वच्छता के लिए गतिविधियाँ सुनिश्चित करना <ul style="list-style-type: none"> <li>● नालियों का रख-रखाव (मासिक आधार पर)</li> <li>● बायो गैस संयंत्रों का रख-रखाव (मासिक आधार पर)</li> <li>● तालाबों, नालियों, गलियों, स्थानीय बाजारों आदि की साफ-सफाई (पाक्षिक आधार पर)</li> <li>● निगरानी समिति के अन्य सदस्यों के साथ सुबह/शाम निगरानी (साप्ताहिक आधार पर)</li> <li>● स्वच्छता/ खुले में शौचमुक्त स्थायित्व के संबंध में रात्रि चौपाल/गांव की बैठक आयोजित करना (मासिक आधार पर)</li> </ul>	प्रति गतिविधि 200 रुपए प्रति गांव (यह मानते हुए कि गांव में 50-100 परिवार शामिल होंगे)
13	खुले में शौचमुक्त स्थायित्व गतिविधियों में सहायता करना <ul style="list-style-type: none"> <li>● सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और संस्थागत भवनों के शौचालयों की मासिक आधार पर साफ-सफाई और मरम्मत</li> <li>● गांव की खुले में शौचमुक्त स्थिति को मनाने के लिए राष्ट्रीय महत्व वाले दिवस अर्थात् स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस के साथ-साथ खुले में शौचमुक्त दिवस/ स्वच्छता दिवस मनाना</li> <li>● ग्राम पंचायत स्तर पर मॉडल शौचालयों का निर्माण (एक बार) और उनका रख-रखाव (मासिक आधार पर)</li> <li>● गांव में खुले में शौचमुक्त ब्रांडिंग- दीवार लेखन, गांव की खुले में शौचमुक्त स्थिति की घोषणा की पट्टिका/ सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना</li> <li>● ग्राम सभा में नियमित हेतु संकल्प पारित करना</li> <li>● गांव के खुले में शौचमुक्त होने की घोषणा</li> <li>● गांव का खुले में शौचमुक्त होने का सत्यापन</li> <li>● ODF-पश्चात् घोषणा, नए परिवार/ घर को अनिवार्य रूप से अपने शौचालय का स्व-निर्माण करना।</li> </ul>	प्रति गतिविधि 200 रुपए प्रति गांव (यह मानते हुए कि गांव में 50-100 परिवार शामिल होंगे)

उपरोक्त कार्यों को पूरा करने की पहल ज़िला स्तर पर प्रमाणित, कौशल और आपेक्षिक क्षमता (5 दिवसीय CAS प्रशिक्षण और भारत सरकार के द्वारा यथा अनुशंसित अन्य अनिवार्य प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद) वाले स्वच्छग्रहियों (गैर-सरकारी कर्मचारियों) को प्रदान की जाएगी।

### गैर-वित्तीय प्रोत्साहन

इसमें विभिन्न स्तरों पर सरकारों द्वारा मान्यता शामिल है। उन्हें विभिन्न सार्वजनिक और निजी संगठनों द्वारा सम्मानित किया जाता है (जैसे सरकार द्वारा मान्यता/ पुरस्कार आदि)। कुछ रचनात्मक पुरस्कारों को विभिन्न राज्यों और ज़िलों में भी शुरू किया गया है जैसे कि चैपियन स्वच्छग्रहीयों का ज़िला क्लॉक्टर के साथ का लंच और डिनर। कुछ राज्य सार्वजनिक परिवहन/ ट्रेन के माध्यम से यात्रा के लिए पास/ रियायत, बीमा का प्रावधान (चिकित्सा और/ या जीवन बीमा), अटल पैशन योजना, आदि जैसे प्रोत्साहन देना भी चुनते हैं।



## स्वच्छता गतिविधियों की सांकेतिक सूची और संसूचक अभिसरण मैट्रिक्स

घटक	वित्तपोषण का स्रोत				
	SBM चरण-II निधियां (केन्द्र+राज्य)	15वें वित्त आयोग द्वारा दी गई निधियां	MGNREGS	व्यावसायिक मॉडल/ CSR	लाभार्थी द्वारा दिया गया योगदान
<b>क. गांव स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां</b>					
IHHL	✓				
रेट्रोफिटिंग		✓			
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	✓	✓			
सामुदायिक स्वच्छता परिसर के लिए O&M		✓		✓	
<b>ठोस कचरा प्रबंधन</b>					
घरों में अलग-अलग कूड़ेदान		✓			
सार्वजनिक स्थलों पर अलग-अलग कूड़ेदान		✓			
कम्पोस्ट पिट्स, ट्राई-साइकिल/ अन्य वाहन, प्लास्टिक कचरा के लिए भंडारण	✓	✓	✓		
अलगाव, भंडारण और कम्पोस्ट परिसरों की स्थापना			✓		
संग्रहण और पृथक्करण करने के लिए मजदूरी		✓			
परिसरों की सफाई और कचरे की छँटाई के लिए उपकरण					
ठोस कचरा प्रबंधन के लिए संचालन व रख-रखाव				✓	
<b>ग्रे वॉटर प्रबंधन</b>					
सोक पिट्स	✓	✓	✓		
ग्रे वॉटर प्रबंधन प्रणालियाँ (WSP आदि)	✓	✓	✓		
बड़े तालाबों का वातन (एरेशन)				✓	
नालियां (ड्रेनेज चैनल्स )		✓	✓		
ग्रे वॉटर प्रबंधन हेतु संचालन व रख-रखाव				✓	
मासिक धर्म संबंधी कचरा प्रबंधन (CPCB/ SPCB अनुमोदित इन्सिनरेटर) - लॉक स्तर पर		✓			

घटक	वित्तपोषण का स्रोत				
	SBM चरण-II निधियां (केन्द्र+राज्य)	15वें वित्त आयोग द्वारा दी गई निधियां	MGNREGS	व्यावसायिक मॉडल/ CSR	लाभार्थी द्वारा दिया गया योगदान
<b>ख. जिला/ ब्लॉक स्तर पर की जाने वाली गतिविधियां</b>					
<b>प्लास्टिक कचरा प्रबंधन</b>					
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई (PWMU)	✓				
गांव के भंडारण स्रोत से PWMU तक दुलाई जिनमें वाहन शामिल हैं				✓	
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई के लिए संचालन व रख-रखाव				✓	
<b>मलीय कचरा प्रबंधन</b>					
खाई खोदना (ट्रैचिंग)	✓				
मलीय कचरा प्रबंधन संयंत्र					
<b>सह-शोधन समीपस्थ STP/FSTP के साथ अभिसरण</b>					
सेप्टिक टैक/ सिंगल पिट्स से मल को यांत्रिकृत रूप से खाली करना और उसकी दुलाई				✓	
मलीय कचरा प्रबंधन के लिए संचालन व रख-रखाव				✓	
<b>गोबर-धन परियोजनाएं</b>					
गोबर-धन मॉडल परियोजनाएं	✓				
MNRE की NNBOMP के तहत वित्तीय सहायता के अनुरूप गोबर-धन परियोजनाओं को बढ़ाना (न्यूनतम प्रति ब्लॉक 10)		✓			✓
गोबर-धन परियोजनाओं के लिए संचालन व रख-रखाव				✓	

Note: The above suggested convergence matrix is subject to the specific funding provisions for some components as given in these guidelines.

# IX(क) अनुलग्नक



## लेखापरीक्षा रिपोर्ट (स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण हेतु समेकित लेखापरीक्षा रिपोर्ट)

इनमें निम्नलिखित मर्दे (दस्तावेज) शामिल होनी चाहिए:

1. लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
2. प्राप्ति एवं भुगतान खाता
3. आय और व्यय लेखा
4. बैलेंस शीट
5. लेखाओं का टिप्पणियों वाला भाग (वास्तविक परिणाम के बारे में सूचना)
6. “अनुलग्नक” के रूप में लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

(यदि कोई टिप्पणी है तो, सनदी लेखाकार द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उत्तर अपेक्षित है)

7. वित्त वर्ष 202\*-\*\* (जिस वर्ष सनदी लेखाकार खाते का आडिट करता है) हेतु सनदी लेखाकार के नामांकन सूची में होने के पक्ष में महालेखाकार (CAG) कार्यालय द्वारा जारी किया गया पत्र।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

पूरा नाम \_\_\_\_\_

SWSM के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय की मोहर

दिनांक \_\_\_\_\_

**टिप्पणी:** सभी दस्तावेज मूलरूप में होने चाहिए तथा SWSM के सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्यालय की मोहर के साथ प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए।

# IX(ख) अनुलग्नक



## लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,

राज्य स्वच्छ भारत मिशन

पता

1. हमने राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ("अनुदानग्राही") 'लेखा - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' के 31 मार्च, 20\*\*.... के अनुसार संलग्न 'बैलेंस शीट' और उसके साथ संलग्न उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के 'आय एवं व्यय लेखा' और 'प्राप्ति तथा भुगतान लेखा' की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेवारी अनुदानग्राही प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेवारी हमारे लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।
2. हमने यह लेखापरीक्षा आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाले मानकों की लेखापरीक्षा के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम यह तर्कसंगत विवरण प्राप्त करने के लिए कि उपलब्ध कराए गए वित्तीय विवरणों में कोई गलत जानकारी नहीं दी गई है, योजना बनाएं और निष्पादित करें। लेखापरीक्षा की जांच में परीक्षण आधार पर, वित्तीय विवरणों में धनराशि जुटाने वाले साक्ष्य तथा दस्तावेज शामिल हैं। लेखापरीक्षा में प्रयोग किए गए लेखा सिद्धांतों का आकलन एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा समग्र रूप से वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा से हमारी राय के लिए एक उपयुक्त आधार उपलब्ध होगा।
3. ऊपर उल्लेखित अनुलग्नक में अपनी टिप्पणियों के अलावा हम सूचित करते हैं कि:
  - i. हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा प्रयोजनों के लिए जरूरी थे;
  - ii. हमारी राय में, जहां तक इन लेखा बहियों की हमारी जांच से पता चला है, अनुदानग्राही द्वारा यथा अपेक्षित उपयुक्त लेखा बहियों का रख-रखाव किया गया है;
  - iii. इस रिपोर्ट में निर्दिष्ट बैलेंस शीट, आय एवं व्यय लेखा तथा प्राप्ति और भुगतान लेखा, लेखा बहियों के मुताबिक हैं;
  - iv. हमारी राय, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों तथा इसके साथ संलग्न हमारी टिप्पणियों के अनुसार हम यह सूचित करते हैं कि:
    - क. बैलेंस शीट में 31/3/202\*.... की स्थिति के अनुसार अनुदानग्राही के 'लेखा-स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)' की स्थिति एवं कार्यों का सही और सटीक विवरण दिया गया है।
    - ख. आय एवं व्यय लेखा में 31/3/202\*.....को समाप्त अवधि के दौरान व्यय की अपेक्षा अधिक आय/ आय की अपेक्षा अधिक व्यय की सही स्थिति दर्शायी गयी है।
    - ग. प्राप्ति एवं भुगतान खाते में 31/3/202\*.... को समाप्त अवधि के दौरान कार्यक्रम/योजना के अंतर्गत हुए लेनदेनों की सही और सटीक जानकारी दी गई है।

v. आय एवं व्यय लेखा में सूचित व्यय को उक्त अवधि के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (पत्रों) में उचित रूप से दर्शाया गया है।

सनदी लेखाकार का मोहर सहित हस्ताक्षर

पूरा नाम \_\_\_\_\_

सदस्यता सं \_\_\_\_\_

CAG नामांकन सूची सं. एवं वर्ष \_\_\_\_\_

दूरभाष/मोबाइल नं \_\_\_\_\_

ई-मेल पता: \_\_\_\_\_

# IX(ग) अनुलग्नक



## वर्ष 20 \_\_\_\_\_ के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (राज्य का नाम)

दिनांक 1 अप्रैल, 20\_\_\_\_\_ से 31 मार्च, 20\_\_\_\_\_ तक की अवधि के लिए प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

योजना का नाम- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

(लाख रु. में)

प्राप्ति	राशि	भुगतान	राशि
1. प्रांरभिक राशि		1. निम्नलिखित को दी गई अग्रिम राशि	
(i) हस्तगत नकदी		(i) कार्यान्वयन एजेंसियां	
(ii) बैंक में नकदी		(ii) अन्य कोई एजेंसियां आदि	
(iii) प्रभाग/जिलों आदि में जमा राशि			
2. अनुदान प्राप्तियां		2. SBM(G) के अंतर्गत शुरू किए गए अनुमोदित कार्य के प्रयोजनार्थ व्यय की गई राशि	
(i) केंद्रीय सरकार		(i) IHHL	
(ii) राज्य सरकार		(ii) सामुदायिक स्वच्छता परिसर	
(iii) अन्य एजेंसियां		(iii) SLWM	
3. बैंकों से प्राप्त ब्याज		(iv) IEC	
(i) SWSM स्तर पर		(v) क्षमता सुदृढ़ीकरण (प्रशिक्षण आदि)	
(ii) DWSM/DWSC स्तर पर			
(iii) अन्य			
4. निम्नलिखित से अग्रिम/ ऋण/ अनुदान राशि की वापसी		3. प्रशासन संबंधी व्यय	
(i) कार्यान्वयन एजेंसियां		क. कर्मचारी (स्टाफ) सहायता सेवाएं	
(ii) अन्य कोई एजेंसियां आदि		ख. निगरानी और मूल्यांकन	
5. विविध प्राप्तियाँ		ग. मुद्रण और स्टेशनरी	
		घ. बैंक प्रभार	
		ड. किराया और कर	
		च. लेखापरीक्षा शुल्क	
		छ. विविध व्यय आदि	
		4. अंत शेष (समाप्ति पर शेष राशि)	
		(i) हस्तगत नकदी	
		(ii) बैंक में नकदी	
		(iii) प्रभाग/ जिले आदि में जमा राशि	

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर  
पूरा नाम  
कार्यालय की मोहर  
दूरभाष/मोबाइल नं.  
ई-मेल पता:

(सनदी लेखाकार का मोहर सहित हस्ताक्षर)  
पूरा नाम  
सदस्यता सं  
CAG नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष  
दूरभाष/मोबाइल नं  
ई-मेल पता:

# IX(घ) अनुलग्नक



## वर्ष 20 \_\_\_\_\_ के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (राज्य का नाम)

दिनांक 1 अप्रैल, 20\_\_\_\_\_ से 31 मार्च, 20\_\_\_\_\_ तक की अवधि के लिए आय एवं व्यय लेखा

योजना का नाम- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

(लाख रु. में)

व्यय	राशि	आय	राशि
<p>1. SBM(G) के अंतर्गत शुरू किए गए अनुमोदित कार्य के प्रयोजनार्थ व्यय की गई राशि</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) IHHL</li> <li>(ii) सामुदायिक स्वच्छता परिसर</li> <li>(iii) SLWM</li> <li>(iv) IEC</li> <li>(v) क्षमता सुदृढ़ीकरण (प्रशिक्षण आदि)</li> </ul> <p>2. प्रशासन संबंधी व्यय</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>क. कर्मचारी (स्टाफ) सहायता सेवाएं</li> <li>ख. निगरानी और मूल्यांकन</li> <li>ग. मुद्रण और स्टेशनरी</li> <li>घ. बैंक प्रभार</li> <li>ड. किराया और कर</li> <li>च. लेखापरीक्षा शुल्क</li> <li>छ. विविध व्यय आदि</li> </ul> <p>3. बैलेंस शीट से अग्रनीत व्यय की अपेक्षा अधिक आय।</p>		<p>1. निम्नलिखित से प्राप्त सहायता अनुदान/ सहायिकी (सब्सिडी)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(क) केंद्रीय सरकार</li> <li>(ख) राज्य सरकार</li> <li>(ग) अन्य एजेंसियां</li> </ul> <p>2. बैंक खातों से वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज राशि</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- वर्ष के दौरान प्राप्त</li> <li>- जमा: वर्ष के दौरान जमा</li> <li>- घटा: पिछले वर्ष से संबंधित</li> </ul> <p>3. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपयोग न की गई अनुदान राशि की वापसी</p> <p>4. विविध प्राप्तियां</p> <p>5. बैलेंस शीट में अग्रनीत अधिक व्यय</p>	

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मोहर

दूरभाष/मोबाइल नं.

ई-मेल पता:

(सनदी लेखाकार का मोहर सहित हस्ताक्षर)

पूरा नाम

सदस्यता सं

CAG नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष

दूरभाष/मोबाइल नं

ई-मेल पता:

# IX(ડ.) अनुलग्नक



## वर्ष 20\_\_\_\_\_ के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (राज्य का नाम)

दिनांक 31 मार्च, 20\_\_\_\_\_ की स्थिति के अनुसार बैलैंस शीट

योजना का नाम- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

(लाख रु. में)

पूँजीगत निधि एवं देयताएं	पिछले वर्ष की राशि	चालू वर्ष की राशि
<b>संचित निधि</b> अथशेष (प्रारंभिक राशि) जमा/कटौती आय एवं व्यय लेखा से अन्तरित अधिशेष <b>चालू देयताएं</b> i. बकाया व्यय/देयताएं ii. कोई अन्य देयता <b>कुल</b> <b>परिसम्पत्तियां</b> <b>अचल परिसम्पत्तियां</b> i. वाहन ii. फर्नीचर व फिक्सचर्स iii. कार्यालय उपस्कर iv. कम्प्यूटर एवं पेरीफेरल्स v. अन्य वस्तुएं आदि <b>चालू परिसम्पत्तियां एवं अग्रिम राशि</b> i. स्टॉक ii. अन्य योजनाओं में वसूली योग्य निधियों का अस्थायी अन्तरण iii. अंतशेष (क) हस्तगत नकदी (ख) बैंक में नकदी (ग) प्राप्तियां तथा वसूली योग्य अग्रिम i. कार्यान्वयन एजेंसियां ii. अन्य एजेंसियां iii. स्टाफ iv. आपूर्तिकर्ता आदि		

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर  
 पूरा नाम  
 कार्यालय की मोहर  
 दूरभाष/मोबाइल नं.  
 ई-मेल पता:

(सनदी लेखाकार का मोहर सहित हस्ताक्षर)  
 पूरा नाम  
 सदस्यता सं  
 CAG नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष  
 दूरभाष/मोबाइल नं  
 ई-मेल पता:

# IX(च) अनुलग्नक



## लेखा के भाग के रूप में टिप्पणियां

आय एवं व्यय लेखा में यथासूचित उपयोग की गई निधियों के लिए राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत गास्तविक परिणाम

घटक	वर्ष के दौरान निर्मित इकाइयों की संख्या/ कार्य निष्पादन
I. वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय- BPL/APL	
II. सामुदायिक स्वच्छता परिसर	
III. गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन (SWM) संबंधी गतिविधियां	
क. सामुदायिक कम्पोस्ट पिट्स	
ख. प्लास्टिक हेतु भंडारण	
ग. कचरा के संग्रहण हेतु ट्राई- साइकिल/ वाहन	
IV. ग्रे वॉटर प्रबंधन संबंधी गतिविधियां	
क. सामुदायिक सोक पिट्स	
ख. ग्रे वॉटर शोधन प्रणालियां (WSP/DEWATS आदि)	
V. प्लास्टिक कचरा प्रबंधन ईकाइयां	
VI. मलीय कचरा प्रबंधन संबंधी गतिविधियां	
VII. गोबर-धन परियोजनाएं	

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मोहर

दूरभाष/मोबाइल नं.

ई-मेल पता:

(सनदी लेखाकार का मोहर सहित हस्ताक्षर)

पूरा नाम

सदस्यता सं

CAG नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष

दूरभाष/मोबाइल नं

ई-मेल पता:

# IX(छ) अनुलग्नक



## लेखापरीक्षक की टिप्पणियां

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (राज्य का नाम)

वर्ष 20 \_\_\_\_\_

अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन का नाम:

क्र.स.	मुद्दे	लेखापरीक्षक की टिप्पणियां
1	प्राप्ति एवं भुगतान लेखा का अथशेष और अन्तशेष का रोकड़ बही से मिलान	
2	पिछले वर्ष के अंतशेष का अथशेष से मिलान	
3	क्या अनुदानग्राही अथवा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने मौजूदा दिशानिर्देशों के उल्लंघन में इस अवधि के दौरान केन्द्र की किसी एक योजना से केन्द्र की दूसरी योजना अथवा राज्य द्वारा वित्तपोषित योजना में निधियों का अपवर्तन/अन्तः अन्तरण किया? यदि हाँ, तो कृपया उसका ब्यौरा दें।	
4	क्या इस वर्ष के दौरान अनुदानग्राही अथवा किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का दुरुपयोग/असम्बद्ध व्यय तथा दुर्विनियोजन किया गया है? यदि हाँ, तो कृपया ब्यौरा दें।	
5	योजना के लिए बैंक खातों की केवल एक निर्धारित संख्या है।	
6	वर्ष के दौरान किसी भी स्तर पर कोई निगेटिव अधिशेष नहीं है।	
7	क्या निधियों के जारी किए जाते समय मंत्रालय की स्वीकृति आदेश में कठिपय शर्ते विनिर्दिष्ट हैं, क्या उन्हें पूरा कर दिया गया है।	
8	योजना निधियों को केवल बचत खाते में रखा जा रहा है।	
9	अर्जित ब्याज राशि को योजना निधि में जोड़ दिया गया है।	
10	क्या ब्याज धनराशि का उपयोग सख्ती से मौजूदा दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित कार्यक्रम प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।	
11	कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान निर्धारित समय सीमा के भीतर राज्य अंशदान प्राप्त हो गया है।	
12	सभी प्राप्तियों/अदायगी राशि की सही तरीके से गणना कर ली गई है तथा उन्हें योजना के बैंक खाते में जमा कर दिया गया है।	
13	योजना की निधियों को (पूर्ण या आंशिक रूप से) राज्य कोषागार में नहीं रखा जा रहा है।	
14	बैंक समाशोधन नियमित रूप से किया जा रहा है।	
15	संबंधित राज्य वित्त विभाग और/ या भारत सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली (GFR) और सरकार के अनुवर्ती आदेशों (जैसा लागू है) द्वारा जारी वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नियमावली का राज्य की SBM(G) क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुपालन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणी	
16	पिछले लेखापरीक्षक का नाम और पता	

सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर

पूरा नाम

कार्यालय की मोहर

दूरभाष/मोबाइल नं.

ई-मेल पता:

(सनदी लेखाकार का मोहर सहित हस्ताक्षर)

पूरा नाम

सदस्यता सं

CAG नामांकन सूची संख्या तथा वर्ष

दूरभाष/मोबाइल नं

ई-मेल पता:



अनुलग्नक



## उपयोगिता प्रमाणपत्र

राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (राज्य का नाम)

(केन्द्रीय अंश/राज्य अंश)

संदर्भ संख्या:

तारीखः

क्र.सं.	पत्र सं. और तारीख	राशि	यह प्रमाणित किया जाता है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, भारत सरकार के पत्र सं. मार्जिन में दिए अनुसार, राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) (राज्य का नाम.....) के पक्ष में वर्ष..... के दौरान स्वीकृत सहायता अनुदान.....रूपए तथा पिछले वर्ष की अव्ययित बकाया.....राशि में से स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चलाए गए अनुमोदित कार्य के प्रयोजनार्थ कुल.....रूपए की राशि का उपयोग कर लिया गया है, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था तथा यह कि वर्ष के अंत में शेष अप्रयुक्त.....रूपए को इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अगले वर्ष के खाते में अग्रेषित किया जाएगा।

## 2. उपरोक्त प्रयुक्त निधियों के वास्तविक परिणाम

घटक	निर्मित इकाइयों की संख्या/ कार्यनिष्पादन
वैयक्तिक घरेलू शौचालय - BPL	
वैयक्तिक घरेलू शौचालय - चिह्नित APL	
वैयक्तिक घरेलू शौचालय - कुल APL (जिनमें चिह्नित APL शामिल हैं)	
सामुदायिक स्वच्छता परिसर	
गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी गतिविधियां	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● सामुदायिक कम्पोस्ट पिट्स</li> <li>● प्लास्टिक हेतु भंडारण स्थान</li> <li>● कचरा के संग्रहण हेतु ट्राई-साइकिल/ अन्य वाहन</li> </ul>	
गांवों में ग्रे वॉटर प्रबंधन संबंधी गतिविधियां	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● सामुदायिक सोक पिट्स</li> <li>● ग्रे वॉटर शोधन प्रणालियां (WSP/ DEWATS आदि)</li> </ul>	
प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाई	
मलीय कचरा प्रबंधन	
<ul style="list-style-type: none"> <li>● खाइ खोदना (ट्रैचिंग)</li> <li>● FSM संयंत्र</li> </ul>	
गोबर-धन परियोजनाएं	

3. प्रमाणित किया जाता है कि मैं स्वयं संतुष्ट हूँ कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान को स्वीकृत किया गया था, वे विधिवत रूप से पूरी हो चुकी हैं/ पूरी की जा रही हैं और मैंने यह देखने के लिए कि धनराशि वास्तव में उस प्रयोजन के लिए उपयोग की गई जिसके लिए इसे मंजूरी दी गई थी निम्नलिखित जांचों का उपयोग किया है।

#### की गई जांच के प्रकार

1. SSBM(G) के लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण
2. DSBM(G) के लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण
3. पिछले उपयोगिता प्रमाण पत्र
4. वास्तविक सत्यापन की रिपोर्ट
5. समीक्षा मिशन रिपोर्ट
6. कोई अन्य दस्तावेज/जांच

मिशन निदेशक (SBM-G) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

(ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी प्रमुख सचिव/ सचिव)

दिनांक.....

(कार्यालय मोहर लगाएं)



## स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) ग्राम पंचायत ODF प्लस प्रमाणपत्र



मैं, ..... , ग्राम पंचायत  
..... का सरपंच/ उप-सरपंच/ प्रधान/  
मुखिया, जिला.....,  
राज्य..... और मैं.....  
पंचायत सचिव, एतद्द्वारा प्रमाणित करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत अब ODF  
प्लस (खुले में शौच मुक्ति के साथ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन) हो गई है।  
यह संकल्प दिनांक..... को आयोजित ग्राम सभा  
की बैठक के दौरान अंगीकृत किया गया था।

सरपंच/ प्रधान/ मुखिया  
का हस्ताक्षर

नाम

कार्यालय की मोहर

पंचायत सचिव के हस्ताक्षर

नाम

कार्यालय की मोहर

# XII (क) अनुलग्नक



## ODF प्लस सत्यापन प्रोटोकॉल

### सत्यापन के लिए समय-सीमा

ODF प्लस सत्यापन की प्रक्रिया ग्राम सभा द्वारा ODF प्लस स्थिति की प्राप्ति की स्व-घोषणा के संकल्प के साथ शुरू होगी। गांव को ODF प्लस घोषित किए जाने के बाद, जिले को ODF प्लस घोषणा के 90 दिनों के भीतर, गांव के सभी घरों को कवर करते हुए, गांव का अनिवार्य रूप से तृतीय पक्ष सत्यापन सुनिश्चित करना होगा। घोषणा और सत्यापन के बीच की 90 दिवसीय अवधि गांवों की ODF प्लस व्यवस्था में जिला या ब्लॉक प्राधिकारियों द्वारा पाए गए किसी भी प्रकार के अंतराल को भरने के लिए है।

सत्यापन टीम द्वारा गांव का सत्यापन कार्य 2 दिनों में पूरा कर लिया जाना चाहिए। यदि इस सत्यापन में गांव की ODF प्लस स्थिति की पुष्टि नहीं की गई है और अंतराल की पहचान की गई है तो पहचाने गए अंतराल को ठीक किया जाना चाहिए और उसके बाद सत्यापन प्रक्रिया फिर से शुरू की जानी चाहिए।

### सत्यापन टीम का गठन

जिला कलेक्टर, जिले के प्रत्येक ब्लॉक के लिए 4 लोगों की एक टीम का गठन करेगा, जिसमें एक जिला स्तरीय अधिकारी और तीन ब्लॉक स्तर के अधिकारी<sup>5</sup> शामिल होंगे। सभी गांवों के ODF प्लस दावों का सत्यापन इंटर-ब्लॉक टीमों द्वारा किया जाएगा।

ODF प्लस की परिभाषा और इसके सत्यापित किये जाने वाले घटकों को समझने के लिए सत्यापन टीमों को उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाना होगा। संतोषजनक सत्यापन के पश्चात, सत्यापन टीम को गांव की ODF प्लस स्थिति की पुष्टि करते हुए सत्यापन के संबंध में एक हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र जिला नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए जिला SBM समन्वयक/ जिला विकास अधिकारी/ निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/ जिला पंचायती राज अधिकारी को ODF प्लस सत्यापित गांवों की रिपोर्टिंग और उनकी प्रविष्टि के लिए, जिला नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाएगा। नोडल अधिकारी को, गांव की ODF प्लस स्थिति की पुष्टि करने वाले सत्यापन प्रमाणपत्र के प्राप्त करने के बाद, 5 दिनों के अंदर SBM के IMIS में ODF प्लस सत्यापित गांवों की सूची में प्रविष्टि सुनिश्चित करनी होगी।

### लोक संस्थानों का चयन

सभी लोक संस्थानों (विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्र और पंचायत घर) का सत्यापन किया जाना होगा। एक गांव में एक से अधिक विद्यालय और आंगनवाड़ी केंद्र होने की स्थिति में, टीम को उस इकाई का चयन करना होगा जो अधिक बच्चों की आवश्यकताएं पूरी कर रही हो।

<sup>5</sup> इसमें बीडीओ, SBM ब्लॉक समन्वयक, स्वच्छग्रही, मुख्याध्यापक, एडीओ पंचायत, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक कृषि अधिकारी आदि शामिल हैं।

# XII (ख) अनुलग्नक



## ODF प्लस सत्यापन का प्रारूप

#	मापदण्ड	जांच सूची
1	गांव में सभी घरों को कार्यशील शौचालय की सुविधा है (अपनी/ साझा/ सामुदायिक)	हां/नहीं
2	यदि गांव में 100 से अधिक परिवार हैं तो वहां कम से कम एक कार्यशील सामुदायिक स्वच्छता परिसर मौजूद है जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग शौचालय हैं	हां/नहीं
3	गांव में सभी विद्यालयों/ आंगनवाड़ी केन्द्रों/ पंचायत घरों में एक कार्यशील शौचालय की सुविधा है जिसमें पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय हैं (आंगनवाड़ी केन्द्र में शौचालय की सुविधा नहीं रहने की स्थिति में, आंगनवाड़ी केन्द्र में मौजूद सभी बच्चों के लिए आस-पास के सार्वजनिक शौचालय/ स्कूल शौचालय/ अपने घर में शौचालय की सुविधा होनी चाहिए)	हां/नहीं
4	गांव में सभी सार्वजनिक स्थलों के आस-पास <ul style="list-style-type: none"> <li>● न्यूनतम कचरा</li> <li>● गंदे जल का न्यूनतम ठहराव</li> <li>● प्लास्टिक कचरे का ढेर नहीं है</li> </ul>	हां/नहीं
5	कम से कम 80% घरों और सभी विद्यालयों, आंगनवाड़ीयों, पंचायत घरों में बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित के माध्यम से व्यवस्था उपलब्ध है: <ul style="list-style-type: none"> <li>● सामुदायिक/ घरेलू कम्पोस्ट पिट्स</li> <li>● सामुदायिक/ घरेलू बायो-गैस संयंत्र</li> <li>● कोई अन्य पद्धति</li> </ul>	हां/नहीं
6	कम से कम 80% घरों और सभी विद्यालयों, आंगनवाड़ीयों, पंचायत घरों में तरल कचरा प्रबंधन के लिए निम्नलिखित के माध्यम से व्यवस्था उपलब्ध है: <ul style="list-style-type: none"> <li>● सामुदायिक सोक पिट्स</li> <li>● वैयक्तिक सोक पिट्स</li> <li>● कचरा स्थिरीकरण तालाब</li> <li>● कोई अन्य पद्धति</li> </ul>	हां/नहीं
7	गांव में प्लास्टिक एकत्रीकरण व अलगाव प्रणाली की व्यवस्था है	हां/नहीं
8	गांव में निम्नलिखित के संबंध में कम से कम 5 ODF प्लस IEC संदेशों को प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर दर्शाया गया है: <ul style="list-style-type: none"> <li>● ODF स्थायित्व और शौचालय का निरंतर उपयोग</li> <li>● साबुन से हाथ धोना</li> <li>● कम्पोस्ट गड्ढों के उपयोग के माध्यम से बायोडिग्रेडेबल कचरा प्रबंधन</li> <li>● प्लास्टिक कचरा प्रबंधन</li> <li>● सोक पिट्स के माध्यम से तरल अपशिष्ट प्रबंधन</li> </ul>	हां/नहीं



## स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जिला ODF प्लस प्रमाणपत्र



मैं, \_\_\_\_\_, राज्य \_\_\_\_\_ के जिले  
 \_\_\_\_\_ का जिला कलेक्टर एवं द्वारा  
 \_\_\_\_\_ जिले के नागरिकों और प्रशासन की ओर से प्रमाणित  
 करता हूँ कि हमारा जिला दिनांक \_\_\_\_\_ को ODF प्लस (खुले  
 मैं शौच मुक्त के साथ ठोस और तरल कचरा प्रबंधन) हो गया है।

हस्ताक्षर .....

नाम .....

कार्यालय मोहर ..... पदनाम .....



## गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग - लोगों के लाभार्थ सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश

फा.सं. 11-09/1998-FC(Pt.)  
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
(वन संरक्षण प्रभाग)  
\*\*\*\*\*

इंदिरा पर्यावरण भवन,  
जोर बाग रोड, अलीगंज,  
नई दिल्ली: 110003  
दिनांक: 8 नवम्बर, 2016

सेवा में,

प्रमुख सचिव/ सचिव (वन)  
सभी राज्यों/ केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारें

**विषय:** वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए उपयोग - लोगों के लाभार्थ सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु दिशा-निर्देश।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली को महाराष्ट्र सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें भारत सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों के लाभ के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु पूर्णतः या आंशिक रूप से वन भूमि के उपयोग के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत केन्द्र सरकार के सामान्य अनुमोदन की मांग की गई है।

मंत्रालय ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2(ii) के तहत सरकार द्वारा अनुमोदित सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए 1.00 हैक्टेयर तक वन भूमि के लिए राज्य सरकार को सामान्य अनुमोदन प्रदान करने के मामले की जांच की है।

मुझे सरकार द्वारा अनुमोदित सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए वन क्षेत्र की 1.00 हैक्टेयर तक की (सरकारी, निजी, डीम्ड या अन्य वन की) आंशिक या पूर्ण रूप से शामिल वन भूमि को उपलब्ध कराने हेतु, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 2(ii) के तहत केन्द्र सरकार का सामान्य अनुमोदन प्रदान करने का निर्देश हुआ है बशर्ते, ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाली वन भूमि के लिए संबंधित ग्राम पंचायत और शहरी क्षेत्र में आने वाली वन भूमि के लिए संबंधित स्थानीय शहरी निकाय से निम्नलिखित शर्तों पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

यह सामान्य अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगा:

- सामुदायिक शौचालय के लिए दी जाने वाली वन भूमि किसी भी मामले में एक हैक्टेयर से कम होनी चाहिए।
- अनापत्ति उस शर्त के अधीन होगी कि यह मांग आवश्यकता आधारित है। संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी परियोजना के लिए वांछित वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन करेगा, जो किसी भी मामले में एक हैक्टेयर से अधिक नहीं होगी और वह इस आशय को प्रमाणित भी करेगा।

3. इस वन भूमि की वैधानिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी अर्थात् आरक्षित/ संरक्षित/ ग्राम/ गैर-श्रेणी वाले अन्य प्रकार के वन/ वन वाली रहेगी, जैसा भी मामला हो।
4. प्रयोक्ता एजेंसी परियोजना के प्रस्ताव को राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार को, प्रत्येक वैयक्तिक सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए DGPS कोआर्डिनेट्स के साथ निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन प्रस्तुत करेगी।
5. परियोजना में प्रति हेक्टेयर पचास (50) से अधिक पेड़ों की कटाई शामिल नहीं होनी चाहिए। परिवर्तित वन क्षेत्र के लिए गिराए जाने वाले पेड़ों की अधिकतम संख्या की अनुमत्य सीमा, परिवर्तित क्षेत्र की सीमा के अनुपात में होगी।
6. संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी, परियोजना के लिए वन भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन करेगा, जो किसी भी मामले में एक हेक्टेयर से अधिक नहीं होगी और वह इस आशय को प्रमाणित भी करेगा।
7. प्रयोक्ता एजेंसी राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार के प्रधान मुख्य वन संरक्षक से विधिवत अनुशंसित वन भूमि के उपयोग की अनुमति लेगी।
8. नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) ऐसे मामलों के अनुमोदन के बारे में नियमित रूप से हर महीने की 5 तारीख तक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने की स्थिति में, राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी अनुमति देने की शक्ति का प्रयोग करने को केन्द्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक या सूचना जमा होने तक निलंबित किया जा सकता है।
9. प्रयोक्ता एजेंसी परियोजना लागत पर, ग्रीन कवर बनाए रखने के लिए इस भूमि पर काटे गए पेड़ों की संख्या से दो गुणा अधिक पेड़ लगाएगी और उन्हें बनाए रखेगी। इस प्रयोजन के लिए राज्य वन विभाग द्वारा रोपण स्थल की पहचान (अधिमानतः परियोजना के क्षेत्र में या आस-पास के क्षेत्र में) की जाएगी। इस तरह के वृक्षारोपण के लिए केवल स्वदेशी वन वृक्ष प्रजातियों का उपयोग किया जाएगा। उन पेड़ों को यदि उस परिवर्तित क्षेत्र में लगाया जाता है, तो राज्य वन विभाग की अनुमति के बिना उन्हें काटा नहीं जा सकेगा। आस-पास के क्षेत्र में लगाए गए पेड़, राज्य वन विभाग की सम्पत्ति होंगे।
10. NPV और क्षतिपूरक वनीकरण लागत जैसे क्षतिपूरक प्रभार (कम से कम 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर या काटे जाने वाले पेड़ों की 10 गुणा संख्या, जो भी अधिक हो वन विभाग द्वारा चिह्नित किए गए संरक्षण वन क्षेत्र में लगाए जाएंगे) तथा अन्य प्रभार जो कि वन संरक्षण के अनुमोदन पत्र में विनिर्दिष्ट हो, वन संरक्षण अधिनियम के तहत इस क्षेत्र के उपयोग के लिए आवेदन करने वाले प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाएंगे।
11. प्रयोक्ता एजेंसी आसपास की वनस्पतियों और जीव जन्तुओं के किसी भी संभावी नुकसान के लिए जिम्मेवार होगी और इसलिए वे उनके संरक्षण के लिए सभी संभव उपाय करेगी।
12. राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति पर्यावरण और वन मंत्रालय के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निगरानी के अधीन होगी।
13. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भूमि उपयोग में कोई भी परिवर्तन, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन माना जाएगा।
14. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा, किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना भूमि उपयोग में कोई भी परिवर्तन, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा। ऐसे अन्य उपयोग के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी से अनुरोध किया जाएगा।
15. राज्य का वन विभाग, राज्य सरकार या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, समय-समय पर, वनों के संरक्षण, सुरक्षा या विकास के हित में कोई अन्य शर्त लगा सकते हैं।

यह भी नोट किया जा सकता है कि वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत यह सामान्य अनुमोदन, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र के अध्यधीन है।

यह सामान्य अनुमोदन, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभ्यारण्यों और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत अन्य संरक्षित क्षेत्रों में स्थित वन भूमि के लिए लागू नहीं होगा।

चूंकि सामुदायिक शौचालयों की आवश्यकता सरकार और स्थानीय शहरी निकायों के प्रशासनिक नियंत्रण में अनेक स्थानों में होगी, अतः वन संरक्षण अधिनियम के तहत अलग-अलग आवेदन करने के लिए बहुत सा कागजी कार्य करना होगा,

इसलिए सरकार/स्थानीय शहरी निकायों के सक्षम प्राधिकारी सभी प्रस्तावित सामुदायिक शौचालयों के लिए अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं जिसमें प्रत्येक शौचालय के लिए योजनानुसार और सरकार द्वारा विधिवत अनुमोदित 1.00 हैक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए तथा पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी किये गए दिशा निर्देशों और वन संरक्षण नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रत्येक शौचालय के लिए स्थान, लैआउट प्लान व क्षेत्र की जानकारी देते हुए, सामूहिक रूप से ॲनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वन संरक्षण अधिनियम की धारा 2(ii) के तहत सामान्य अनुमोदन के तहत राज्य सरकार द्वारा वन मंजूरी दिए जाने पर सामूहिक शौचालयों के निर्माण और रख-रखाव में लगी एजेंसियों द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया जा सकता है जिन्हें सरकार / स्थानीय शहरी निकायों के सक्षम प्राधिकारी यह कार्य सौंपें।

तथापि, इस परिपत्र द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2(ii) के तहत राज्य सरकार को सामुदायिक शौचालय के निर्माण के लिए दिए गए पूर्व सामान्य अनुमोदन को राज्य सरकार द्वारा वन विभाग के अधिकारी को आगे हस्तांतरित किया जा सकता है, जो धारा 2(ii) के तहत अनुमोदन दिए जाने हेतु नोडल अधिकारी (वन संरक्षण) से कम रैक का न हो।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

(राजगोपाल प्रशांत)

वरिष्ठ सहायक वन महानिरीक्षक (FC)

# जुलाई 2020 का संशोधित संस्करण

<https://jalshakti-ddws.gov.in> and <https://sbm.gov.in> पर भी उपलब्ध है







पेयजल एवं स्वच्छता विभाग  
जल शक्ति मंत्रालय  
भारत सरकार  
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION  
MINISTRY OF JAL SHAKTI  
GOVERNMENT OF INDIA



एक कदम स्वच्छता की ओर